शुक्रवार,
२० मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २० मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाक तथा तार घर खोलने की कसौटी

*८७९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन परिस्थितियों में सरकार डाक उपकार्यालय तथा तार घर खोलती है;

(ख) जब कि जनता तथा संस्थाओं से नये सम्मिलित कार्यालय खोले जाने की प्रार्थना प्राप्त होती है तो क्या सरकार कोई शर्तें लागू करती है ;

(ग) यदि हां, तो शर्तें क्या हैं; तथा

(घ) आत्मनिर्भर समझे जाने के लिये उपकार्यालय तथा सम्मिलित कार्यालय की आय की किस प्रकार गणना की जाती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्राय: जितने भी नये डाकखाने देहाती क्षेत्रों में खोले जाते हैं उन को अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालयों का स्तर दिया

जाता है । परन्तु विशिष्ट मामलों में, देहाती क्षेत्रों में और साधारणतया बड़े नगरों में, नये कार्यालयों को उपकार्यालयों का स्तर दिया जाता है । यदि किसी कार्यालय में होने वाले डाक सम्बन्धी कार्य के परिणाम, या अन्य विचारों के कारण यह आवश्यक समझा जाता है तो किसी भी चालू शाखा कार्यालय को बढ़ा कर उपकार्यालय कर दिया जाता है

सम्मिलित कार्यालय तभी खोले जाते जबकि तार यातायात का परिमाण उस उप-कार्यालय में एक तार विभाग के खोले जाने की आवश्यकता को सिद्ध करता है । ऐसे कार्यालय जनता की प्रार्थना पर भी खोले जाते हैं, यदि उसे लाभ पर चलाया जा सके, या कार्या-लय को हानि न होने की प्रत्याभूति दे दी जाये । कुछ मामलों में, तार घर भी खोले जाते हैं, यदि वह कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा कर देते हैं, जसे हानि की परिमात्रा ५०० रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो ।

(ख) जी हां ।

(ग) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८]**

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८]**

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि नवम्बर १९५१ से तार घर खोले

जाने के नियमों को कुछ ढीला कर दिया गया है। क्या सरकार को कहीं से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं जिन में यह कहा गया हो कि इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है अपितु पुराने नियमों का ही पालन किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे विदित है, ऐसे कोई प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि कोई प्रतिनिधान विशेष हो जिस का माननीय सदस्य निर्देश करते हों, तो मैं उन से उस की एक प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि बार बार प्रतिनिधान किये जाने पर भी त्रावनकोर-कोचीन में इस आधार पर डाकखाने नहीं खोले जाते हैं कि एक पकुट्ठी में पहले से ही डाकखाना मौजूद है और क्योंकि पकुट्ठी को गलती से गांव समझ लिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : मुझ खेद है कि किसी पिछले अवसर पर मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न के सम्बन्ध में सब बातें विस्तारपूर्वक बता चुका हूं, और मैं ने उन को आश्वासन दिया था कि हम त्रावनकोर-कोचीन में समस्त व्यवस्था का अभिनवीकरण करने का विचार कर रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जिन परिस्थितियों का उन्हों ने वर्णन किया उस के अन्तर्गत त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नये डाकखाने खोले जाने की कितनी सामूहिक याचनायें अभी विचाराधीन हैं ?

श्री राज बहादुर : सामूहिक याचनाओं की संख्या बताना संभव नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : वह सैंकड़ों हज़ारों की संख्या में हैं।

श्री राज बहादुर : मुझे पूर्णतया निश्चय नहीं है, और ऐसा करना संभव भी तो नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसी भी कोई मिसालें हैं कि २००० से अधिक आबादी वाले गावों के डाकखानों को भी इस लिये बंद कर दिया गया है क्योंकि वह लाभप्रद नहीं थे ?

श्री राज बहादुर : ऐसे मामले हैं जरूर। हम ने पांच वर्ष की एक प्रयोगात्मक अवधि निश्चित की हुई है, जिस में यदि किसी डाकखाने विशेष से ७५० रुपये से अधिक की हानि होती है, तो हम उस को बन्द कर देते हैं। कम से कम सीमा २४० रुपये है, और यदि पांच वर्ष में यह हानि २४० रुपये ही रहती है तो हम उस डाकखाने को स्थायी कर देते हैं।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सन् १९५२-५३ में कितने नये डाकखाने तथा तार घर खोले गये ?

श्री राज बहादुर : मंत्रालय की कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले विवरण में पूरी रिपोर्ट दी गई है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : कांस्टीट्यूशन हाउस में एक तार घर खोलने की कोई प्रस्थापना क्या सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राज बहादुर : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा :

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसे संचरण विभाग ने दो हज़ार की आबादी वाले गावों में डाक घर खोलने का कानून बनाया है या एक ऐसा प्रतिबन्ध लगाया है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां सघन आबादी नहीं है, वहां डाकखाने खोलने का क्या सरकार का विचार है ?

श्री राज बहादुर : इस के पूर्व एक अवसर पर मैं निवेदन कर चुका हूं कि हम इस नियम में, कि आबादी के आधार पर ये नये डाकखाने खोले जायें, इस प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं कि आबादी के साथ साथ दूरी या फासले का भी ख्याल रखा जाये, और यह बात अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त: नये तार घरों के खोले जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने एक शर्त यह बताई कि उस स्थान से पांच मील के घेरे में कोई दूसरा तार घर नहीं होना चाहिये। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि और कौन सी प्राकृतिक बाधाओं तथा अन्य बातों का ख्याल रखा जाता है और विमुक्तियां दी जाती हैं ?

श्री राज बहादुर : अपवाद में ही तो नियम की पुष्टि होती है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं ने माननीय मंत्री को यह कहते सुना कि तार घर तब भी खोले जायेंगे चाहे उन से हानि ही क्यों न हो। वह अपवाद कौन से हैं ?

श्री राज बहादुर : एक अपवाद तो यह है कि जब राज्य सरकार हानि की भरपाई की प्रत्याभूति देने को प्रस्तुत हो ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि सलेम के शहर ने जिस की जनसंख्या दो लाख से अधिक है, केवल एक ही तार घर है, और क्या तार घरों की संख्या बढ़ाने की कोई .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात उन को किस तरह स्मरण रह सकती है ? उन्हों ने सलेम देखा नहीं है ।

श्री राज बहादुर : मैंने सलेम नहीं देखा है, परन्तु सारा भारत एक है और सलेम मेरे अपने नगर जैसा ही नगर है। मुझे जो सूचना दी गई है उसे मैं ध्यान में रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत व्यापक प्रकार का है और प्रत्येक सदस्य एक डाकखाना चाहता है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे ।

मलेरिया विरोधी कार्यवाही

*८९९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) वह मलेरिया विरोधी योजनायें जिसे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाया गया है ;

(ख) कितने राज्यों में उक्त योजना को (१) आंशिक रूप से तथा (२) पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा ;

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता की प्रतिशतता,

(घ) क्या इस कार्य के लिये किन्हीं विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा रहा है;

(ङ) प्रत्यक राज्य में इस योजना के सन्तोषजनक रीति से काम करने के लिये क्या कार्यकर्त्ताओं को कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है या दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाली एक टिप्पणी सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९]**

(घ) इस योजना के अन्तर्गत छिड़काव कार्य करने के लिये अपेक्षित कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय तौर पर भरती किया जायेगा ।

(ङ) जी हां, जिन मलेरिया चिकित्सकीय अधिकारियों तथा मलेरिया निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी उन के भारत को मलेरिया संस्था में प्रशिक्षण दिया जायेगा । और छिड़काव करने वालों का प्रबन्ध प्रत्येक राज्य में स्थानीय रूप से किया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं देखता हूं कि इस विवरण में दिल्ली स्टेट शामिल

है, क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली स्टेट में मलेरिया घटाने के वास्ते इस तरह की कार्यवाही शुरू हुई है या नहीं ?

राजकुमारी अमृत कौर: दिल्ली स्टेट के बारे में जरूरी इन्तिजाम सरकार खुद करती है और यह सवाल उस से पूछना चाहिये वैसे उस के लिये सब जरूरी इन्तजाम कर दिया गया है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने मलेरिया जैसे रोग का मुकाबिला करने के लिये आयुर्वेदिक अथवा अन्य किसी देशी चिकित्सा प्रणाली को काम में लाने का प्रयत्न किया है और क्या वह इसे भविष्य में करना चाहती है ?

राजकुमारी अमृत कौर: इस मलेरिया नियंत्रण योजना का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो एक-दम आधुनिक प्रणाली पर किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: जूट बोये जाने वाले मौसम में मलेरिया पर नियंत्रण करने की क्या कोई योजना है ?

राजकुमारी अमृत कौर: निस्सन्देह बंगाल सरकार यह देखेगी कि यह मलेरिया नियंत्रण योजना उन क्षेत्रों में भी सहायता कार्य करे जहां इस की अधिकाधिक आवश्यकता है ।

श्री पुन्नूस: सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि मलेरिया के रोगियों की संख्या १० करोड़ है और कोई १० लाख मृत्युएं मलेरिया के कारण होती हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या गत कुछ वर्षों में किये गये कार्य के फलस्वरूप क्या कोई सुधार हुआ है?

राजकुमरी अमृत कौर : कुछ जगहों के आंकड़ों को छोड़ कर मैं मलेरिया से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या नहीं दे सकती हूं । उदाहरण के लिये दिल्ली में यह बहुत अधिक कम हो गया है और उन चार क्षेत्रों में जहां मलेरिया नियंत्रण योजना लागू की गई है, जैसे उड़ीसा, मदरास, मैसूर और उत्तर प्रदेश, वहां इस का प्रकोप बहुत कम हो गया है । बम्बई राज्य में, मुझे ज्ञात है कि मलेरिया के प्रकोप को बहुत कम कर दिया गया है ।

श्री राधेलाल व्यास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मध्य भारत के अतिरिक्त अन्य सभी भाग क और ग में के राज्यों में मलेरिया विरोधी एककों की व्यवस्था कर दी गई है, और क्या मध्य भारत सरकार ने मलेरिया विरोधी एकक की मांग की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ लम्बा प्रश्न है ।

राजकुमारी अमृतकौर: श्रीमान्, मैं इस का उत्तर तुरन्त ही दे सकती हूं । राज्यों में हमें यह बताने को कहा गया था कि क्या वह इन एककों को लेना पसन्द करेंगे । जिन राज्यों ने समय रहते उत्तर भेज दिया उन को यह एकक भज दिये गये हैं । मध्य भारत उन राज्यों में से था जिन्हों ने हमें समय रहते सूचना नहीं दी है । परन्तु मैं इस बात का भरसक प्रयत्न कर रही हूं कि मध्य भारत को दो कक दे दिये जायें जिन की उस ने मांग की है ।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन राज्यों को सिन्कोना के वृक्ष लगाने के लिये कोई विशेष सहायता दी गई थी ?

राजकुमारी अमृत कौर : सिन्कोना के वृक्ष लगाना इस योजना के अन्तर्गत नहीं है परन्तु जहां सिन्कोना पैदा किया जाता है सहायता दी जाती है । मदरास और बंगाल में सिन्कोना उत्पन्न होता है ।

श्री वी० पी० नायर: योजना आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे देशों

में १० करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते हैं। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मलेरिया की कोई निश्चियात्मक औषधि ढूंढ निकालने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है और क्या यह औषधि मलेरियाग्रस्त सभी व्यक्तियों को मुफ्त उपलब्ध हो सकेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं नहीं समझती कि यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है। मैं यह निवेदन कर दूं कि इस कार्यक्रम विशेष से भारत के मलेरियाग्रस्त भागों में १२ १/२ करोड़ व्यक्तियों की सहायता की जायेगी। जहां भी आवश्यकता होती है कुनैन वितरित की जाती है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि कुछ वर्ष पहले नई दिल्ली में मलेरिया के मच्छर नहीं थे और अब वह खूब बढ़ रहे हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मलेरिया के मच्छर तो नहीं बढ़ रहे हैं, हां मच्छर बढ़ रहे हैं, मलेरिया की बीमारी आज दिल्ली में पहले से कम है, ज्यादा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि वह चाहें, तो इस विषय पर आधे घन्टे की चर्चा कर सकते हैं।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को विदित है कि मलेरिया के सम्बन्ध में ऐलोपैथिक औषधियों की तुलना में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधियां अधिक उत्तम सिद्ध होती हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी खड़े हुए —

उपाध्यक्ष महोदय : काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न भी उन्हीं के नाम से है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं मलेरिया नियंत्रण के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा किये जाने की अनुमति दे सकता हूं।

रेलवे में श्रेणी १ का समाप्त किया जाना

*९००. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रेल मंत्री कृपा बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे में प्रथम श्रेणी को समाप्त किये जाने की प्रस्थापना कब से कार्यान्वित की जायेगी ?

(ख) क्या मध्यम श्रेणी को भी समाप्त कर देने का कोई निश्चय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब से ;

(घ) इस योजना का ब्यौरा क्या है; तथा

(ङ) इस योजना के कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप क्या वित्तीय उपलक्षणायें, यदि कोई, होंगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रथम श्रेणी को अधिकांश शाखा लाइनों और मेन लाइन पर चलने वाली कुछ विशेष गाड़ियों से हटा लिया गया है। प्रथम श्रेणी को उपनगरीय ट्रेनों के अतिरिक्त, १ अक्तूबर १९५३ तक पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग). मध्यम श्रेणी को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है, परन्तु विभिन्न रेलवेज़ को अपनी यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छोटी ब्रांच लाइनों पर इस श्रेणी को समाप्त कर देने की अनुमति दे दी गई है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश किया जाता है।

(ङ) ट्रेनों में प्रथम श्रेणी के बन्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई वित्तीय उपलक्षणाओं का ठीक ठीक निर्धारण उस समय तक नहीं किया जा सकता है

जब तक कि इसे पूर्ण रूप से लागू न कर दिया जाये और इस को वास्तविक कार्यकरण का पर्याप्त अनुभव न प्राप्त हो जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रथम श्रेणी के समाप्त कर दिये जाने से कितनी हानि होने की संभावना है ?

श्री अलगेशन : यही तो मैं ने प्रश्न के भाग (ङ) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बताया है । अभी से उस का अनुमान लगाना कठिन है ।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार को विदित है कि भारत में अधिकतर व्यक्ति मध्यम श्रेणी में यात्रा करते हैं और वह इस श्रेणी के समाप्त किये जाने के विरोध में हैं अपितु वह तो यह चाहते हैं कि ट्रेनों में मध्यम श्रेणी के और भी अधिक स्थान की व्यवस्था की जाये ?

श्री अलगेशन : मध्यम श्रेणी के समाप्त किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है । इस प्रश्न पर यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विचार करने का विकल्प विभिन्न रेलवे प्रशासनों को दे दिया गया है ।

श्री रघुरामय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का विचार जहां कहीं भी प्रथम श्रेणी को समाप्त किया जाये तो उस के स्थान पर कम से कम मुख्य लाइनों पर वातावस्थापित डब्बे लगाने का है ?

श्री अलगेशन : सभी मामलों में नहीं, परन्तु डाक तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि अधिकांश लाइनों पर दूसरी श्रेणी के डब्बे में बहुत भीड़ होती है, और जब कि प्रथम श्रेणी को समाप्त कर दिया जायेगा, तो दूसरी श्रेणी के डब्बों में स्थान की और भी अधिक कमी हो जायेगी ?

श्री अलगेशन : प्रथम श्रेणी के डब्बों को दूसरी श्रेणी के डब्बों में बदल दिया जायेगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : प्रथम श्रेणी के समाप्त कर दिये जाने पर क्या दूसरी श्रेणी को प्रथम श्रेणी कहा जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम श्रेणी के समाप्त कर दिये जाने पर विभिन्न श्रेणियों के क्या नाम रहेंगे, क्या वह प्रथम, दूसरी और तीसरी श्रेणियां कहलायेंगी या केवल दूसरी और तीसरी ?

श्री वी० जी० देशपांडे : अथवा बिना प्रथम श्रेणी के ही दूसरी श्रेणी बनेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इन के नाम ज्ञात करना चाहते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : जब प्रश्न पूछा गया था तो यह उत्तर दिया गया था कि उस समय तक वर्गीकरण को बदलने की कोई प्रस्थापना नहीं थी । अब हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि जब प्रथम श्रेणी को समाप्त किया जा रहा है और जब दूसरी श्रेणी ही समस्त भारत में सब से उच्च श्रेणी रहेगी, तो क्या वर्गीकरण को बदलने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री अलगेशन : मैं ने निवेदन किया कि प्रथम श्रेणी के डब्बों को दूसरी श्रेणी के डब्बे में बदल दिया जायेगा और दूसरी श्रेणी सब से ऊंची श्रेणी रहेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : तो सब से ऊंची श्रेणी दूसरी श्रेणी होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि १ अक्तूबर की तिथि क्यों निश्चित की गई है, जब कि माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि १ अप्रैल से प्रथम श्रेणी को समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

श्री नानादास : इस परिवर्तन के बाद तीसरी श्रेणी की स्थिति क्या रहेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें तो अधिक उत्तम रहेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रथम श्रेणी के फलस्वरूप, क्या अन्य श्रेणियों में कुछ विशेष सुधार किये जाने की संभावना है ?

श्री अलगेशन : यह बात प्रथम श्रेणी के समाप्त किये जाने पर निर्भर नहीं है; श्रीमान्।

यंत्र सज्जित बीज फ़ार्म

*९०१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जम्मू में कोई यंत्र सज्जित बीज फार्म खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फार्म का एकड़ों में कितना क्षेत्रफल होगा ;

(ग) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने उक्त भूमि का भारत सरकार को हस्तान्तरित किया जाना स्वीकार कर लिया है ;

(घ) उस फार्म के कब से प्रारम्भ करने की प्रस्थापना है; तथा

(ङ) उस फार्म के खोले जाने का अनुमानित परिव्यय ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमख) : (क) और (ख). २००० एकड़ के एक फार्म को प्रथम प्रयास के रूप में सितम्बर १९५२ से प्रारम्भ कर दिया गया है । इस वर्ष उस फार्म में ५००० एकड़ भूमि और मिला देने की प्रस्थापना है, और अगले वर्ष और ५००० एकड़ मिलाने का विचार है, अर्थात् तीन वर्ष में इस फार्म का सम्पूर्ण क्षेत्रफल १२,००० एकड़ होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ङ) ५,९५,००० रुपये प्रथम प्रक्रम पर ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या इस १०,००० एकड़ भूमि पर, जिसे हम फार्म सहायता योजना के अनुसार कृषि योग्य बनाये जाने की प्रस्थापना है, इस समय भी कृषि कार्य हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह गत छै वर्षों से बेकार पड़ी है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस बेकार भूमि पर कोई गांव इत्यादि हैं, क्या वह भूमि खंड आबाद है या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, बहुत से विस्थापित व्यक्तियों को ला कर वहां पुनर्वासित किया जा रहा है ।

बाबू रामनारायण सिंह : इस फार्म में हर प्रकार के बीज तैयार किये जायेंगे या एक ही प्रकार के बीज तैयार किये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : ज्यादातर तो यह पैडी एरिया (धान क्षेत्र) था मगर फिलहाल इस में गेहूं बोया गया है और गेहूं का बीज भी तैयार होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन व्यक्तियों को, जो कि पहले से ही उस भूमि पर आबाद हो गये हैं, उस फार्म में पुनः सेवायुक्त किया जायेगा या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : : जब हमने उसे लिया था तो वह एक दम वीरान थी और कोई भी वहां नहीं था । सभी व्यक्तियों के दावों पर विचार किया जायेगा और यदि वह वापस आ कर वहां बसना चाहेंगे तो भूमि उन को वापस कर दी जायेगी ?

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या इस यंत्र सज्जित बीज

फार्म का नियंत्रण केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा किया जायेगा, और यदि हां, तो कितने ट्रैक्टर वहां अभी तक भेजे जा चुके हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का इस फार्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एक सरकारी फार्म है जिस की देख रेख केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास कुछ पुराने ट्रैक्टर थे जिनको हम ने उस से खरीद लिया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस भूमि के अवाप्त करने पर कितना व्यय हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अवाप्त करने पर कुछ भी व्यय नहीं हुआ है, काश्मीर सरकार और भारत सरकार के मध्य एक करार हुआ जिसके अनुसार हम ने इसे दस वर्ष के लिये निःशुल्क पट्टे पर लिया है । हम लगान तथा अन्य उपकर इत्यादि देंगे ।

श्री केलप्पन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस फार्म पर कौन सी फसलें उगाने की प्रस्थापना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं ने निवेदन किया श्रीमान्, यह धान की खेती के लिये बहुत उपयुक्त है, परन्तु चूंकि इस वर्ष धान रोपने का मौसम समाप्त हो गया था इस लिये हम ने १३०० एकड़ भूमि में रबी की फसल गेहूं की खेती की है ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकार ने होने वाले व्यय के मुकाबिले में उपज का कोई विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान्, जो अनुमानित परिव्यय होगा उस की हम ने गणना कर ली है, जो उपज होगी उस को भी हम ने ध्यान में रखा है, और वह, हमारे अनुमान के अनुसार अधिक होनी चाहिये, और हमें कम से कम ४० रुपये फी एकड़ का शुद्ध लाभ होगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काश्मीर सरकार ने भूमि दस वर्ष के पट्टे पर दी है तो जब उक्त भूमि को १० वर्ष के बाद वापस किया जायेगा तो क्या केन्द्रीय सरकार इस आधार पर कि भूमि का कृष्यकरण किया गया है, कुछ क्षतिपूर्ति दिये जाने का दावा करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : सारी बात पर सोच विचार कर लिया गया है । यह एक विशिष्ट करार है । कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी । यदि कोई स्थायी इमारतें बनाई जायेंगी तो काश्मीर सरकार उन का मूल्य देगी । अन्य चीज़ों को वहां से हटा लिया जायेगा ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार देश के अन्य भागों में और भी यन्त्र सज्जित बीज फार्म खोलने का विचार रखती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि ऐसी ही सुविधाजनक परिस्थितियां हों तो सरकार उन को स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ।

श्री गोपाल राव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उसी क्षत्र विशेष को क्यों चुना गया था ? क्या ऐसा करने के कोई विशेष कारण थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : उस क्षेत्र विशेष का चुनाव करने के कई कारण थे । प्रथम और सब से महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह भूमि बहुत अच्छी है । दूसरे वहां नहरों से सिंचाई की जाने की सुविधा है । वह एक चक भूमि है और हमने सोचा कि वहां बीज उगाने से देश को अधिक लाभ होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया मैं तीन या पांच अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देता हूं । पर यह प्रतीत होता है कि अनुपूरक प्रश्न

अन्य प्रश्नों के पूछे जाने में बाधक हो रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इतने उत्सुक हैं तो स्वयं उन्हों ने ही इस प्रश्न की पूर्व सूचना क्यों नहीं दी थी ?

नडियाड कपड़वंज रेलवे लाइन

*९०४. **श्री दाभी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नडियाड कपड़वंज की छोटी लाइन को किस सन् में बनाया गया था;

(ख) इस रेलवे के निर्माण का सम्पूर्ण व्यय;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस रेल पथ की पटरियां तथा इंजन सभी बहुत पुराने हो चुके हैं और उन के बदले जाने की आवश्यकता है; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सन् १९१३ में।

(ख) १६,२५,१२७ रुपये।

(ग) और (घ). पटरियां सन् १९१३ में बिछाई गई थीं और २० मील फी घंटे की रफ़्तार से ट्रेनों के चलाये जाने के लिये अभी भी ठीक हैं।

जो पांच इंजन वहां काम कर रहे हैं उन में से २ को आई० आर० एस० इंजनों से बदल दिया गया है। अन्य ३ अभी सामान्यतया अगले आठ वर्षों में नहीं बदले जाने को हैं।

जिन ९ गाड़ियों को बदला जाना था, उन में से ५ को अगले तीन महीनों में और शेष ४ को सन् १९५३-५४ में बदल दिया जायेगा।

माल डब्बों को तभी बदला जाता है जब उन की अवस्था बदले जाने योग्य हो जाती है। इस लाइन पर ७० नये माल डब्बों के शीघ्र ही चालू किये जाने की आशा है।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं क्या सरकार इस लाइन को, नडियाड पर बड़ी लाइन से मिला देने के विचार से, बड़ी लाइन बना देने के प्रश्न की जांच कर रही है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं श्रीमान्।

श्री दाभी : क्या यह तथ्य है कि रेलवे पर्षद् के और इंजीनियरिंग के सह संचालक ने रेलवे यात्री संस्था को यह लिखा है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिये जाने के प्रश्न को पश्चिमी रेलवे के सामान्य प्रबन्धक को निर्दिष्ट कर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना अपेक्षित है।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि इस रेलव लाइन सन् १८८६ में बनाये गये थे जिस के परिणामस्वरूप उन भागों पर ट्रेनों की रफ्तार को बहुत कम कर देना होता है ?

श्री अलगेशन : इस रेलवे लाइन को श्रीमान् सन् १९१३ में बिछाया गया था। यही उत्तर मैं ने प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में दिया है।

केन्द्रीय कृषिसार समूह

*९०५. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में त्रावनकोर-कोचीन सरकार कृषिसारों की कितनी परिमात्रा केन्द्रीय कृषिसार समूह से प्राप्त करेगी ?

(ख) सन् १९५२ में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अल्वाये स्थान पर स्थित कृषिसार फैक्टरी में अमोनियम सल्फेट की कितनी परिमात्रा

बनाई गई और सन् १९५३ का सम्पूर्ण अनुमानित उत्पादन कितना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने ६,२०० टन अमोनियम सल्फेट की मांग की है और इस से उन की आवश्यकतायें पूर्ण हो जायेंगी।

(ख) सन् १९५२ में २०,१४२ टन अमोनियम सल्फेट बनाया गया था । सन् १९५३ का अनुमानित उत्पादन, फैक्टरी अधिकारियों के कथनानुसार, ४२,००० टन है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि क्या आवंटन करते समय भारत सरकार त्रावनकोर-कोचीन सरकार से अमोनियम सल्फेट के इस्तेमाल किये जाने के फलस्वरूप हुई खाद्यान्नों की बढ़ी हुई पैदावार के बारे में पूछताछ करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें इस का कुछ अनुमान है; परन्तु यदि माननीय सदस्य मुझ से यह चाहते हैं कि मैं जांच करूंगा, तो मैं करूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य का अभ्यंश निश्चित करते समय, क्या सरकार ने इस कृषिसार के काम में लाये जाने के परिणामों के सम्बन्ध में कोई जांच की थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने केवल ६,२०० टन की मांग की है । क्या वह सरकार कोई बच्चा है कि उस से बराबर और अधिक मांग करने के लिये कहा जाये । हमारा शायद यह विचार बन गया है कि देश के किसी और भाग में कोई और सरकार नहीं है और हमें ही देश की चप्पा चप्पा भूमि का भार उठाना चाहिये ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या अलवाए की फैक्टरी समेत सभी फैक्टरियों में कृषिसार के पर्याप्त स्टाक मौजूद हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तथ्य है क्यों कि इन का अधिक मूल्य होने के कारण बहुत सा माल स्टाक में पड़ा हुआ है । परन्तु हम सभी माल को काम में ले आने की आशा करते हैं ।

श्री पी० टी० चाको : क्या त्रावनकोर-कोचीन को दिया जाने वाला समस्त अभ्यंश अलवाए स्थित कृषिसार फैक्टरी में बनाये गये अमोनियम सल्फेट से पूरा किया जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : संभवतः हो सकता है श्रीमान्, परन्तु इस समय मैं ऐसा नहीं कह सकता ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष त्रावनकोर-कोचीन के उत्पादन में गंधक की कमी के कारण बाधा पड़ी थी, और क्या उन्हों ने उस की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था किये जाने का कोई प्रबन्ध किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मैं नहीं बता सकता, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि अमोनियम सल्फेट के वितरण में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में बहुत अधिक चोरबाजारी की जा रही है, और क्या मैं यह भी ज्ञात कर सकता हूं कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : चोर बाजारी किये जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे पास माल की कोई कमी नहीं है । चोर बाजारी तभी हो सकती है जब माल की कमी हो । पिछले वर्ष हमारे पास बहुत स्टाक था और इस वर्ष भी हमारा स्टाक काफी से अधिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिये ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि अमोनियम सल्फेट का वितरण सरकारी कृषि फार्मों के द्वारा किये जाने के स्थान पर त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने अब वितरण का काम एक निजी अभिकरण को सौंप दिया है, कृषिसार में मेल मिलावट कर के उसे अधिक मूल्य पर बेचता है और कृषकों को उधार की कोई सुविधा नहीं देता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रकार की किसी शिकायत का ज्ञान नहीं है ।

श्री केलप्पन : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि देश में बने कृषिसारों के मूल्य की तुलना में विदेशों से आयात किये गये कृषिसारों के मूल्य क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : आयात किये गये कृषिसारों के मूल्य कम थे, परन्तु जैसा कि सदन को विदित है हम ने गत वर्ष के ७५ रुपये प्रति टन के मूल्य की तुलना में इस वर्ष मूल्य बहुत कम कर दिये हैं और भाड़ा तथा अन्य मदों पर कमी की जाने के फलस्वरूप कोई १५ रुपया और अग्रेतर कमी हो जाने की आशा है ।

कच्छ में सड़कों का निर्माण

*९०६. **श्री जसानी** : (क) क्या यातायात मंत्री कच्छ में सन् १९४८ से अब तक बनाई गई सड़कों की सम्पूर्ण मील संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस के लिये कितनी निजी भूमि अवाप्त की गई और उस की कितनी क्षतिपूर्ति दी जायेगी ?

(ग) क्या कोई क्षति पूर्ति दी गई है, यदि हां, तो कितनी और अभी कितनी रकम दी जानी बाकी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३६७ मील के लगभग ।

(ख) ५००० एकड़ । दी जाने वाली क्षति पूर्ति की अनुमानित रकम कोई २.५ लाख रुपये है ।

(ग) स्थानीय प्रशासन क्षतिपूर्ति देने का प्रबन्ध कर रहा है ।

श्री जसानी : यद्यपि भूमि कोई चार वर्ष पहले अवाप्त की गई थी क्या मैं क्षतिपूर्ति दिये जाने में हुई देरी के कारण ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री अलगेशन : राज्य सरकार इस मामले की जांच कर रही है, और शीघ्र ही उस का भुगतान कर देगी ।

श्री जसानी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्षति पूर्ति का भुगतान करने में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन : स्थानीय सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

*९०७. **श्री गिडवानी** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार का ध्यान पटना में २६, २७ और २८ दिसम्बर, १९५२ को हुए अखिल भारतीय चिकित्सकीय सम्मेलन के २९वें अधिवेशन में पारित किये गये एक प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है, जिस में सरकार से संघ तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, विधान सभाइयों तथा भारतीय चिकित्सा संस्था के परामर्श से एक प्रभावशाली तथा तात्कालिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के बनाये जाने के लिये प्रार्थना की गई है ?

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् बनाई गई है जिस में केन्द्र और राज्यों के सभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस का मुख्य कृत्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी विभिन्न पहलुओं पर भली भांति विचार कर के उन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी रूप रेखा की सिफारिश करना होगा ।

जहां तक एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के बनाये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य परिमाप तथा विकास समिति द्वारा बनाई गई एक विस्तृत योजना तथा योजना आयोग द्वारा बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना पहले से ही मौजूद है और किसी अन्य योजना के बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान इसी सम्मेलन द्वारा पारित किये गये एक प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिस में भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम के जिसे उक्त संस्था द्वारा पूर्णतया घृणित तथा चिकित्सा व्यवसाय के आधारभूत सिद्धान्तों के बिल्कुल प्रतिकूल समझा गया है, वापस लिये जाने की मांग की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न इतना लम्बा है कि उस के अन्त तक पहुंचते पहुंचते हम उस के प्रारम्भिक भाग को भूल जाते हैं ।

श्री गिडवानी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार उक्त आयोग में चिकित्सा परिषद् किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का विचार करती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : कौन सा आयोग ?

श्री गिडवानी : राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ।

राजकुमारी अमृत कौर : यदि माननीय सदस्य का निर्देश चिकित्सा संस्था के किसी प्रतिनिधि के केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् में नियुक्त किये जाने की ओर है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है ।

श्री गिडवानी : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य के प्रश्न बहुत लम्बे और समझ में न आने योग्य हैं ।

श्री गिडवानी : मैं एक निश्चित प्रश्न पूछता हूं कि क्या चिकित्सा सम्मेलन ने इस बात की मांग की है कि चिकित्सकीय योग्यताओं का पंजीयन करने का जो अधिकार आज उसे प्राप्त था वह उस अधिनियम के द्वारा, जो सरकार इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है, वापस लिया जा रहा था?

राजकुमारी अमृत कौर : मेरी समझ में नहीं आता कि यह इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि माननीय सदस्य का निर्देश भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की ओर है, तो सरकार उस पुराने अधिनियम को बदलने के लिये एक विधेयक लाने का विचार कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक अधिनियमों का सम्बन्ध है, तो किसी विधेयक विशेष की विषय वस्तु क्या होगी इसे किसी प्रश्न का वाद विषय नहीं बनाया जाना चाहिये ।

जूट

*१०८. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारतीय केन्द्रीय जूट समिति द्वारा पाकिस्तान को अधिक अच्छी किस्म का जूट उगाने के सम्बन्ध में किये प्रयोग सफल रहे थे ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उत्तम प्रकार के जूट के विभिन्न जूट उगाने वाले क्षेत्रों में उगाये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और(ख). जूट कृषिकार्य अनुसन्धान संस्था, जिसे कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान करन के लिए केवल सन् १९४९ के अन्त में काफी भूमि मिली है, अधिक उत्तम प्रकार के जूट को खोज निकालने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य करती रही है, परन्तु ऐसे कोई परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं जिस से कि इसे बड़े पैमाने पर तुरन्त ही फैलाया जा सके। अधिक उत्तम प्रकार से खाद देने, पौध की देख रेख करने तथा सड़ा कर छाल अलग करने के सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धान कार्यों के परिणाम ज्ञात हो चुके हैं, और उन का प्रचार किये जाने के लिये उन को सम्बद्ध राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। अधिक उत्तम प्रकार से फसलें उगाने तथा सड़ा कर छाल अलग करने की प्रणालियों में सुधार करने के हेतु ऋणों तथा अनुदानों के दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि कृषि वित्त की कमी के कारण जूट उत्पादक जूट की किस्म को सुधारने में असमर्थ हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मेरे विचार से यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से भी नहीं होता है।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन प्रयोगों के लिये किस भूमि खंड को चुना गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्थानों के नाम तो मैं नहीं बता सकता हूं, परन्तु जैसा कि मैं ने मूल उत्तर में निवेदन किया है, हमें कुछ भूमि खंड सन् १९४९ के अन्त में प्राप्त हुए हैं।

श्री पी० टी० चाको : पश्चिमी समुद्री तट पर "अधिक जूट उपजाओ" के सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह नहीं बता सकता; मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रेणु चक्रवर्ती : इस अनुसन्धान विद्यालय पर सन् १९४९ से अब तक कितना सम्पूर्ण व्यय हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि मेरे पास आंकड़े नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विमली पत्तन में सुधरी हुई किस्म को निकालने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री बी० के० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सड़ा कर छाल उतारने तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में कृषि अनुसन्धान विद्यालय में भारतीय केन्द्रीय जूट समिति द्वारा किये गये प्रयोगों के फलस्वरूप प्राप्त हुए परिणामों को विभिन्न राज्यों ने किस प्रकार कार्यान्वित किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कदाचित् मेरे माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में मुझ से अधिक सूचना प्राप्त है क्योंकि वह जूट समिति के सदस्य हैं ?

भारतीय केन्द्रीय जूट समिति

*९०९. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय भारतीय जूट समिति के सदस्य कौन कौन हैं ; तथा

(ख) क्या यह समिति जूट तथा जूट की बनी वस्तुओं के विक्रय के सम्बन्ध में भी कोई जांच कार्य कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारतीय केन्द्रीय जूट समिति के सदस्यों के नामों की एक नवीनतम सूची सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) उक्त समिति जूट तथा जूट के बने माल का विक्रय अपने सामान्य कर्तव्यों का एक अंग समझती है ।

श्री के० जी० देशमुख : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई इसी प्रकार की जांच समिति को देखे हुए इस समिति का विशेष अभिप्राय क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : दोनों समितियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और उन के कृत्य भी एक दम स्पष्ट हैं । जहां तक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति का सम्बन्ध है, उस का अभिप्राय यह ज्ञात करना है कि उपयुक्त भूमि कौन सी है । वहां उसे सर्वोत्तम रीति से अब उगाया जा सकता है और वह कौन सी विभिन्न संस्थायें हैं, जिन के अन्तर्गत इसे प्रोत्साहन दिया जाये । जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति का सम्बन्ध है, उस के कृत्य इस से बिल्कुल भिन्न हैं । वह कदाचित् आयात-निर्यात आवश्यकताओं इत्यादि का अध्ययन करेगी ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस समिति द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, उससे यथा संभव शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा की जाती है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारतीय केन्द्रीय जूट समिति का भारतीय जूट मिल संस्था से कोई सम्बन्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ सदस्य ऐसे हैं जो दोनों में हैं । कुछ व्यक्ति जो यहां प्रतिनिधि हैं वह उस के भी सदस्य हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय जूट समिति की मासिक जूट पत्रिका भारतीय जूट मिल संस्था की मुखपत्रिका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से यह ठीक विवरण नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को विभिन्न जूट उत्पादक राज्यों से उक्त संस्था में और अधिक उत्तम प्रतिनिधान दिये जाने के संबन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे ऐसे कोई प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुए हैं ।

केन्द्रीय खाद (कम्पोस्ट) विकास समिति

*९१०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** २७ नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सभी प्रकार के खादों तथा कृषिसारों से सम्बन्ध रखने वाली केन्द्रीय समिति नियुक्त की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उस की निश्चित बनावट तथा कृत्य क्या होंगे;

(ग) अन्तर्ग्रस्त वार्षिक व्यय; तथा

(घ) क्या कम्पोस्ट, मलादि तथा पंकिल हड्डियों पर प्रस्तावित सामान्य उपकर के लगाये जाने के प्रश्न पर जिस के लगाये जाने

की सिफारिश खाद तथा कृषिसार सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने की थी, विचार कर के कोई निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). एक 'केन्द्रीय खाद समिति' स्थापित करने का निर्णय किया गया है, इस के सदस्य पांच विशेषज्ञ होंगे, जिन में से कुछ को मंत्रालय से और कुछ को राज्य सरकारों से लिया जायेगा और दो उत्पादकों को नामनिर्देशित किया जायेगा। इस समिति का कार्य खाद के सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धान कार्य के परिणामों का परीक्षण करना और अधिक उत्तम प्रकार से खाद के काम में लाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव देना होगा।

(ग) कोई २,००० रुपये।

(घ) इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह समिति पूर्णतया परामर्शदात्री समिति ही रहेगी या यह कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य भी करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह पूर्णतया परामर्शदात्री समिति ही रहेगी।

श्री एस० एन० दास : उस में राज्यों के कितने प्रतिनिधि रहेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने निवेदन किया कि उस में पांच विशेषज्ञ होंगे, और उन में से कुछ को मंत्रालय से और कुछ को राज्य सरकारों से लिया जायेगा। यह बात तो चुनाव करने पर निर्भर रहेगी।

श्री एस० एन० दास : क्या इस समिति की कोई प्रतिरूप समितियां राज्यों में भी होंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बात समिति के कार्यकरण की प्रगति पर निर्भर होगी। यदि हम को आवश्यक जान पड़ा तो उन को स्थापित किया जायेगा।

श्री के० जी० देशमुख : क्या कृषि सारों के वितरण के सम्बन्ध में भी इस समिति से परामर्श लिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि यह समझा गया कि इस सम्बन्ध में कोई परामर्श प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो समिति से परामर्श किया जायेगा परन्तु इस समय तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

परियोजना प्रशिक्षण केन्द्र

*९११. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न परियोजना प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिये जाने वाले विभिन्न विषय; तथा

(ख) विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को दी गई सुविधायें ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) कृषि, सहकारिता, पंचायतें, ग्राम्य गृह व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सफाई तथा स्वास्थ्य शिक्षा, पशु पालन तथा पशुचिकित्सा, प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार प्रणालियां।

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ५० रुपये प्रति मास तक की वृत्ति का तथा मुफ्त निवास स्थान तथा चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है।

श्री एल० जे० सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षण दिये जाने वाले विषय एक समान हैं अथवा प्रशिक्षण विषय विभिन्न केन्द्रों में विभिन्न हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में एकरूपता रखे जाने की प्रत्याशा है।

श्री एल० जे० सिंह : क्या माननीय मंत्री अब तक स्थापित किये गये केन्द्रों के राज्यवार नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यहां मेरे पास यह सूचना नहीं है, परन्तु मुझे विश्वास है कि मैं ने इसे किसी अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए दे दिया है ।

श्री गोपाल राव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये विद्यार्थियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ? अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सामान्य रूप से यह, कम से कम इस समय तो, राज्य सरकारों के कृषि विभागों में सेवायुक्त व्यक्तियों के लिये है । वह साधारणतया कृषि जमादार या सहायक के स्तर के होते हैं । शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की बात मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वह विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकती है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या स्वेच्छा से कार्य करने वाले ग्राम्य कार्यकर्त्ताओं को भी प्रशिक्षणार्थियों की भांति लिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो नहीं, आगे चल कर कदाचित् लिया जायेगा ।

श्री दाभी : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि बम्बई राज्य में यह परियोजना प्रशिक्षण केन्द्र कहां स्थापित किये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या इन प्रशिक्षणार्थियों के लिये कोई अर्हतायें निश्चित की गई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने इस का पहले ही उत्तर दे दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह राज्य सरकारों के कृषि वभागों के कर्मचारी हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या कोई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता होना आवश्यक नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकारी नौकरी में भरती किये जाने के लिये जो भी आवश्यक है ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रशिक्षणार्थियों को कितने समय तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मैं नहीं बता सकता, श्रीमान् ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : एक प्रश्न और, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सात अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे चुका हूं । अगला प्रश्न ।

इन्दौर-उज्जैन रेलवे लाइन

*९१२. **श्री राघवय्या** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इंदौर तथा उज्जैन के बीच बड़ी लाइन बनाये जाने का कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; तथा

(ग) सरकार इस रेलवे लाइन के बनाने का काम कब आरम्भ करने का विचार करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). इंदौर से उज्जैन तक बड़ी लाइन बनाने के लिये अभी अन्तिम रूप से परिमाप कार्य किया जाना है । इस लिये इस कार्य के छोड़ दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

श्री राघवय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उस ओर के निवासियों द्वारा कोई प्रतिनिधान किये गये हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ९१३ ।

श्रम-मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : इस प्रश्न संख्या ९१३ और ९२० को एक साथ लेंगे क्योंकि दोनों का विषय एक ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

कोयला खान भविष्य निधि

*९१३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खनिक भविष्य निधि के प्रन्यासी पर्षद् की सिफारिश के अनुसार कि खनिकों को भविष्य निधि में अंशदान उन के सम्पूर्ण पारिश्रमिक के आधार पर जिस में खाद्य सम्बन्धी दी गई सुविधा भी सम्मिलित है, लगाया जाये स्वीकृत कर ली गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : यह मामला विचाराधीन है ।

मजूरी सम्बन्धी सौमनस्य पर्षद्

*९२०. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को भारतीय राष्ट्रीय खनिक संघ तथा कोयला खनिकों के अन्य श्रम संगठनों से सन् १९४७ के सौमनस्य पर्षद् जो अब पुराना हो चुका है, के पंचाट के आधार पर निर्धारित की गई मजूरियों, भतों तथा खनिकों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के पुनरीक्षण किये जाने के लिये कोई सौमनस्य पर्षद् स्थापित किये जाने की प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि हां तो, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार कर रही है तथा कब तक ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) सौमनस्य पर्षद् या औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के मामले में सरकार बहुत शीघ्र ही कोई निर्णय करेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या गाडगिल समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : अवश्य, उन पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

पर्यटक यातायात

*९१४. **डा० अमीन** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९४८ से १९५२ तक प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा पर्यटक यातायात के प्रचार आन्दोलन पर व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि, ; तथा

(ख) सन् १९५२ में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या तथा जातीयता ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सन् १९४८ से १९५० तक पर्यटक प्रचार कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया । सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में हुआ व्यय क्रमशः ३,२०,८८२ रुपये तथा २,०७,४०९ रुपये था । जहां तक सन् १९५२-५३ का सम्बन्ध है, पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु यह अनुमान लगाया जाता है कि सम्पूर्ण व्यय ४ लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(ख) सन् १९५२ में जितने विदेशी पर्यटक भारतवर्ष में आये उन की संख्या २५,४४८ है । सन् १९५२ में विदेशों से आये पर्यटकों की जातीयता-वार संख्या देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१]**

डा० अमीन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष में इस पर्यटक यातायात से कितना विदेशी विनिमय अर्जित किया गया ?

श्री अलगेशन : इस का मोटे तौर पर अनुमान कोई २½ करोड़ रुपये लगाया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन दिनों यह पर्यटक यातायात बढ़ रहा है या कम हो रहा है ?

श्री अलगेशन : सन् १९५१ में इन की संख्या २०,००० थी, गत वर्ष यह संख्या २५,००० थी । यह बढ़ रहा है ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन पर्यटकों को रेल किरायों में कोई कमी की गई थी ?

श्री अलगेशन : जहां तक मुझे ज्ञात है नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नैतिक पुनःशस्त्रीकरण दल को, जो कि अभी हाल ही में यहां आया था, पर्यटक श्रेणी में रखा गया था और उस को वह सभी सुविधायें दी गई थीं ?

श्री अलगेशन : उस को कोई रियायतें नहीं दी गई हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : भारत में पर्यटक यातायात को और अधिक बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक सामान्य समस्या है । माननीय सदस्यों को विवरण पत्रिकायें तो मिल गई हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : परन्तु विवरण पत्रिकायें तो पर्यटकों को आकर्षित करती नहीं हैं ।

डा० अमीन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति इस पर्यटक यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक तर्क को छोड़ कर दूसरे को ले रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन में से किन्हीं पर्यटकों को विशेष ट्रेनों की सुविधा दी गई है ?

श्री अलगेशन : अगर उनको विशेष ट्रेनों की सुविधा दी गई होगी तो उन्होंने उस का भाड़ दिया होगा ।

चीनी बनाने वाली फ़ैक्टरियों को अवहार

*९१५. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी भी चीनी बनाने वाली फैक्टरी को सन् १९५२-५३ में गन्ने के लिये निश्चित किये गये न्यूनतम मूल्यों पर कोई अवहार दिया गया है, और यदि हां, तो कितनी फैक्टरियों को दिया गया है और किन आधारों पर दिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी हां, चीनी बनाने वाली फैक्टरियों को ३ पाई प्रति मन मील की दर से दिया गया था अधिकतम अवहार ३ आने प्रति मन तक उस समय दिया जाने को था जब कि फैक्टरी दरवाज़े पर गन्ने का मूल्य १ रु० ५ आने प्रति मन उस गन्ने के लिये नियत किया गया था जब कि उसे सड़क केन्द्र से फैक्टरी दरवाज़े तक कृषकों द्वारा उन की ही गाड़ियों में लाया जाये । एक विवरण, जिस में उन मामलों को दिखाया गया है जिन में ३ आने प्रति मन से अधिकार अवहार उन की अधिक दूरी के लिये अधिक भाड़ा दिये जाने की बात को ध्यान में रख कर । अथवा सड़कों की बुरी दशा होने के कारण, तथा किन्हीं अन्य विशेष कारणों से दिया गया था, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२]**

इन सभी मामलों में उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों या उन की सहकारी समितियों की रजामन्दी से अधिक अवहार दिया गया था ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उत्तर में बताये गये 'विशेष कारणों' से क्या आशय है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस शब्द में वह सभी विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं जिन को राज्य सरकारों की सहकारी समितियों ने सिफारिश कर के स्वीकार कर लिया है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस अवहार के दिये जाने के प्रति उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों तथा निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं प्रश्न के प्रथम भाग को समझ नहीं सका ।

श्री झूलन सिन्हा : उत्पादकों तथा निर्माताओं की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है या प्रतिकूल ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक इस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है । मेरे विचार से यह सन्तोषजनक है ।

श्री गोपाल राव : क्या गन्ना उगाने वालों से परामर्श किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां ।

श्री गोपाल राव : क्या आप नाम बता सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह विवरण में दिये हुए हैं । मेरे विचार से वह अधिकांशतया उत्तर प्रदेश के हैं ।

श्री शिवननजप्पा : क्या सरकार गन्ना-उपकर को हटा देने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान् । यह राज्य सरकार की चीज़ है । हमारा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

*९१६. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अभाव के दिनों में अनाज की कमी के कारण खाद्यान्नों की राशन व्यवस्था की गणना ९ से १२ औंस प्रति वयस्क प्रति दिन के आधार पर की गई है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि देश में किये गये पिछले न्यादर्श जांच से यह ज्ञात हुआ था कि अवयस्कों सहित खपत १८ औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) साधारणतया सरकारी दुकानों से दिये जाने वाले राशन की मात्रा १२ औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन है । राशन की समग्र परिमात्रा की गणना करने में अभाव वाले अथवा अन्य समयाविधियों में कोई विभिन्नता नहीं की जाती है ।

(ख) राष्ट्रीय न्यादर्श जांच का अनाज की १८·३ औंस प्रति दिन की खपत का अनुमान केवल मात्र देहाती जनसंख्या के सम्बन्ध में है, समस्त देश के लिये नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या त्रावनकोर-कोचीन में प्रति व्यक्ति दी जाने वाले अनाज की मात्रा १२ औंस प्रति दिन से कम नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जहां कहीं भी परिनियत राशन व्यवस्था चालू है, प्रति व्यक्ति मात्रा १२ औंस है । जहां सामान्य राशनिंग व्यवस्था है वहां दी जाने वाली मात्रा कुछ कम है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं उन क्षेत्रों में जिन के यह आंकड़े दिये गये हैं, दी जाने वाली अनाज की औसत परिमात्रा को ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या आप का आशय यह है कि आप समस्त भारत के आंकड़े चाहते हैं ? यह तो बहुत लम्बी सूची है । मैं सूची पढ़ कर सुना सकता हूं ।

श्री दाभी : क्या मैं राज्यवार देहाती क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति प्रति दिन की खपत ज्ञात कर सकता हूं, और क्या यह तथ्य है कि बम्बई और मदरास में प्रति व्यक्ति खपत सब से कम है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : राष्ट्रीय न्यादर्श जांच की पहली रिपोर्ट में केवल काल्पनिक आंकड़े दिये गये हैं । यह प्रथम जांच के परिणाम-स्वरूप प्राप्त हुए आंकड़े हैं और बिल्कुल काल्प-निक प्रकार के हैं । राष्ट्रीय न्यादर्श जांच रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम रूप से आंकड़ों को ज्ञात करने के लिये कुछ और जांच की जानी जरूरी है । यह अन्तिम आंकड़े नहीं हैं परन्तु यह तथ्य है कि देहाती क्षेत्र के मनुष्यों में अनाज की खपत नगरीय जनसंख्या से अधिक होती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने बताया कि जहां प्रतिबन्धित राशन व्यवस्था है वहां कम मात्रा दी जाती है । मैं ज्ञात कर सकती हूं कि इस का क्या कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस का कारण यह है कि परिनियत राशन क्षेत्रों में अनाज की खुली विक्री की अनुमति नहीं है और उन को अनाज केवल सरकारी दुकानों से ही लेना होता है । जहां भी प्रतिबन्धित राशन व्यवस्था है खुले बाज़ार से मन माना अनाज खरीदा जा सकता है ।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि मदरास और बम्बई राज्यों में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत सब से कम है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : राष्ट्रीय न्यादर्श जांच के अनुसार मैं आंकड़े दे सकता हूं । उत्तरी भारत के लिये उन्हों ने २०·७ औंस प्रति व्यक्ति की गणना की है, पूर्वी भारत, अंडमान तथा निकोबार सहित यह १८·४ औंस प्रति व्यक्ति है, दक्षिणी भारत के लिये यह १६·५ औंस है, और पश्चिमी भारत के लिये यह १४·५ औंस है ; मध्य भारत के लिये यह १६·५ औंस है, और उत्तर-पश्चिमी भारत के लिये यह २५·४ औंस है ।

श्री गोपाल राव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस न्यादर्श जांच के फलस्वरूप प्राप्त हुए आंकड़े वास्तविकता से कितने नज़दीक हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह काल्पनिक आंकड़े हैं । वह अन्तिम आंकड़े नहीं हैं ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार को विदित है कि गत कुछ वर्षों से त्रावनकोर-कोचीन की जनता को दी जाने वाली अनाज की मात्रा ६ औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन से भी कम थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पिछले वर्ष उन को कोई ९ औंस मिल रहा था । अब हम ने उसे बढ़ा कर १२ औंस कर दिया है ।

श्री पी० टी० चाको : गत वर्ष ४ १/२ औंस था ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ४ १/२ औंस तो समस्त राशन में चावल का भाग है ।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

***९१७. श्री झूलन सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय महिला खाद्य

परिषद् के संगठन तथा संचालन पर आज तक व्यय हुई सम्पूर्ण धन-राशि;

(ख) अर्जित लाभ अथवा उस में हुई हानि की परिमात्रा ; तथा

(ग) खाद्य अभाव को दूर करने में उसे प्राप्त हुई सफलता ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् को सन् १९५०-५१ से सन् १९५२-५३ तक दिये गये सहायता अनुदानों का यह विवरण है :

१९५०-५१ (मार्च १९५१ में समाप्त होने वाले ६ महीने में)	७०,००० रुपये
१९५१-५२	१,५०,००० रुपये
१९५२-५३	१,५०,००० रुपये

(ख) मार्च, १९५३ के अन्त तक ८३,५०० रुपये के शुद्ध होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) परिषद् का मुख्य कार्य अनुपूरक खाद्यों की खपत को लोक प्रिय बनाना है, और परिषद् को इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि परिषद् को दी गई रकम के मुकाबिले में अर्जित लाभ की प्रतिशतता क्या होगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं आंकड़े तो नहीं दे सकता हूं क्योंकि हम तो केवल अनुदान दे रहे हैं । यह एक अर्ध-सरकारी संगठन है । जितना भी धन हम उसे देते हैं, उसे वह सारे का सारा उपहारगृहों के खोलने में विनियोजित नहीं कर देती है । सरकार से उसे जो सहायता मिलती है उसे वह अपने संगठन पर भी व्यय करती है । यदि माननीय सदस्य यह आंकड़े चाहते हैं, तो मैं उन को यह आंकड़ें बाद को देने को तैयार हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समय देश में अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् की कितनी शाखायें कार्य कर रही हैं ? मैं ज्ञात करना चाहती हूं कि क्या सभी को सहायता अनुदान दिया जा रहा है, और यदि ऐसा है, तो प्रत्येक को कितनी धन राशि दी जा रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समस्त भारत में उस की ३५ शाखायें हैं । सारे देश में वह कोई १७ स्थायी उपहारगृह चला रही है । यह ३५ शाखायें विभिन्न प्रदर्शिनियों, मेलों तथा ऐसे स्थानों पर जहां अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, अस्थायी प्रदर्शन उपहारगृह चला रही हैं, यह उपहारगृह अस्थायी प्रकार के नहीं हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् की बिहार शाखा को कुछ अनुदान मिलता है अथवा उस का दिया जाना बन्द कर दिया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन सभी संस्थाओं को जो इस केन्द्रीय महिला खाद्य परिषद् से सम्बद्ध हैं, अनुदान दिये जाते हैं ।

श्री बंसल : यदि कोई शुद्ध लाभ होता है, तो इस नकद अनुदान को किस प्रकार काम में लाया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसे सेवा के विस्तार के लिये काम में लाया जाता है । यह परिषद् अत्युत्तम सेवा कर रही है । हमारी यह इच्छा है कि इस सेवा का लाभ समस्त देश को हो ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस लाभ को किस प्रकार काम में लाया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैं ने अभी निवेदन किया कि उसे इसी सेवा के विस्तार के लिये काम में लाया जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस पर्षद् को जो धनराशि सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है उस में क्या राज्य-सरकारों द्वारा दी गई धन-राशि भी शामिल है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जी हां । इस परिषद् को विभिन्न राज्य-सरकारों से भी कुछ सहायता अनुदान मिलता है । हमारा अनुदान मुख्य अनुदान होता है ।

डा० अमीन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि समस्त भारत की सम्पूर्ण जन संख्या के कितने प्रतिशत भाग को इस परिषद् की गतिविधियों से लाभ पहुंचता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: परिषद् का कहना है कि प्रत्येक स्थायी उपहारगृह में प्रति दिन औसत से १५०० से ५००० तक व्यक्ति आते हैं । माननीय सदस्य स्वयं अगणना कर के यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितने व्यक्ति इस से लाभ उठा रहे हैं ।

कैनेडियन मिशन

*९१८. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सहकारी तथा कृषि फार्मिग के कैनेडियन विशेषज्ञों को सहकारी तथा कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये आमंत्रित किया है और यदि हां, तो वह कब आयेंगे ?

(ख) उस मिशन के कितने सदस्य होंगे और उन के नाम क्या हैं ?

(ग) इस मिशन के सम्बन्ध में सरकार को कितना व्यय करना पड़ेगा और उक्त मिशन कितने स्थानों का दौरा करेगा ?

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश स्थित बिलासपुर को उस मिशन के यात्रा कार्यक्रम में, यह ज्ञात करने के लिये कि वहां चलने वाली कितनी सहकारी संस्थायें श्रेणी १ की सहकारी संस्थायें हैं, सम्मिलित करने की प्रस्थापना करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) सहकारिता तथा कृषि सम्बन्धी प्रणालियों में प्रशिक्षण देने के लिये किसी भी कैनेडियन मिशन को आमंत्रित नहीं किया गया है । परन्तु एक कैनेडियन कृषि सम्बन्धी तथा सहकारी मिशन अध्ययन दौरे के सिलसिले में यहां आया है ।

(ख) उक्त मिशन के सदस्य यह हैं : मिस्टर हावर्ड एल० ट्रूमैन, मिस्टर जे० एडवर्ड ओभियरा, रैवरैंड जोज़फ मैकिननौन और मिस्टर रोज़ेरियो एच० ट्रैम्बले ।

(ग) भारत सरकार द्वारा कोई भी खर्च नहीं किया जायेगा । उक्त मिशन २० स्थानों का दौरा करेगा । उन के यात्रा कार्य क्रम की एक प्रति तथा उन संस्थाओं के नाम की सूची जिन की उस के द्वारा जांच की जायेगी, सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३**]

कछुए के अण्डे

*९२१. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार को यह विदित है कि ४०,००० के करीब कछुए के अंडों की दिल्ली में खपत होती है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली राज्य सरकार ने भारत सरकार से खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के इस प्रकार से संशोधित किये जाने की प्रार्थना की थी जिस से कि ऐसे अपराध उस के अन्तर्गत आ सकें ?

(ग) भाग (ख) में वर्णित प्रकार से उक्त अधिनियम के संशोधित किये जाने में क्या कठिनाई है ?

(घ) क्या सरकार ने कोई प्रयोगशालीय जांच कराई है यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

(ङ) क्या यह तथ्य है कि अंडों की अत्यधिक मांग होने के कारण यह कार्यवाही कोई तीन या चार वर्ष से की जा रही है ?

(च) क्या यह तथ्य है कि कछुए के अंडे जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ङ). इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

(घ) खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला कुनूर में मुर्गी के अंडों पर किये गये प्रयोगों और बिहार आहारपोषण प्रयोगशाला, पटना, में कछुए के अंडों पर किये गये प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि उन दोनों के पोषक तत्वों में प्रायः कोई अन्तर नहीं है ।

(च) कछुए के अंडों की खपत के फल-स्वरूप हुआ कोई बुरा प्रभाव सरकार के देखने में नहीं आया है ।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यही अंडे सरकारी होस्टलों में रहने वाले संसद् सदस्यों को नियमित रूप से दिये जाते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: मेरी अपेक्षा माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी होनी चाहिए ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मंत्राणी महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या आजकल कछुए के अंडों का इस्तेमाल दिल्ली में काफी हो रहा है और इसके विषय में पत्रों में भी काफ़ी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: मैं ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। मेरे पास इस बारे में और ज्यादा इन्फर्मेशन (सूचना) नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मैं सरकार से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि वह इसके बारे में पूरी तहक़ीक़ात करके सारी बातें हाउस के सामने रखने की कृपा करे ?

राजकुमारी अमृत कौर: मेरे पास इस सवाल का जवाब यही है कि इस बारे में उनको स्टेट गवर्नमेंट से प्रार्थना करनी चाहिए

उपाध्यक्ष महोदय: केवल मात्र वही सदस्य जो अंडे खाते हैं अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री वी० पी० नायर: माननीय मंत्री ने अभी बताया कि उन दोनों के पोषक तत्वों में कोई अन्तर नहीं है। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन प्रयोगशालाओं में किये गये अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि यदि इन कच्छप जैसे सरी सृपों के अंडों को खाया जाये तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : जहां तक मुझे ज्ञात है, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस समय प्रश्न केवल कछुए के अंडों के सम्बन्ध में है ।

श्री बंसल : यदि दोनों अंडों के पोषक तत्वों में कोई अन्तर नहीं है तो क्या सरकार इनकी खपत को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्वाद तथा अन्य बातें भी तो हैं । अगला प्रश्न ।

कृष्णा के पुल पर दोहरी रेलवे लाइन

*९२२. **श्री गोपाल राव:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रेलवे यातायात में गतिरोध हो जाने की बात को ध्यान में रखकर कृष्णा नदी के पुल पर दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): जी नहीं, परन्तु पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में, कृष्णा ब्लोक हाउस और सीतानगरम उत्तरी के बिन के बीच के इस समय वर्तमान मिश्रित गेज को बड़ी और छोटी लाइन के पृथक् गेजों में बदल देने, तथा कृष्णा की पश्चिमी नहर पर बने रेलवे पुल को रेल लाइन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिये चौड़ा कर देने की प्रस्थापना है।

श्री गोपाल राव: क्या सरकार दोहरी लाइन बिछाने को तैयार है: यह था प्रश्न। इस का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अलगेशन: जी नहीं।

श्री राघवय्या: क्या रेल मंत्रालय को इस सम्बन्ध में तथा यह देखने के लिए कि यह कार्य यथा संभव शीघ्र पूर्ण हो जाता है कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

श्री अलगेशन: जी हां श्रीमान्। इस कार्य को यथा संभव शीघ्र किया जायेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को विदित है कि बेजवाड़ा तथा तेनालि के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाने के कारण इस विषय पर जनमत बहुत उग्र है ?

श्री अलगेशन: आय-व्ययक पर चर्चा होते समय इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। हम सभी संभव कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राघवय्या: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इसे पंच वर्षीय योजना के भाग १ के अन्तर्गत रखा गया है अथवा भाग २ के ?

श्री अलगेशन: यह पंचवर्षीय योजना के भाग १ में है।

उल्हास नगर के लिये रेलवे स्टेशन

*९२४. **श्री गिडवानी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उल्हास नगर (बम्बई राज्य) में रहने वाले विस्थापित व्यक्ति गत तीन वर्षों से कल्याण और टिटवाला तथा विठ्ठलवाडी और अम्बरनाथ के बीच दो रेलवे स्टेशनों के खोले जाने के लिए निरन्तर प्रतिनिधान कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि बम्बई के मुख्य यातायात संचालक ने अपने पत्र संख्या आर० सी० जी० १३४१ दिनांक २८ दिसम्बर, १९५१ के द्वारा श्री हन्दुर जेसवानी को यह उत्तर दिया था कि बम्बई सरकार की इच्छानुसार हम रेलवे के उत्तर पूर्वी सैक्शन में मील संख्या ३५$\frac{1}{8}$ पर एक नये फ्लैग स्टेशन को खोलने का निर्णय किया गया है;

(ग) यदि ऐसा है, तो उसके खोले जाने में इतनी देर होने के क्या कारण हैं; तथा

(घ) उक्त निश्चित स्थान पर वह स्टेशन कब खोला जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख)। जी हां।

(ग) कल्याण और टिटवाला के बीच स्टेशन बनाने योग्य स्थान की खोज करने के लिए बहुत विस्तृत पैमाने पर जांच कार्य किया जाने को था। जिस स्थान पर पहले स्टेशन बनाने का विचार था उसे बाद को नई बस्ती के लिए बनाई गई सड़कों इत्यादि की स्थिति के अनुसार बदलना पड़ा था, और

इस कारण नये नक़शे इत्यादि तैयार करने की आवश्यकता पड़ी थी ।

(घ) कल्याण और टिटवाला के बीच एक स्टेशन बनाने से सम्बन्धित कार्य के अगले छः महीनों में पूर्ण हो जाने की प्रत्याशा है । विठ्ठलवाडी तथा अम्बरनाथ के बीच एक स्टेशन बनाये जाने की प्रस्थापना अभी विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी: इस स्टेशन के बनकर पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन: मैंने अभी निवेदन किया है कि कल्याण और टिटवाला के बीच बनाया जाने वाला स्टेशन अगले छः महीनों में बनकर तैयार हो जायेगा । दूसरे स्टेशन को बनाने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को यह विदित है कि गत तीन वर्षों से जनता इसकी मांग कर रही है और मुख्य यातायात संचालक ने वायदा किया था कि इस मामले में यथा-संभव शीघ्रता की जायेगी ?

श्री अलगेशन: मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि प्रतिनिधान किये गये हैं, परन्तु नई बस्ती के नकशे में परिवर्तन किये जाने के कारण स्टेशन की स्थिति को भी बदलने पर बाध्य होना पड़ा था ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अलप सूचना प्रश्न और उत्तर

अरगाम स्वर्ण खानों का बन्द किया जाना

श्री केशवैयंगार: (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अरगाम स्वर्ण खानों के, जिन में कोई ४००० मज़दूर काम कर रहे हैं, बन्द कर दिये जाने की संभावना है ?

(ख) इस मामले की जांच करने के लिए क्या सरकार कोई आयोग नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) किसी आयोग की नियुक्ति का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री केशवैयंगार: जब तक कोई अन्तिम निर्णय न हो जाये तब तक यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री वी० वी० गिरि: यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नम्बियार: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री हमें इस बात की कोई प्रत्याभूति दे सकते हैं कि जब तक कि मामले पर पूर्ण रूप से विचार नहीं हो जायेगा, खानों को बन्द नहीं किया जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि: यह बात तो मैंने पहले ही निवेदन कर दी है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं उस खान में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : ३,५०० से ४,०००।

श्री वीरस्वामी: उस खान के बन्द कर दिये जाने का निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: उसका चलाना लाभप्रद नहीं है, और साथ ही खान इतनी गहराई तक पहुंच चकी है कि दुर्घटनायें होने का आशंका हर समय बनी रहती है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच कर रही है और राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या इस मामले के सम्बन्ध में श्रम नेताओं से कोई विचार विमर्श किया गया था ?

श्री वी० वी० गिरि : राज्य सरकार ने एक समिति के नियुक्त किये जानें का सुझाव दिया है और हम उस सुझाव पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री नम्बियार : यदि उक्त खान को बन्द कर दिया गया तो अनुमानत कितनी रकम के मूल्य के स्वर्ण की हानि होने की संभावना है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस प्रश्न का उत्तर इसी समय मेरे पास नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चित्तरंजन लोकोमोटिव फ़ैक्टरी

*९१९. **श्री बी० एन० राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव फ़ैक्टरी में रेल इंजनों तथा रेल डब्बों के निर्माण कार्य में फ़रवरी १९५३ तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त फ़ैक्टरी में बने कोई इंजन अथवा डब्बे इस समय काम कर रहे हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) फ़रवरी १९५३ के अन्त तक चित्तरंजन लोकोमोटिव फ़ैक्टरी में ५४ रेल इंजन बनाये गये थे । इस फ़ैक्टरी में रेलवे के यात्री डब्बे नहीं बनाये जाते हैं।

(ख) जी हां, जहां तक इंजनों का सम्बन्ध है।

(ग) ४९ इंजन।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*९२३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए भारत में सन् १९५० से कितने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये गये हैं ?

(ख) उनमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई ?

(ग) फ़सल बीमा योजना के लागू किये जाने के सम्बन्ध में क्या इन सम्मेलनों में कोई चर्चा हुई थी अथवा किन्हीं प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया था ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना भारत में लागू करने की प्रस्थापना करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). संख्या सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की रिपोर्ट

*९२५. **श्री चरक :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ में प्रस्तुत की गई अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ख) समिति द्वारा की गई किन किन सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की मुख्य सिफ़ारिशें एक विस्तार संगठन के स्थापित किये जाने, केन्द्र में एक परामर्शदात्री परिषद् के बनाये जाने, प्राप्त

परिणामों का मूल्यांकन करने, छोटी सिंचाई योजनाओं को विशेष आर्थिक सहायता देने तथा कृषिसारों और बीजों के लिए थोड़े समय के लिए ऋण सुविधायें दिये जाने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में थीं। भारत सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है। सन् १९५३-५४ से विस्तार संगठन के स्थापित किये जाने का प्रारम्भ किया जायेगा और ग्राम्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है। विशेष छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए १० करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान इस वर्ष से किया गया था और उसे अगले तीन वर्षों तक जारी रखने का विचार है। मूल्यांकन संगठन को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है और उत्तम बीज उत्पन्न करने तथा खाद देने की प्रणाली में विकास करने के हेतु सुझाव देने तथा स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए विशेष समितियां नियुक्त की जा रही हैं। कृष्कों को थोड़े समय के ऋण देने के लिए सन् १९५३-५४ में ८ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और रिज़र्व बैंक सहकारी संस्थाओं के द्वारा ग्राम्य-ऋण देने की व्यवस्था का विस्तार करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। जिन सिफ़ारिशों पर राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी है उन पर उन से विचार विमर्श किया जा रहा है।

मैसूर में खाद्य अभाव

*९२६. **श्री एन० राच्चया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर में दुर्भिक्ष से प्रभावित क्षत्रों का विस्तार और उन ज़िलों और ताल्लुकों के नाम जहां दुर्भिक्ष अवस्थायें अत्यधिक तीव्र हैं;

(ख) इस प्रकार हुई हानि की परिमात्रा;

(ग) दुर्भिक्ष पड़ने के प्राथमिक कारण; तथा

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता की क़िस्म ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) दुर्भिक्ष, जैसा कि इस शब्द से अभिप्रेत है मैसूर राज्य के किसी भाग में भी फैला हुआ नहीं है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ अभाव की सी स्थिति अवश्य पाई जाती। उन स्थानों के नामों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) जितनी हानि हुई है उसके वास्तविक आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं।

(ग) हम वर्ष वर्षा के साधारण रूप से न होने के कारण और इस के परिणामस्वरूप फ़स्लों के सूख जाने और पीने के पानी और चारे की कमी से यह अभावस्थिति उत्पन्न हुई है।

(घ) इस भारत सरकार ने अभाव सहायता दिये जाने के लिए १३ लाख रुपये का ऋण देने की प्रस्थापना की है और अग्रतर सहायता देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

स्विटज़रलैंड से रेलवे के यात्री डिब्बे

*९२७. **डा० अमीन** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलान की कृपा करगे :

(क) स्विटज़रलैंड से खरीदे गये विभिन्न श्रेणियों के यात्री डब्बों का तटीय मूल्य:

(ख) उस देश से अब तक खरीदे गये ऐसे डिब्बों की संख्या;

(ग) वह तिथि या तिथियां जिनको इन यात्री डिब्बों के व्यादेश दिये गये थे;

(घ) क्या स्विटज़रलैंड से मंगाये जाने वाले इन यात्री डिब्बों के व्यादेश अभी तक निलम्बित हैं, और यदि हां, तो उनके कब तक प्राप्त होने की आशा है; तथा

(ङ) आयात किये गये यात्री डब्बों के मूल्य भारत में बनाये गये डब्बों के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण जिसमें स्विस कम्पनी द्वारा भेजे गये विभिन्न प्रकार के यात्री डिब्बों के मूल्यों के सम्बन्ध व्यौरे जैसे फैक्टरी मूल्य, भाड़ा, आयात शुल्क इत्यादि दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संदुया ३५]**

(ख) १०२।

(ग) दिसम्बर १९४९—दो ढांचे तथा ५० पूर्ण रूप से तैयार यात्री डिब्बे।

जनवरी १९५१—५० बिना सजावट किये हुए यात्री डिब्बे।

(घ) दूसरे व्यादेश में जो ५० यात्री डिब्बे मंगाये गये थे वह अभी नहीं आये हैं। उनके सन् १९५३-५४ में आ जाने की प्रत्याशा है।

(ङ) इसी बनावट के यात्री डिब्बे अभी भारत वर्ष में नहीं बनाये जाते हैं, परन्तु सामान्यतः भारत में बनाये जाने वाले यात्री डिब्बों की लागत उसी प्रकार के डिब्बों के आयात परिव्यय से काफ़ी कम होती है।

पंजाब में शाखा पोस्ट आफ़िस

*९२८. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **संचरण** मंत्री पंजाब में सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में खोले गये शाखा पोस्ट आफ़िसों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) पंजाब के कितने शाखा पोस्ट आफ़िस आत्मावलम्बी हैं ?

(ग) सन् १९५३-५४ में पंजाब में कितने शाखा पोस्ट आफ़िसों के खोले जाने की प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) ३२७, इन में से २८३ सन् १९५१-५२ में और ४४ सन् १९५२-५३ में खोले गये थे।

(ख) (१) इन ३२७ शाखा पोस्ट आफ़िसों में से २६ आत्मावलम्बी हैं।

(२) समस्त पंजाब सर्किल को एक साथ लेते हुए, स्थिति यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५२ को कार्य कर रहे ३,२५१ डाकखानों में से केवल १,४३७ डाकखाने आत्मावलम्बी थे।

(ग) देहाती डाकखानों के खोले जाने सम्बन्धी नीति शीघ्र ही निश्चित की जाने को है। यह नीति डाकखाने जिस क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे उसकी जनसंख्या तथा किसी वर्तमान डाकखाने से नये खोले जाने वाले डाकखाने की दूरी के आधार पर बनाई जायेगी। पंजाब में खोले जाने वाले डाकखानों की संख्या इस नीति के परिपालन पर निर्भर होगी।

लाख व्यापार

*९२९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में भारत में उत्पादित लाख की परिमात्रा :

(ख) इसी अवधि में अन्य देशों को निर्यात की गई लाख की परिमात्रा,

(ग) उत्तर प्रदेश में लाख का उत्पादन भारत के समस्त उत्पादन का कितना प्रतिशत है;

(घ) क्या मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) का लाख का व्यापार कम होता जा रहा है, और यदि हां, तो उसके कारण;

(ङ) लाख के व्यापार में कौन सा अन्य देश भारत का प्रतियोगी है; तथा

(च) भारतीय लाख व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ग) समस्त भारत में उत्पादित लाख में उत्तर प्रदेश में उत्पादित लाख का प्रतिशत भाग इस प्रकार है :

वर्ष	प्रति शत भाग
१९४९-५०	०.३
१९५०-५१	१.२
१९५१-५२	०.८

(घ) जी हां, कारण यह है कि लाख उत्पादक ज़िलों (जैसे बिहार और मध्य प्रदेश) से मिर्ज़ापुर को लाख का भेजा जाना वहीं चपड़ा बनाने की फ़ैक्टरी स्थापित हो जाने के कारण बन्द हो गया है, क्योंकि लाख उत्पादक क्षेत्रों में ही चपड़ा बनाना अधिक सस्ता पड़ता था ।

(ङ) थाईलैंड ।

(च) लाख उत्पादन के तरीकों को सुधारने तथा उन्हें विकसित करने और भारतीय लाख को बाज़ारों में लाभ पर बेचने की व्यवस्था करने के लिए भारतीय लाख उपकर समिति स्थापित की गई है । इस समिति के अधीन भारतीय लाख अनुसन्धान विद्यालय है जो लाख पर कैटिकीय तथा रासायनिक दोनों प्रकार का अनुसन्धान कार्य कर रहा है और उसने चपड़ा लाख के बहुत से इस्तैमाल खोज निकाले हैं ।

भारतीय नौपरिवहन समवाय

*९३०. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या यातायात मंत्री उन भारतीय नौपरिवहन समवायों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो भारत के समुद्रपार व्यापार में लगे हुए हैं ?

(ख) प्रत्येक के पास कितना टन भार है ?

(ग) सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में भारत के आयात-निर्यात व्यापार में उनको कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हो सका

(घ) उनमें से कितनों ने अपनी विस्तार योजनाओं को तैयार कर लिया है ?

(ङ) उनमें से प्रत्येक को कितना ऋण दिया जाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

(१) सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कं० लिमिटेड, बम्बई

२,०५,६२० सकल पंजीबद्ध टन भार जिसमें से केवल ९०,२९६ सकल पंजीबद्ध टन भार समुद्र पार व्यापार में लगा हुआ है ।

(२) इंडियन स्टीमशिप कं० लिमिटेड कलकत्ता

५८,३३२ सकल पंजीबद्ध टन भार

(३) ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई

१४,४३३ सकल पंजीबद्ध टन भार

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जितना भी सरकार को ज्ञात है, उसके अनुसार ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ने अपनी विस्तार योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ।

(ङ) अभी तक किसी भी कम्पनी से ऋण दिये जाने की प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

भीलवाड़ में बिनौलों के लिये माल डब्बों का आवंटन

*९३१. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिनौलों को पश्चिमी रेलवे के स्टेशनों पर और विशेषकर भीलवाड़ा स्टेशन पर बुकिंग के लिए अप्राथमिकता प्राप्त वस्तु समझा जाता है;

(ख) क्या स्थानीय व्यापारियों को गत एक मास से बिनौलों का लदान करने के लिए माल डिब्बों का कोई आवंटन नहीं मला है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिमी रेलवे में बिनौलों के लदान को अप्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में रखा जाता है।

(ख) यह तथ्य नहीं है कि भीलवाड़ा के स्थानीय व्यापारियों को गत एक मास से बिनौलों का लदान करने के लिए माल डब्बों का आवंटन नहीं मिला है।

दालों की कृषि में लगी भूमि

६३३. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य में भूमि का एकड़ों में वह क्षेत्रफल जिसमें सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में प्रत्येक प्रकार के अनाजों की कृषि की गई थी; तथा

(ख) प्रत्येक राज्य में भूमि का एकड़ों में वह क्षेत्रफल जिसमें सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में प्रत्येक प्रकार की दालों की कृषि की गई थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७]**

बांसवाड़ा-रतलाम रेलवे लाइन

६३४. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार बांसवाड़ा को रतलाम से या दोहद से या उदयगढ़ से मिलाने के लिए कोई रेल लाइन बिछाने की प्रस्थापन करती है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार इनमें से किसी भी लाइन को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी नहीं।

सोनपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण

६३५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सोनपुर (उत्तर-पूर्वी) रेलवे स्टेशन के पुनःनिर्माण के लिए स्वीकृत रकम: तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि सोनपुर के रेलवे प्लेटफार्म पर छत डालने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६.७७ लाख रुपये।

(ख) जी नहीं, लोहे के ढांचे को जोड़ने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है।

राजस्थान में रेलवे एजेंसियां

६३६. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में राजस्थान में खोली जाने वाली आउट ऐजेन्सियां की संख्या;

(ख) क्या वहां की जनता में कोई प्रतिनिधान तथा सम्बद्ध सचालकों से कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है; तथा

(ग) क्या डूंगरपुर की जनता ने एक रेलवे आउट एजैन्सी के खोले जाने की मांग की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) टौंक, बिगून, शिवगज, सुमेरपुर, डूंगरपुर, शाहपुरा और पदमपुर में रेलवे आउट एजैन्सियां खोलने की प्रस्थापना की स्थानीय असैनिक अधिकारियों के परामर्श से रेलवे प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

गौहाटी की रेलवे बस्ती में अग्निकांड

६३७. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान उन अग्निकांडों की ओर दिलाया गया है जो २९ जनवरी, १९५३ और २ फ़रवरी १९५३ को गौहाटी की रेलवे बस्ती में हुए थे ?

(ख) बेघरबार हो जाने वाले रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की संख्या क्या है ?

(ग) उनको निवासस्थान देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को उनकी हानि के लिए क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) १३० रेलवे कर्मचारी और सब मिलाकर कोई ५१० व्यक्ति, अपने परिवारों सहित, २९ जनवरी और २ फरवरी, १९५३ को लगी आगों से प्रभावित हुए थे।

(ग) सभी प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त ही रेलवे इन्स्टीट्यूट, रेलवे स्कूल और सहायक इंजीनियर के कार्यालय के एक भाग में स्थान दे दिया गया था। उनके लिए अस्थायी निवासस्थानों का प्रबन्ध करने के हेतु कटिहार से ५० काम में न आ सकने योग्य माल'डब्बों के मंगाने की व्यवस्था की गयी है। स्थायी आवासस्थान बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(घ) आपात सहायता के रूप में उनको कम्बल, बरतन भांडे, और एक सप्ताह का राशन दिया गया था। अग्निकांडों से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को एक महीने का अग्रिम वेतन दिये जाने की स्वीकृति दे दी गई है। बच्चों के लिए वस्त्रों का प्रबन्ध किया गया और स्थानीय अधिकारियों ने दूध तथा कुछ कपड़े भेजे। निजी सम्पत्ति की हुई हानि के क्षतिपूर्ति दावों पर नियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

भेड़ का ऊन

६३८. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में उत्तम प्रकार का भेड़ का ऊन तैयार करने के लिए क्या कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम जहां यह तैयार किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् राज्य सरकारों के सहयोग से भारत के सुप्रसिद्ध ऊन उत्पादक इलाक़ों में भेड़ तथा ऊन के विकास के लिए एक प्रादेशिक योजना को आर्थिक सहायता दे रही है। उद्देश्य उत्तम प्रकार के भेड़े और भेड़ों की नस्ल बढ़ाना है जिसमें ऊन

अधिक प्राप्त हो तथा अधिक उत्तम प्रकार का हो।

(ख) (१) **हियालय का समक्षीतोष्ण क्षेत्र**—प्रादेशिक कार्यालय उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में स्थित पीपलकोटी में है और ऊन जांच प्रयोगशाला देहरादून में ज़िले में कालसी स्थान पर है। दो सहायक केन्द्र काश्मीर में बनिहाल फ़ार्म और हिमाचल प्रदेश में हैं।

(२) **शुष्क उत्तरी क्षेत्र**—मुख्य केन्द्र राजस्थान में है तथा एक उप केन्द्र जोरिया (बम्बई राज्य) में है।

(३) **दक्षिणी क्षेत्र**—मुख्य केन्द्र तथा ऊन अनुसन्धान प्रयोगशाला पूना में स्थापित की गई है, और दो उप केन्द्रों में से एक मैसूर में है तथा दूसरा नीलगिरि (मदरास) में है।

(४) **पूर्वी क्षेत्र**—मुख्य केन्द्र बिहार में है और एक उप केन्द्र कालिंपोंग (दार्जिलिंग) में है। (यह इस वर्ष प्रारम्भ किया जायगा)।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष (सहायता तथा स्वास्थ्य योजना)

६३९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि भारत में किये गये विभिन्न सहायता तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष द्वारा अब तक व्यय किये गये धन की अनुमानित रक़म ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८**] यही सूचना श्री रामाराव के १४ फ़रवरी १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के सम्बन्ध में दी गई थी।

नलकूप

६४०. **श्री बी० के० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिंचाई कार्य के लिए विभिन्न राज्यों को सन् १९५२ में नलकूप योजनाओं के लिए आवंरित की गई रक़में;

(ख) प्रविधिक सहकारिता क़रार-निधि तथा दस करोड़ रुपये की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए रखी गई निधि में से दी गई धन राशियां; तथा

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा सन् १९५२ में गलाये गये नलकूपों की संख्या ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नीचे दी गई रक़मों के ऋण सन् १९५२ में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब राज्य सरकारों को, उनके द्वारा मैसर्स एसोसियेटेड ट्यूबवैल्स लिमिटेड के साथ किये गये ९६५ नलकूप गलाने के क़रार के सिलसिले में, तथा बम्बई सरकार को, उसके द्वारा मैसर्स नैशनल ट्यूबवैल्स लिमिटेड के साथ किये ४०० नलकूपों के गलाने के क़रार के सिलसिले में, स्वीकृत किये गये थे।

उत्तर प्रदेश	६७.५ लाख रुपये
बिहार	४५.७४ लाख रुपये
पंजाब	१८.७८ लाख रुपये
बम्बई	४० लाख रुपये

(ख) उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार तथा पैप्सू के २००० नलकूप गलाने के कार्यक्रम के सिलसिले में १३ लाख डालर प्रविधिक सहकारिता क़रार निधि से दिये जा चुके हैं। १० करोड़ रुपये की छोटी सिंचाई योजना निधि से अभी तक ४१.५३ लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण के रूप में दिये गये हैं।

(ग) २००० नलकूपों वाली प्रविधिक सहकारिता क़रार ट्यूबवैल्स योजना अभी

प्रारम्भ हुई है भाग (क) में वर्णित योजना के अन्तर्गत सन् १९५२ में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा बम्बई में गलाये गये नलकूपों की संख्या इस प्रकार है :

उत्तर प्रदेश	१९०
बिहार	१०५
पंजाब	११८
बम्बई	१८

तामलुक शाखा पोस्ट आफ़िस (टैलीफ़ोन कनैक्शन)

६४१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) तामलुक शाखा पोस्ट आफ़िस (पश्चिमी बंगाल) में कब टैलीफ़न कनैक्शन लगाया गया;

(ख) क्या जनता टैलीफ़ून का लाभ उठाती है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि टैलीफ़ून की लाइन बार बार बिगड़ जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; तथा

(ङ) क्या सरकार तामलुक नगर में निजी व्यक्तियों तथा दलों को टैलीफ़ून कनैक्शन देने की प्रस्थापना करती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २९ सितम्बर, १९५२ ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं, परन्तु अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह तथा नवम्बर १९५२ के प्रथम सप्ताह में चार बार गड़बड़ी हुई थी और इसका कारण अधिकतर जानबूझ कर चीनी के बने अवरोधकों का तोड़ डाला जाना था ।

(घ) यह मामला स्थानीय पुलिस अधिकारियों में लाया गया है ।

(ङ) अभी तक निजी संस्थाओं की ओर से कोई मांग नहीं की गई है । यदि २५ प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जायेंगे , तो एक टैलीफ़ून एक्सचेंज के स्थापित किये जाने की प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा ।

प्रौढ़ असैनिक प्रशिक्षण योजना

६४२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या जो ३१ दिसम्बर, १९५२ को प्रौढ़ असैनिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रविधिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे;

(ख) उसी तिथि को कितने व्यक्ति, विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रविधिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे; तथा

(ग) कितने विस्थापित व्यक्ति तथा किन किन राज्यों में इस समय शिक्षाधीनों की भांति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ७९९९ ।

(ख) २४३३ ।

(ग) उत्तर प्रदेश में ३७५ और पश्चिमी बंगाल में ३२० ।

तीसरी श्रेणी के यात्रियों को सुख सुविधायें

६४३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वह सुख सुविधायें जो रेलवेज़ में सन् १९४७ से दी गई हैं;

(ख) सन् १९४७ से पूर्व तीसरी श्रेणी के यात्रियों को जो सुख सुविधायें प्राप्त थीं उनकी तुलना में और क्या नई सुख सुविधायें उनको दी गई हैं; तथा

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लाभ तथा सुविधा के लिए

किन सुधारों के किये जाने की प्रस्थापना की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) रेलवेज़ में सन् १९४७ से जो सुविधायें दी गई हैं उनको बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में यात्री सुविधाओं पर प्रत्येक वर्ष तीन करोड़ रुपये व्यय करते चले जाने का विचार है कार्य की विस्तृत रूपरेखा स्थानीय परामर्शदात्री समिति की सुविधा उपसमिति के परामर्शानुसार निश्चित की जा रही थी और भविष्य में उनका निश्चयन स्थापित की जाने वाली उपभोक्ता समिति के परामर्शानुसार किया जाया करेगा ।

तिल का उत्पादन

६४४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तिल के उत्पादन में लगी भूमि के क्षेत्रफल में सन् १९५२-५३ में गत वर्षों के आंकड़ों की अपेक्षा कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल (एकड़ों में) कितना है; तथा

(ग) क्या उत्पादन भी बढ़ गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, कोई ०.४ प्रतिशत ।

(ख) २१,००० एकड़ के लगभग ।

(ग) जी हां, १०,००० टन ।

तार के पते

६४५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अंग्रेजी की भांति देवनागरी लिपि में भी तार के संक्षिप्त पते पंजीबद्ध कराने की कोई सुविधायें विद्यमान हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या पंजीयन की दरें अंग्रेजी जैसी ही हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । यदि एक ही संक्षिप्त पता हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों के लिए पंजीबद्ध कराया जाये तो देवनागरी में पंजीयन कराने का अतिरिक्त व्यय सामान्य-शुल्क की एक चौथाई है ।

देशी जड़ी बूटियां

६४६. **श्री जजवाड़े** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने चोपड़ा समिति के सिफ़ारिशानुसार उन देशी जड़ीबूटियों के जो देश में सर्वत्र पाई जाती हैं, परिमाप का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०**]

रेलवे की भूमियां

६४७. **श्री नम्बियार** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि श्रेणी 'क' की भूमियों को रेलवे कर्मचारियों को पट्टे पर दिये जाने सम्बन्धी प्रणाली हाल ही में कुछ बदल दी गई है, यदि हां, तो क्यों;

(ख) क्या यह तथ्य है कि राजस्व अधिकारी रेलवे कर्मचारियों के जो कि उनका बहुत दिनों से उपयोग कर रहे थे, दखल के

अधिकार की उपेक्षा करके इन भूमियों को नीलाम कर रहे हैं; तथा

(ग) क्या इन नवीन परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सन् १९४२-४३ से चली आ रही प्रणाली में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) रेलवे द्वारा राज्य-सरकारों को दी गई अस्थायी अतिरिक्त रेलवे भूमि को कृषकों को पट्टे पर दिये जाने का कार्य कुछ मामलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना निकाल कर तथा नीलाम करके किया जा रहा है । ऐसे मामलों में रलवे कर्मचारियों अथवा अन्य कृषकों को कोई भी दखीलकारी अधिकार न दिये जाते हैं और न वह प्राप्त ही होते हैं ।

(ग) भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

कच्छ और मांडवी के बम्बई जाने वाले यात्री

६४८. **श्री गिडवानी**: (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कच्छ और मांडवी के बम्बई को जाने वाले बहुत से यात्री, जोकि सरस्वती जलयान पर सवार होना चाहते थे, जनवरी, १९५३ के प्रथम सप्ताह में तूफ़ानी मौसम तथा दृश्यता के कम होने के कारण देशी नावों में पांच मील तक समुद्र में बह गये थे ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस दुर्घटना में यात्रियों की कोई ७५,००० रुपये के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई थी ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को होने से रोकने तथा तूफ़ानी मौसम में बीच समुद्र में जहाज़ों पर सवार होने की सुविधा देने के हेतु रक्षात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे ?

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां । ६ जनवरी को दो देशी नावें, जोकि यात्रियों को किनारे से जहाज़ तक ले जा रही थीं, दृश्यता की कमी तथा अचानक ही तूफ़ानी मौसम हो जान के कारण , खुले समुद्र में बह गई थीं । उन को बिना किसी प्रकार की जीवन हानि हुए बड़ी हिफ़ाजत से वापस खींच लाया गया था ।

(ख) यह सूचना प्राप्त हुई है कि व्यक्तिगत सामान के कोई ५०-६० बंडल पानी में गिर पड़े थे । इस प्रकार नष्ट हुई सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) कच्छ सामान्य पत्तन (यात्री जलयान) नियमों के जिनमें ऐसी देशी नावों को उनके समुद्रगम्या होने योग्य का लाइसेंस देने तथा सुरक्षात्मक उपकरणों के पर्याप्त मात्रा में रखे जाने का प्रावधान किया गया है, शीघ्र ही लागू किये जाने की प्रत्याशा है । इस बीच, अन्तरिम काल के लिए प्रावधान करने के हेतु, कच्छ के मुख्य आयुक्त इन देशी नावों को लाइसेंस दिये जाने , उनकी नौगम्यता की जांच किये जाने, उनकी क्षमता मालूम किये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में तथा जल पुलिस द्वारा समस्त यातायात के नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सूचनायें जारी करने वाले हैं । इसके अतिरिक्त तूफ़ानी मौसम में सहायता देने के लिए एक जलयान को क्रय करके मांडवी में रखन की भी प्रस्थापना की गयी है ।

रेलवे के सामान का वर्गीकरण

६४९. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पैराम्बुर में रेलवे के सामान के बेकार तथा कार्य के अयोग्य घोषित करने का कार्य भांडार अधिकारी करता है अथवा यह निश्चय करने के लिये कि कौन कौन सी वस्तुयें रद्दी हो गई हैं अथवा नहीं कोई पर्षद् है जिसके सदस्यभोंडार अधिकारी, मिकैनिकल अधिकारी तथा लेखा-परीक्षा अधिकारी हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक स्थायी परिमाप समिति, जिसके सदस्य भांडार अधिकारी तथा यांत्रिक, विफुत, इंजीनियरिंग तथा लेखा विभागों में से प्रत्येक का एक एक अधिकारी होते हैं, उन वस्तुओं को छांट कर अलग करती है जिनको नष्ट कर देना अभिप्रेत होता है ।

फ़स्ल तथा मिट्टी विभाग की सफारिशें

६५०. **श्री चिनारिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे फस्ल तथा मिट्टी विभाग की मार्च १९५२ में हुई बैठक में की गई सिफ़ारिशों को, जहां तक उनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार है, किस सीमा तक कार्यान्वित कर दिया गया है ?

(ख) क्या कृषि कार्य के यंत्रीकरण के विषय पर विचारविमर्श किया गया था, और यदि हां, तो किनके द्वारा किया गया था तथा उनके परिणाम क्या निकले ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ४१)**

(ख) "कृषि कार्य का यंत्रीकरण जहां तक ट्रैक्टरों द्वारा काम किये जाने का सम्बन्ध है" एक विषय था जिस पर सन् १९५२ में इन्दौर में हुई फस्ल तथा मिट्टी विभाग की बैठक में चर्चा की गई थी । उस बैठक में इस विषय पर की गई विभिन्न सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही को भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट विवरण में सम्मिलित कर लिया गया है ।

भारतीय नौपरिवहन समवायों द्वारा ले जाया गया माल

६५१. **श्री इय्युन्नी** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय समुद्र तट के सहारे भारतीय नौपरिवहन समवायों द्वारा ले जाये गये माल की प्रतिशतता क्या है, तथा विदेशी समवायों द्वारा ले जाये गये माल की प्रतिशतता क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सन् १९५२ में भारतीय समुद्र तट के सहारे सहारे जाने वाले माल का ९६ प्रतिशत भाग भारतीय नौपरिवहन समवायों द्वारा तथा शेष ४ प्रतिशत भाग विदेशी नौपरिवहन समवायों द्वारा ढोया गया था । सन् १९५३ में अब तक, भारतीय समवायों ने तटीय व्यापार की ९९ १/२ प्रतिशत से भी अधिक भाग ढोया है ।

दिल्ली में छोटे डाकखाने

६५२. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में छोटे डाकखाने की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उनमें से अधिकांश के स्थान बहुत असन्तोषजनक हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८६, इसमें नई दिल्ली के ५० छोटे डाकखाने सम्मिलित हैं ।

(ख) इनमें से २४ डाकखानों की वर्तमान इमारतों को पर्याप्त नहीं समझा जाता । स्वयं विभागीय इमारतें बनाकर अथवा

उपयुक्त इमारतों को किराये पर लेकर अवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है।

सैन्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया के कर्मचारियों को लाभांश

६५३. **श्री तुषार चटर्जी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सैन्ट्रल बैंक आफ़ इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभांश में कटौती कर दी है, यदि हां, तो लाभांश की सामान्य दर क्या थी और कितनी कटौती की गई है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इस कटौती से कर्मचारी बहुत क्षुब्ध हो गये हैं; तथा

(ग) लाभांश दर में की गई कटौती को पुन: दिलाये जाने का सुनिश्चयन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) पिछले कुछ वर्षों में बैंक तीन महीने के वेतन के बराबर लाभांश देता रहा है, अब सन् १९५२ से उसने उसे घटाकर दो महीनों के वेतन के बराबर कर दिया है।

(ख) बैंक के कर्मचारियों की ओर से सरकार को प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं।

(ग) समस्त प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

नगरपालिका के कर्मचारी

६५४. **श्री रामानन्द दास:** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका के मेहतर भंगी इत्यादि कर्मचारी भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम तथा भारतीय श्रम विवाद अधिनियम अथवा देश के किन्हीं अन्य श्रम सम्बन्धी अधिनियमों के अन्तर्गत आते हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि कई राज्यों में इन श्रेणियों के नगरपालिका कर्मचारियों को कार्मिक संघ अधिनियम तथा अन्य श्रम सम्बन्धी अधिनियमों से अपवर्जित कर दिया गया है और इस कारण उनको भारत सरकार द्वारा दी गई श्रम अधिनियमों सम्बन्धी सुविधा तथा अन्य कल्याणकारी उपबन्धों का लाभ नहीं मिलता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) और (ख). मेहतर और भंगी जैसे नगरपालिका कर्मचारी भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। अन्य श्रम सम्बन्धी क़ानून, जैसे खान अधिनियम, फ़ैक्टरी अधिनियम, केवल विशेष प्रकार के कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि इन श्रेणियों के नगरपालिका कर्मचारियों को इन श्रम सम्बन्धी अधिनियमों के लाभों से वंचित किया जाता है। सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में भूमि की अवाप्ति

६५५. **श्री बीरेन दत्त:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा कितनी निजी भूमि तेलियामूरा-खोआई, खोआई-कजछेड़ा और उदयपुर-अगरतला सड़कों को बनाने के लिए अवाप्त की गई है अथवा अधियाचित की गई है ?

(ख) जो कृषक इन भूमियों पर से निष्कासित किये गये हैं उनको क्या क्षतिपूर्त्ति दी गई है ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो सरकार उस क्षतिपूर्त्ति को कब तथा किस दर से देने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खोआई-कज़छेड़ा सड़क के बनाने के लिए हाल ही में अधियाचित की गई भूमि की छोटी सी पट्टी के अतिरिक्त, केवल ८०.७६ एकड़ भूमि खोआई-तेलियामूरा सड़क के लिए अवाप्त की गई है। उदयपुर-अगरतला सड़क का निर्माण तो बहुत पहले ही हो चुका था और हाल ही में उसके लिए कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(ख) अभी तक कुछ नहीं।

(ग) क्षतिपूर्ति का भुगतान भूमि अवाप्ति न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की दर के निश्चित कर दिये जाने के बाद किया जायेगा।

छोटी सिंचाई योजनायें

६५६. **श्री जनार्दन रैड्डी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ में केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई धन-राशि; तथा

(ख) सन् १९५२-५३ में हैदराबाद राज्य के लिए स्वीकृत की गई धन-राशि?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) ९१०.३८ लाख रुपये का ऋण और २०३.१३ लाख रुपये का अनुदान।

(ख) ७९ लाख रुपये का ऋण।

रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के सम्बन्ध में अपेक्षित भांडार

६५७. **श्री यू० एस० दुबे** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तरी रेलवे अपनी खरीद आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई पाक्षिक बुलेटिन प्रकाशित करती है?

(ख) यदि हां, तो क्या उसने रेलवे की शताब्दी प्रदर्शनी के सिलसिले में अपनी रंग तथा रौग़न सम्बन्धी आवश्यकताओं का वर्णन किया था?

(ग) क्या यह तथ्य है कि बिना किसी प्रकार के मूल्यवेदन पत्र आमंत्रित किये अथवा अपने किसी बुलेटिन में अपनी आवश्यकताओं का हाल बताये बिना ही कोई चालीस हज़ार रुपये के मूल्य का माल एंग्लो-डच पेन्ट वर्कस से खरीदा गया है?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो मूल्यवेदन पत्रों को आमंत्रित करने की सामान्य प्रणाली को त्याग देने के क्या कारण थे?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां बुलेटिनों से और अत्यधिक के अवसर पर सीमित संख्या में मूल्य वेदन पत्र आमंत्रित करके।

(ख) हां, क्योंकि आवश्यकताएं अत्यधिक जरूरी प्रकार की थीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

रेलवे के वातावस्थापित यात्री डब्बे

६५८. **डा० अमीन**: (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में बनाये गये वातावस्थापित यात्री डब्बों को बनाने का मूल्य क्या है?

(ख) अभी तक इस प्रकार के कितने यात्री डब्बे तैयार हो गये हैं?

(ग) क्या किन्ही और प्रकारों के यात्री डब्बे भारत में बनाये गये हैं, और यदि हां, तो अब तक बनाये गये यात्री डब्बों की कुल संख्या तथा प्रत्येक प्रकार के यात्री डब्बों का निर्माण परिव्यय?

(घ) प्रत्येक प्रकार के यात्री डिब्बे के निर्माण पर होने वाले सम्पूर्ण परिव्यय का कितना प्रतिशत भाग देश में बने अतिरिक्त भागों पर व्यय किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) बड़ी लाइन--२,७१,००० रुपये, छोटी लाइन--२,२२,००० रुपये ।

(ख) ३१-३-१९५१ को १६ चालू थे । उसी समय से २९ का बनाना प्रारम्भ कर दिया गया है, यह सब मिलाकर ४५ होते ह, यह सभी भारत ही में बने हुए हैं ।

(ग) जी हां, रेलवे वर्कशापों में विभिन्न प्रकार के रेल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है और उन पर परिव्यय वर्ष प्रति वर्ष किस्मों के अनुसार तथा बनाये जाने वाले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार भिन्न भिन्न है । कुछ विशिष्ठ प्रकारों के लिए आन्कल का अनुमानित मूल्य इस प्रकार है :

दूसरी श्रेणी का डिब्बा :	
बड़ी लाइन	१,४७,००० रुपये
छोटी लाइन	१,०२,००० रुपये
तीसरी श्रेणी का डब्बा :	
बड़ी लाइन	१,१७,००० रुपये
छोटी लाइन	९०,००० रुपये

वर्ष प्रति वर्ष काम में लाये जाने वाले सभी प्रकार के यात्री डिब्बों की सम्पूर्ण संख्या के सम्बन्ध में सूचना भारतीय रेलवेज़ के सम्बन्ध में रेलवे परिषद् की रिपोर्ट के भाग १ के अध्याय ४ में दी गई है, इस रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(घ) रेलवे वर्कशापों में बनाये गये यात्री डिब्बों के निर्माण व्यय का ९० प्रतिशत भाग इसी देश में बने अतिरिक्त भागों पर व्यय किया जाता है ।

हैदराबाद को दिया गया चावल

६५९. **श्री एच० जी० वैष्णव**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सन् १९५२ में हैदराबाद राज्य में आयात की गई चावल की सम्पूर्ण परिमात्रा तथा स्वयं राज्य में ही उगाई गई चावल की सम्पूर्ण परिमात्रा को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) सन् १९५३ के लिए उक्त राज्य की चावल सम्बन्धी आवश्यकतायें क्या हैं और केन्द्र द्वारा कितनी मात्रा दी जायेगी ?

(ग) क्या अन्य खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में हैदराबाद राज्य आत्म-निर्भर है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) क्रमशः १८,००० और ४६०,००० टन ।

(ख) हैदराबाद के लिए सन् १९५३ के लिए २०,००० टन चावल का अभ्यंश निश्चित किया गया है, पर उसने ४०,००० टन की मांग की है; केन्द्र इस मांग को पूरा करने का प्रयत्न करेगी ।

(ग) जी हां ।

रेलवे सम्बन्धी दावे

६६०. **श्री एच० जी० वैष्णव**: (क) क्या रेल मंत्री उन दावों की सम्पूर्ण संख्या तथा उनकी कुल रक़म बतलाने की कृपा करेंगे जो सन् १९५२ में हैदराबाद राज्य की छोटी लाइन पर ले जाये जाने वाले सामान के यातायात में हुई हानि के सम्बन्ध में दावा विभाग को प्रेषित किये गये थे ?

(ख) उन में से कितने दावे, उनके मूल्य सहित, सन् १९५२ में निर्णीत हुए और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

(ग) सन् १९५१ की तुलना में उक्त वर्ष में दावों की संख्या में क्या कोई वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है, और यदि हां तो कितनी ?

रेल तथा यातयात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सन् १९५२ में प्राप्त हुए दावों की कुल संख्या १८०३ थी और उनका मूल्य ३,१६,५४७ रुपये था ।

(ख) सन् १९५२ में निर्णीत किये गये दावों की संख्या १७०४ थी और उन का मूल्य २,३०,३०० रुपये था । सन् १९५२ के अन्त पर बच रहे दावों की संख्या ९९ थी ।

(ग) गत वर्ष की तुलना में सन् १९५२ में प्राप्त हुए दावों की संख्या में १४३ की वृद्धि हुई है ।

कालका और जगाधरी के रेलवे वर्कशापों से सामानों की चोरी

६६१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में कालका और जगाधरी के रेलवे वर्कशापों से चुराये गये सामानों तथा वस्तुओं का मूल्य; तथा

(ख) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कालका वर्कशाप : २५० रुपये, जगाधरी वर्कशाप : कुछ नहीं (चुराये गये सामान का पता लगा लिया गया है)

(ख) वर्कशापों के दरवाजों पर पहरा चौकी का प्रबन्ध और भी अच्छा कर दिया गया है ।

बम्बई की बन श्रमिक संस्थायें

६६२. **श्री नटवाडकर** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई राज्य के आदिवासियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाली बन श्रमिक संस्थाओं को रेलवे के माल डब्बे दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता दी गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थाओं को ठीक समय पर माल के डब्बे देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, यदि कोई, की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केन्द्रीय रेलवे में इस प्रकार के यातायात के लिए किसी भी संस्था विशेष के प्रति किसी प्रकार की वरीयता का कोई व्यवहार नहीं किया गया है । परन्तु पश्चिमी रेलवे पर स्थित स्टेशनों से बम्बई सरकार द्वारा परिपोषित ऐसे यातायात को इमारती लकड़ी को बुक कराने वाले विभागों के लिए नियत अभ्यंशों की सीमाओं के अन्तर्गत वरीयता देकर चालू किया जाता है ।

(ख) विशेष प्रकार के स्टाकों की मांग को इस प्रकार के स्टाक की कमी होने के कारण पूरा नहीं किया गया है । विशेष प्रकार के स्टाक की प्रदाय को बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

चारा

६६३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चारे के उत्पादन में सन् १९५२ में लगी समस्त भूमि का एकड़ों में क्षेत्रफल;

(ख) क्या यह गत वर्षों की तुलना में कम था; तथा

(ग) यदि हां तो इस के कारण ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों में एकत्रित की जा रही है । और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
२० मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

१९०७ १९०८

लोक सभा

शुक्रवार, २० मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

३-४ म० प०

अनुदान की मांगें

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय
मांग संख्या १८—पुरातत्व
मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग
मांग संख्या २०—शिक्षा
मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय
मांग संख्या ११५—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी होगी ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जनाब पिछले पांच बरसों में जब कभी बजट की बहस का मौक़ा आया है तो हाऊस के दोस्तों ने एक खास ढंग इख्तियार किया है । वह महसूस करते थे कि तालीम का मुआमला एक निहायत अहम मुआमला है, इसलिए इस पर बहस जरूर होनी चाहिये । फिर सब से ज्यादा साफ बात जो उन के सामने आती थी वह यह थी कि मुल्क में जहालत फैली हुई है । बीस परसेंट से ज्यादा लिटरेसी नहीं है । ऐसी हालत में ज्यादा से ज्यादा तालीम का काम होना चाहिये और तेजी के साथ तालीम को फैलाना चाहिये । इसलिए यह भी एक जरूरी चीज़ हो गई थी कि हर साल इस चीज़ को दुहराया जाये । लेकिन मुल्क में अगर तालीम ज्यादा तेजी के साथ फैलानी है तो इस का सामान कहां से आये इस पर गौर करने की जरूरत नहीं समझी जाती । मेरा भी यह काम हो गया था कि मैं हर साल गवर्नमेंट की मुश्किलों को दुहराता था और यह कहता था कि स्कीमें मौजूद हैं । गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक सामान न हो हमारे कदम तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते । मुझे खुशी है कि इस साल मेरे दोस्तों ने वह ढंग इख्तियार नहीं किया । शायद पिछले बरस जो मैं ने उन से अपील की थी वह उस का असर है कि जो कल मैंने देखा । मैंने उन्हें तोबा दिलाई थी कि इस बारे में इतना गैर मन्तकी-इल्लाजीकल—नहीं होना चाहिये । बहर हाल कल बहस के दौरान में चन्द बातों की तरफ जो बाज दोस्तों ने इशारा किया है उन के मुतअल्लिक मैं मुख्तसिर तौर पर चन्द बातें कहूंगा ।

इस चीज़ पर तवज्जोह दिलाई गई कि अगरचे तालीम स्टेट सब्जैक्ट है मगर सैंट्रल गवर्नमैंट की भी इस बारे में जिम्मेदारी है और सैंट्रल गवर्नमेंट यह कह कर कि यह स्टेट सबजैक्ट है अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जा सकती । यह बिल्कुल सही है । मुझे इस से पूरा इत्तफाक है । और अगर गवर्नमैंट को इस से इत्तफाक न होता तो यह जाहिर है कि पिछले चार पांच बरस के अन्दर वह कदम न उठाये जाते कि जो गवर्नमैंट ने उठाये हैं । आप यकीनन बेखबर न होंगे कि मैं ने एजूकेशन मिनिस्ट्री का चार्ज लेते ही पहला काम यह किया था कि इब्तिदाई तालीम के लिए खेर कमेटी बिठाई थी । कमेटी इस लिए बिठाई

[मौलाना आज़ाद]

गई थी कि जहां तक इब्तिदाई तालीम का ताल्लुक है वह पूरे मैदान का सरवे करे और उस के बाद बतलाये कि कम से कम जमाने में किस तरह हम इब्तिदाई तालीम को यूनिवर्सल और कम्पलसरी कर सकते हैं । चुनांचि आप को मालूम है कि पूरी पूरी तेजी के साथ उस कमेटी ने काम किया और एक बरस के बाद रिपोर्ट पेश की । अगर फाइनेन्शल डिफीकल्टीज हमारा रास्ता न रोकतीं और हम रुपया का इन्तजाम कर सकते तो जाहिर है कि इस चार बरस के अन्दर तालीम का मुआमला कहीं से कहीं पहुंच जाता । क्योंकि कमेटी की सिफारिश, आप को मालूम है कि, यह थी कि १७ बरस के अन्दर हम को बेसिक एजूकेशन कर देनी चाहिये । दस बरस के अन्दर जूनियर बेसिक एजूकेशन और फिर सात सीनियर बेसिक एजूकेशन के लिए रक्खे गमे थे । और नक्शा यह बनाया गया था कि तीस फीसदी रकम सैंट्रल गवर्नमैंट को देनी चाहिये और ७० फी सदी स्टेट गवर्नमैंट्स को । लेकिन दिक्कत यह पेश आई कि हम इस रुपया का इन्तजाम न कर सके । अगर हम इस रुपया का इन्तजाम कर सकते तो जहां तक सैंट्रल गवर्नमैंट का ताल्लुक है दो करोड़ से उस का कोटा शुरू होता और फिर १७ वें बरस २५ करोड़ तक पहुंचता । स्टेट गवर्नमैंट्स का कोटा एक अरब से कुछ ज्यादा पड़ जाता । लेकिन इस रुपये का इन्तजाम नहीं हो सका और नतीजा यह है कि वह स्कीमें आगे नहीं बढ़ाई जा सकीं । तो मैं अपने दोस्तों को यकीन दिलाऊंगा कि जहां तक सैंट्रल गवर्नमैंट का ताल्लुक है गवर्नमैंट बेखबर नहीं है । वह यह समझती है कि उस की जिम्मेदारी है । लेकिन जाहिर है कि कदम जब ही उठाया जा सकता है जब कि सामान हो । लेकिन जहां तक उन सवालों का ताल्लुक है कि जो तमाम स्टेट गवर्नमैंट से ताल्लुक रखते हैं, मसलन बाज दोस्तों ने टीचरों की तनख्वाह का ज़िकर किया कि टीचरों को जो तनख्वाह मिल रही है वह बहुत कम है और इस का इन्तजाम होना चाहिये । ठीक है इन्तजाम होना चाहिये और जहां तक सैंट्रल गवर्नमैंट का ताल्लुक है सैंट्रल गवर्नमैंट ने एक दिन की भी ताखीर (विलम्ब) नहीं की है । आप को मालूम है कि सन् १९४८ में सैंट्रल गवर्नमैंट ने दिल्ली और अजमेर में वह तनख्वाह मंजूर कर ली कि जिस की सिपारिश पे कमीशन (वेतन आयोग) ने की । जो इस वक्त किसी सूबे में भी नहीं दी जा रही है । लेकिन यह मुआमला ऐसा है कि इस का ताल्लुक स्टेट गवर्नमैंट्स से है । इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते । बाज दोस्तों ने कहा कि सैंट्रल गवर्नमैंट को डायरैक्शन (निदेश) देना चाहिये । हम डायरेक्शन नहीं दे सकते । कान्स्टीट्यूशन हम को इस की इजाजत नहीं देता । हां हम मशवरा देते हैं और हम मशवरा दे रहे हैं और बाज गवर्नमैंटों ने इस पर तवज्जोह की है । मैं गवर्नमैंट पंजाब को मुबारक बाद दूंगा कि उस ने जो असली सवाल था उस पर गौर किया । सवाल सिर्फ यह नहीं था कि टीचरों की क्या तनख्वा होनी चाहिये । सवाल यह था कि आजकल की हालत को देखते हुए मिनिमम सैलरी (न्यूनतम वेतन) क्या होनी चाहिये । कोई हो टीचर हो या पटवारी हो या कान्सटेबल हो कोई हो, आजकल की हालत को देखते हुए कम से कम तनख्वाह क्या होनी चाहिये इस का कोई दरजा मुकर्रर करना चाहिये । मैं पंजाब गवर्नमैंट को मुबारकबाद दूंगा कि उस ने इस साल का बजट पेश करते हुए एक निहायत कीमती कदम उठाया है और यह इन्तजाम किया है कि आयंदा बेसिक पे और डीयरनैस एलाऊंस मिला कर पंजाब में कम से कम तनख्वाह जो हर मुलाजिम को मिलेगी वह ७७ रुपया होगी । ७७ रुपया से कम नहीं

होगी। बहर हाल यह एक बहुत अच्छा कदम है जो कि उठाया गया है। लेकिन जाहिर है कि इस मुआमले का ताल्लुक स्टेट गवर्नमैंट से है और इस बारे में हम मजबूर हैं।

इसी तरह इस चीज़ पर तवज्जोह दिलाई गई है कि कान्स्टीट्यूशन में यह लिखा गया है कि दस बरस के अन्दर तमाम मुल्क में इब्तिदाई तालीम को आम और जबरन (अनिवार्य) कर दिया जायेगा।

इस के मुतअल्लिक क्या हो रहा है। मालूम है कि इस के मुतअल्लिक अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठा है कि हम यह उम्मीद कर सकें कि १० बरस के अन्दर यह काम पूरा हो चुके। लेकिन जाहिर है कि मुश्किलों ने हमारा रास्ता रोका हुआ है और जब तक यह मुश्किलें दूर नहीं हो सकतीं उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं आप से साफ कहूं कि जहां तक सैंट्रल गवर्नमैंट का ताल्लुक है जब तक कि ऐसा वक्त न आये कि हम डिफेंस पर जो रुपया खर्च कर रहे हैं, और जो फिलहकीकत (वास्तव में) टोटल बजट की आधी रकम ले लेता है, जब तक उस को कम नहीं करते तब तक इस के लिए रुपया नहीं निकाल सकते। नामुमकिन है। अब किस वक्त हम इस बारे में काबिल होंगे, नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक सैंट्रल गवर्नमैंट का ताल्लुक है इस के हाथ पांव बन्धे हुए हैं। लेकिन इन हालात में भी हमें देखना है कि जो कदम हम ने इस वक्त उठाये हैं उन की नोईयत क्या है और वह हम को किस रुख पर ले जा रहे हैं। पिछले साल आप को याद होगा कि मैं ने आप को तवज्जोह दिलाई थी कि जहां तक प्लानिंग कमीशन का ताल्लुक है इस चीज़ पर हम गौर कर रहे हैं कि तालीम के लिए कितना रुपया रखा जाये। मैं ने आप से कहा था कि मेरी यह कोशिश है कि कम से कम १० करोड़ सालाना हमें रखना चाहिये। आप को मालूम है पांच बरस की मुद्दत जो सन् ५० से शुरू होती है तकरीबन ढाई बरस इस के चले गये थे और अब प्रैक्टिकली तीन बरस बाकी रह गये हैं कि जिस के अन्दर हमें अपना यह नक़शा पूरा करना है। मुझे यह खुशी है कि हम ने इस में तकरीबन १० करोड़ रुपया सालाना रखा है। यह १० करोड़ रुपया सालाना की रकम जो मजमूई तौर पर २५ करोड़ की हो जाती है हम आयंदा तीन बरस के अन्दर सर्फ करेंगे। यह जाहिर है कि हम पहले दिन से १० करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते क्योंकि हमें नई बुनियादें उठानीं हैं। नई दीवारें उठानी हैं, वह ज्यों ज्यों उठती जायेंगी और ऊंची होती जायेंगीं इस के मुताबिक रुपया खर्च किया जायेगा लेकिन हम आयंदा साल से कदम उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आयंदा साल हम इसे और आगे बढ़ायेंगे और फिर तीसरे साल वह अपने पूरे दरजा तक आ जायेगा। जो प्लानिंग इस के बारे में की गई है वह आप के सामने आ गई है। इसकी कोशिश की गयी है कि तालीम के तीनों हिस्सों को सामने रखा जाये। इब्तदाई तालीम को भी और सैकिंडरी एजूकेशन (माध्यमिक शिक्षा) को भी और यूनिवर्सिटी एजूकेशन को भी : और इन सब में जहां तक हम मदद दे सकते हैं दें।

जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है आप को मालूम है कि कान्स्टीट्यूशन ने सैंट्रल गवर्नमैंट का हाथ भी इस में रखा है। इसलिए कि कान्स्टीट्यूशन यह कहता है कि जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है इस का कोआर्डीनेशन (समन्वय) और इस के स्टैन्डर्ड की निगरानी, इन में सैंट्रल गवर्नमैंट का हाथ होना चाहिये। यूनिवर्सिटी एजूकेशन के लिए आजकल हर तरफ कहा जाता है कि तालीम गिर गई है और रोज बरोज गिरती जाती है और कोई न कोई कदम उठाना चाहिये कि जो इस गिरती हुई

[मौलाना आज़ाद]

दीवार को संभाले। यह ठीक है, लेकिन किस तरह से संभाला जाये। आप को मालूम है कि मैं ने गुज़श्ता (गत) साल आप से कहा था कि गवर्नमैंट एक बिल पार्लियामैंट के आगे रखना चाहती है। गवर्नमैंट ने इस मुआमला पर गौर किया। मालूम हुआ कि जब तक कि कोई एजेंसी ऐसी नहीं बनती कि जिस के जरिये से यूनिवर्सिटी एजूकेशन को संभाला जाये और जो इस में खराबियां आ गई हैं उन को दूर किया जाये और जो नये रीफार्म होने चाहियें वह अमल में लाये जायें इस वक्त तक महज यूनिवर्सिटियों को तवज्जोह दिलाने से या स्टेट गवर्नमैंटों को तवज्जोह दिलाने से कोई नतीजा नहीं निकलता। यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट निकल चुकी है। तीन बरस गुजर चुके हैं। इस में जो सिफारिशें की गई हैं उन की बड़ी तादाद ऐसी है कि जिस का ताल्लुक यूनिवर्सिटियों से है और स्टेट गवर्नमैंटों से है। लेकिन इस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ। सैंट्रल गवर्नमैंट ने यूनिवर्सिटियों की तवज्जोह दिलाई है, स्टेट गवर्नमैंटों को भी तवज्जोह दिलाई लेकिन कोई अमली नतीजा नहीं निकला। तो ख्याल यह था कि एक एजैंसी हमें बनानी चाहिये। अगर हम चाहें तो गवर्नमैंट आफ इंडिया डायरैक्ट (प्रत्यक्ष) अपना हाथ इस में रख सकती थी क्योंकि कान्स्टीट्यूशन ने इस को कोआर्डीनेशन और स्टैन्डर्ड की निगरानी का मौक़ा दिया है लेकिन हम ने यह पसन्द नहीं किया। हम ने मुनासिब यह समझा कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाये कि जो इन्डीपैंडैंट हो, गवर्नमैंट आफ इंडिया का डायरैक्ट इस में हाथ न हो। मुल्क में जो माने हुए एजूकेशन के नुमायंदे हैं, यूनिवर्सिटियों के नमायंदे हैं उन को रखें। पार्लियामैंट उन को पावर दे और उस पावर को वह खास शरतों के मातहत जिस म एक के बाद एक कड़ियां हैं काम में लायें। चुनांचि यह बिल तैयार हुआ और यूनिवर्सिटियों को और स्टेट गवर्नमैंटों को भेजा गया। आप जो अखबारात देखते रहते हैं इस से बेखबर न होंगे कि इस के मुतअल्लिक मुखालिफत की आवाजें उठाई गई।

बहर हाल मैं इस वक्त तफसील में नहीं जाऊंगा। १८ अप्रैल को हम ने एक कान्फ्रैंस बुलाई है यूनिवर्सिटियों के वाईस चान्सलरों की और स्टेट गवर्नमैंटों के एजूकेशन मिनिस्ट्रों की, इस कान्फ्रैंस में हम इस मुआमला पर बहस करने वाले हैं और बहस करने के बाद एक आखिरी फैसला तक पहुंचेंगे। बहर हाल हम ने यह महसूस किया कि किसी न किसी शक्ल में जब तक एक एजेंसी ऐसी नहीं बनती कि जो यूनिवर्सिटी एजूकेशन की देख भाल करे उस वक्त तक जो खराबियां सालहा साल से पैदा हो चुकी हैं और अब इन्तिहाई दरजा तक पहुंच चुकी हैं वह दूर नहीं हो सकतीं। तो जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है हम यह कर रहे हैं।

आप को यह मालूम है कि हम ने गेहूं की एक खास मिकदार अमेरिका से ली और यह बात तै पाई थी कि इस के सूद की जो रकम हो गई वह हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटियों की तालीम में खर्च की जायेगी। चुनांचि तकरीबन यह रकम अब ढाई करोड़ की हो रही है। चूंकि यह रकम होगी डालर की शक्ल में इसलिए यह उन कामों में नहीं खर्च की जा सकती कि जिन को रुपया के जरिये से हल किया जा सकता है। मुल्क के अन्दर, यह हम को मदद देगी किताबों के लिए और रिसर्च इन्स्टीट्यूट्स के मुख्तलिफ सामान वगैरह के लिए। जाहिर है कि यूनिवर्सिटियों को इस की बहुत जरूरत है। तकरीबन १० बरस से यूनिवर्सिटियों की तरक्की रुकी हुई है लड़ाई के जमाने से, तो ख्याल है कि यह ढाई करोड़ की रकम यूनिवर्सिटियों में तकसीम की जायेगी। इस के मुतअल्लिक गुफ्तगू हो

रही है। लेकिन इस के अलावा भी हम ने पांच बरस के प्लानिंग के सिलसिला में मुख्तलिफ रकमें रखी हैं। यह रकमें इब्तदाई तालीम के लिए दी जायेंगी और यूनिवर्सिटियों के लिए भी दी जायेंगी। इस के अलावा जो कम्युनिटी प्राजैक्ट्स (सामूहिक परियोजनाएं) हैं आप को मालूम है कि उन में तालीम भी है। इस तरह के हम ने नक्शे बनाये हैं कि एक मुकम्मल नमूना पैदा किया जाये कि जिस में बसिक स्कूल हो, जूनियर और सीनियर और सैकिंडरी स्कूल हो और जनता कालेज हो। हम खतो-किताबत कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिश के मुताबिक एक नमूना की यूनिवर्सिटी भी कायम की जाये देहाती यूनिवर्सिटी। लेकिन किस रूप में वह कायम की जाये और कैसी हो इस के मुतअल्लिक हम गौर कर रहे हैं और हम उम्मीद है कि इस १८ अप्रैल की कान्फ्रेंस में हम इस बारे में भी मंशवरा कर सकेंगे। तो बहर हाल यह कुल ३४ करोड़ की रकम रखी गयी है और इस को हम आयंदा तीन बरस के अन्दर खर्च करने वाले हैं। इस के जरिये से हमें खुशी है कि हमारे कदम जिस चाल से चल रहे हैं अब इस से ज्यादा तेज हो गये हैं।

अब मैं चन्द अल्फाज आप से शैड्यूल्ड कास्ट स्कालरशिप की निस्बत भी कहना चाहता हूं। कल बाज दोस्तों ने इस का ज़िक्र करते हुए इस पर तवज्जोह दिलायी कि गवर्नमैंट को इस बारे में और कदम उठाने चाहियें। आप को यह मालूम है कि जिस वक्त नेशनल गवर्नमैंट ने चार्ज लिया है सैंट्रल गवर्नमैंट का तो जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट की तालीम का ताल्लुक है और स्कालरशिप का ताल्लुक है तीन लाख सालाना से ज्यादा रकम नहीं थी। दो साल के अन्दर इस की मुद्दत खत्म हुई। उस वक्त कोई डैप्यूटेशन मेरे पास नहीं आया। किसी ने मुझ से दरख्वास्त नहीं की कि पैसा बढ़ाया जाये। हम ने खुद महसूस किया कि यह हमारा फ़र्ज है कि इस तीन लाख की रकम को हम बढ़ायें। इस वक्त तक शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक पैसा नहीं था। यह चीज़ भी बढ़ाई गयी। इब्तदा में इस के लिए सिर्फ ५० हज़ार रुपया रखा गया था बतौर नमूना के कि तजुरबा करके देखें। जब हमें इस में कामयाबी हुई और हम ने देखा कि काफी कामयाबी हुई है तो हम ने इस रक्म को बढ़ाया। वह तीन लाख की रकम आप को मालूम है कि अब बढ़ते बढ़ते ४५ लाख तक पहुंच चुकी है इन तीन बरसों के अन्दर।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : संख्या बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है।

मौलाना आज़ाद : नहीं, माफ कीजियेगा आप देखते हैं कि तीन बरस के अन्दर वह तीन लाख की रकम बढ़ कर चालीस लाख हो गयी है। मरदम शुमारी चाहे कितनी तेजी से आप की दौड़े मगर वह उस की गरदे पा (पांव की धूल) को नहीं पा सकती। इस से जाहिर है कि जहां तक गवर्नमैंट का ताल्लुक है वह इस से बेखबर नहीं है। वह अपना फर्ज अदा कर रही है और सच्ची बात तो यह है कि हम सब लोग अपने दिल में इस बात को महसूस करते हैं कि जहां तक इन पिछड़े हुए भाइयों का ताल्लुक है सोसाईटी ने इन पर एक जुलम किया सैकड़ों बरस तक एक गुनाह किया और यह सोसाइटी का फर्ज है कि वह इस का कफारा दे और प्रायश्चित करे और वह कफ़ारा यह है कि जितनी तेजी के साथ हम उन गिरे हुए भाइयों को ऊपर उठा सकते हैं उन को उठाने की कोशिश करें।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

मौलाना आज़ाद : मेरे दोस्त ने एक चीज पर तवज्जोह दिलाई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस मुआफ नहीं की जाती।

[मौलाना आज़ाद]

जहां तक फीस का ताल्लुक है जाहिर है यूनिवर्सिटी एजूकेशन में मुआफी का सवाल पैदा नहीं हुआ। न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बल्कि और दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी यह बात नहीं है। लेकिन बहर हाल इस चीज पर भी गवर्नमैंट की नजर है और गवर्नमैंट इस पर गौर कर रही है और गवर्नमैंट देखेगी कि जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है इस बारे में क्या किया जा सकता है।

मैं अब चन्द एक अल्फाज उन कट मोशन्स के मुतअल्लिक भी कह देना चाहता हूं जो यहां पेश किये गये अगरचि उन पर बहस नहीं हुई लेकिन अगर मैं उन के बारे में आप को बतलाऊं तो इस से आप को मालूम हो जायेगा कि जो कट मोशन्स पेश किये गये थे उन की तह में क्या चीजें थीं।

एक कट मोशन इस बात के लिए पेश किया गया कि एजूकेशन मिनिस्ट्री का जो खर्चा है मिनिस्ट्री के एस्टबलिशमैंट का वह बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं मालूम कि जिन असहाब ने इस को पेश करना चाहा उन का आम तौर पर गवर्नमैंट द्वारा मैनेजमैंट (प्रबंध) पर जो रुपया खर्च किया जाता है उस के बारे में उन का क्या अन्दाजा है और क्या मुनासिबत है। हिन्दुस्तान में मुखतलिफ स्टेट गवर्नमैंटों और सैंट्रल गवर्नमैंटों की मुखतलिफ शाखें जो खर्च कर रही हैं उन की आपस में क्या मुनासिबत है। मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि एजूकेशन मिनिस्ट्री कम से कम स्टाफ रखे हुए है जो और जितना बोझ वह उठाये हुए है, वह बोझ उठाने की आखीर ही है और यह बात मैं आप के सामने पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। सन् ४९ में जब कि एजूकेशन का खर्च तीन करोड़ से ज्यादा नहीं था उस वक्त जितना स्टाफ था आज जब कि एजूकेशन मिनिस्ट्री का खर्च सात से आठ करोड़ तक पहुंच चुका है और काम बेहद फैल गया है लेकिन बावजूद इस के स्टाफ में बहुत थोड़ा इज़ाफा हुआ। आज सवाल यह नहीं है कि स्टाफ़ कम किया जाये बल्कि मैं साफ साफ आप से कहूंगा कि जरूरत यह है कि स्टाफ और बढ़ाया जाये अगर हम चाहते हैं काम करने से हो। एजूकेशन मिनिस्ट्री जो खर्च कर रही है उस की मुनासिबत क्या है। आप पायेंगे कि हम २ या २.७ परसेंट से ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं। आप को यह भी मालूम होना चाहिये कि हिन्दुस्तान के बाहिर की गवर्नमैंट हम से कहीं ज्यादा खर्च कर रही हैं। वह चार से सात फी सदी तक खर्च कर रही हैं। इस एतबार से हम २.७ फीसदी जो खर्च कर रहे हैं वह कम से कम खर्च है जो एजूकेशन मिनिस्ट्री एस्टैबलिशमैंट्स पर खर्च कर रही है। और आप देखेंगे कि यह कम अज़ कम खर्च मुमकिन है जो हमारी एजूकेशन मिनिस्ट्री एस्टैबलिशमैंट पर खर्च कर रही है। मुझे ताज्जुब है कि इस चीज को कट मोशन की बुनियाद बनायी जाये।

एक और कट मोशन के जरिये इस चीज पर तबज्जोह दिलायी गयी थी कि कामर्स और बिजिनैस का जो डिपलोमा कोर्स है सन् ४८ में जिन लोगों ने पास किया था उन को डिप्लोमा नहीं दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि जिन्हों ने यह पेश किया है उन्हों ने यह मालूम करने की भी जहमत गवारा की थी कि इस बारे में आल इंडिया काउंसिल आफ टैकनिकल एजूकेशन ने जो कायदा बनाया है वह क्या है। अगर वह मालूम करना चाहते तो उन को मालूम हो जाता कि इस तरह के सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है। आल इंडिया काउंसिल ने जो नया कायदा बनाया है वह यह है कि किसी स्टूडैंट के लिए सिर्फ अपना कोर्स पास कर लेना ही काफी नहीं होगा

और डिप्लोमा उन को तब मिलेगा जब वह कोर्स पूरा करने के बाद कम अज़ कम एक बरस तक वह उस की प्रैक्टिकल तालीम हासिल न कर लें और वह भी किसी रैकगनाईज कन्सर्न (अभिज्ञात फ़र्म) में। अगर एक बरस तक उन्होंने वहां प्रैक्टिकल काबलियत पैदा कर ली तब उन को डिप्लोमा दिया जायगा। मैं ने दरयाफ्त किया कि सन् ४८ में कितने स्टूडैंट्स थे मालूम हुआ कि दस थे। दस में से चार के मुतअल्लिक तो मालूम हुआ कि उन्हों ने अपनी प्रैक्टिकल तालीम हासिल कर ली और उन को डिप्लोमा दे दिया गया। ६ के मुतअल्लिक अभी तक जवाब नहीं आया लेकिन यह जाहिर है कि उन ६ को भी अगर उन्हों ने प्रैक्टिकल तालीम एक बरस की पूरी कर ली होगी तो डिपलोमा मिल गया होगा। लेकिन अगर उन्हों ने नहीं पूरी की होगी तो नहीं मिला होगा। इस लिए यह चीज कि उन्हों ने अपना कोर्स सन् ४८ में पूरा कर लिया और उन को डिपलोमा नहीं मिला मैं समझता हूं कि इस के लिए कट मोशन पेश करना कुछ मुनासिब और ठीक नहीं है।

इस चीज पर भी तबज्जोह दिलाई गयी है कि कर्नाटक और बाज़ बाज़ मुकामात में कुछ पुरानी चीजें हैं यादगार की चीजें हैं और आरकीलाजीकल डिपार्टमैंट (पुरातत्व विभाग) उन की हिफाजत नहीं करता। मुझे नहीं मालूम इस की बुनियाद क्या है। आप को यह मालूम है कि आरकीलाजीकल डिपाटमैंट सैंट्रल गवर्नमैंट में सिर्फ उन साईट्स और इमारतों को लेता है जिन को पार्लियामैंट नैशनल इम्पारटेंस का ख्याल करती है। इस के लिए एक ऐक्ट भी पास हो चुका है और इस के जरिये बहुत सी इमारतों को हम ले चुके हैं। जहां तक कर्नाटक का ताल्लुक है ५१५ जगहें सैंटर का आरकीलाजीकल डिपार्टमैंट अपनी हिफाजत में ले चुका है। मालाबार की ७ जगह और महाराष्ट्र की ५५१ जगह ले चुका है और दरवाजा खुला हुआ है और जितनी भी अहमियत की जगहें हमारे सामने आयेंगी हम उन को शामिल कर लेंगे। इस के अलावा स्टेट गवर्नमैंटें भी हैं उन के भी अपने अपने आरकीलाजीकल डिपार्टमैंट्स हैं और बहुत सी जगहें उन के इन्तजाम में हैं। यह तमाम जगहें जो ली गयी हैं उन की पूरी हिफाजत की जाती है और लाखों रुपया उन पर खर्च होता है।

बाज दोस्तों ने इस पर तबज्जोह दिलायी कि हिन्दी जबान पढ़ने के बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट को ज्यादा कोशिश करनी चाहिये। उन को मालूम है कि सैंट्रल गवर्नमैंट जिस वक्त से कि हमारा कान्स्टीट्यूशन मंजूर हुआ है और यह बात तै हो गयी कि हिन्दुस्तान की सरकारी और कौमी जबान हिन्दी भाषा होगी उस वक्त से सैंट्रल गवर्नमैंट ने पूरी कोशिश शुरू कर दी है और एक खास सैक्शन इस के लिए मिनिस्ट्री में बनाया गया है जिस का काम सिर्फ यह है कि हिन्दी को कैसे बढ़ाया जाये और खास कर जो नान-हिन्दी स्पीकिंग एरियाज (अहिन्दी-भाषी क्षेत्र) हैं उन में कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाये और वहां इस के रास्ता में जो मुश्किलें पेश आयी हैं उन को कैसे दूर किया जाय। इसी काम के वास्ते हम ने एक खास सैक्शन बनाया है और इस के जिम्मेदार आफिसर्स हैं जो चौबीसों घंटे इस काम में मसरूफ रहते हैं। इस के अलावा मिनिस्ट्री ने महसूस किया कि हिन्दी के बारे में सब से ज्यादा अहम काम दो हैं। पहली चीज तो है सायंटीफिक (वैज्ञानिक) और टेकनीकल टर्म्स (शब्दों) की। जब तक इस मुआमले को आप हल नहीं कर लेते उस वक्त तक आगे बढ़ने के लिए दरवाजा बन्द है और आप आगे बढ़ नहीं सकते। जहां तक तालीम का ताल्लुक है आप को मालूम है कि एक बोर्ड इस काम के लिए बिठाया गया है और वह निहायत तेजी के साथ काम कर रहा है।

[मौलाना आज़ाद]

दूसरा अहम काम जैसा मैं ने आप को बतलाया यह है कि मुल्क के ऐसे सूबे और प्रान्त जहां की मादरी जबान हिन्दी नहीं है वहां पर क्योंकर हिन्दी का प्रचार किया जाये। चुनांचि इस के लिए भी सेंट्रल गवर्नमैंट पूरी तेजी के साथ कोशिश कर रही है और आप को मालूम है कि १४ लाख रुपया इस खर्च से रखा गया है और वह हम इस काम में आयंदा तीन साल म खर्च करेंगे। इस के अलावा यह भी कोशिश की गयी है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया में जो जूनियर सर्विसिस में हैं उन की तालीम का इन्तजाम किया जाये। और उन के लिए खास स्कूल खोल दिया गया है और इस में रोज ब रोज तादाद बढ़ती जाती है।

यह चीज भी महसूस की गयी कि हमें कोई न कोई कदम ऐसा उठाना चाहिये कि हमारे साथ के जो भाई हैं वह महसूस न करें कि इस की तो कोशिश की जाती है कि हम हिन्दी सीखें लेकिन उन की जो जबानें हैं उन को सीखने की कोशिश नहीं की जाती। मैं यह समझता हूं कि अगर वह ऐसा ख्याल करें तो कुछ हद तक हक बजानब है। नार्थ (उत्तर) के जो लोग हैं जिन की मादरी जबान हिन्दी है उन्हें भी चाहिये कि वह साऊथ की जबानों में दिलचस्पी लें। बंगाली में लें, महाराष्ट्र में लें। चुनांचि हम ने एक तजबीज मंजूर कर ली है और वह तजबीज यह है कि जो चार सैंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उन में जो स्टूडेंट्स हैं जिन की मादरी जबान हिन्दी है वह साऊथ की जबानों में, वैस्ट की जबानों में और साऊथ की चार पांच जबानों के अलावा मारवाड़ी, बंगाली और गुजराती जबानों की तालीम हासिल करेंगे और इस में ही प्राफीसैंसी इम्तिहान देंगे। उन को स्कालर-शिप दिया जायेगा। हम चाहते हैं कि अभी तो यह चार सैंट्रल यूनिवर्सिटियों में ही किया गया है लेकिन मुल्क की दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी यह काम होना चाहिये। और हम ने उन की तबज्जोह दिलायी है कि वह भी इस तरह का स्कालरशिप कायम करें ताकि साऊथ की जबानें भी ज्यादा से ज्यादा जितनी बढ़ सकती हैं उतनी बढ़ें।

बहर हाल अब मैं आप का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हम पर एक नाजुक वक्त गुजर रहा है। हर कौम के लिए सब से ज्यादा नाजुक वक्त वह होता है जब वह नये सिरे से अपनी कौमी जिन्दगी तामीर करना चाहती है। इस मंजिल से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि तालीम का इन्तजाम होना चाहिये। हैल्थ और दूसरे जो वैल्फेयर के सब्जेक्ट्स (विषय) हैं उन का इन्तजाम होना चाहिये। साथ ही हम चाहते हैं कि जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती, उन चीजों का इन्तजाम नहीं हो सकता। आमदनी क्योंकर बढ़ सकती है। जब तक दूसरे तामीरी कामों पर खर्च न किया जाये। अगर दूसरे कामों पर खर्च किया जाता है तो तालीम और हैल्थ के लिए रुपया नहीं निकलता तो यह एक अजीब उलझाव पैदा हो गया है। लेकिन किसी न किसी तरह हमें इस पर गालिब आना चाहिये। और मैं इतमीनान के साथ कह सकता हूं कि अगरचि हम इस मैदान में दौड़ नहीं सके हैं, लेकिन चाल सुस्त भी नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री पी० एन० राजभोज : बहुत छोटा सा सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने उन्हें बैठ जाने के लिए कहा है।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं बैठने के लिये तैयार हूं, लेकिन....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं, आप बैठ जाइये ....

श्री पी० एन० राजभोज : यह मेरी इन्सल्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा बोलिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में मेरे समाज के लिये कुछ नहीं कहा । उन्हों ने प्रामिज किया था । डिप्टी स्पीकर महोदय मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि एजूकेशन मिनिस्ट्री हमारे लिये जो कुछ कर रही है वह ठीक है, मैं नहीं कहता कि वह कुछ नहीं करती है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों के लिये जो फारेन स्कालर्शिप्स थे वह बन्द कर दिये गये, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्पल्सरी एजूकेशन होनी चाहिये और तीसरी सजेशन यह है कि जो जम्मू और काश्मीर के शैड्यूल्ड कास्ट हैं उनको कोई स्कालर्शिप नहीं मिलता है । उन्हें महाराज के जमाने से दस हजार रुपया मिलता रहा है लेकिन शैख अब्दुल्ला की गवर्नमैंट ने बन्द कर दिया है । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस स्कालर्शिप के रुपये में से थोड़े से स्कालर्शिप वहां के शैड्यूल्ड कास्ट स्टूडैंट्स को जरूर दिये जायें ।

मौलाना आजाद : जनाब, जहां तक फारेन स्कालरशिप का सवाल है गवर्नमैंट का इस से कोई ताल्लुक नहीं है । जो बोर्ड इस काम के लिए गवर्नमैंट कायम करती है वह खुद शैडयूल्ड कास्ट के नुमायंदों का होता है । उस बोर्ड ने फैसला किया कि कम्युनिटी का ज्यादा फायदा इस में है कि बजाये इस के कि बड़ी बड़ी रकमें बाहिर की तालीम पर खर्च की जायें यहां ही दस बारह स्कालरशिप दिये जायें । लेकिन चूंकि अब तीन बरस गुजर चुके हैं । अब यह चीज गवर्नमैंट के सामने आई है और गवर्नमैंट में इस चीज़ को बोर्ड के आगे पेश कर दिया है । बोर्ड इस पर गौर कर रहा है और उम्मीद है कि वह इस बारे में जल्दी फैसला करेगा ।

जहां तक काश्मीर का ताल्लुक है जाहिर है कि यह मुआमला यहां की गवर्नमैंट के हाथ में नहीं है । लेकिन गवर्नमैंट काश्मीर को हम इस बारे में तवज्जोह दिलायेंगे कि जो कुछ वह कर सकती है, वह करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के समक्ष वे सब कटौती प्रस्ताव रखूंगा जो प्रस्तुत किये गये हैं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में मांग संख्या १७, १८, १९, २०, २१ तथा ११५ के सम्बन्ध म जो व्यय होगा उस को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को क्रम पत्र में उल्लिखित राशियों तक की राशियां दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[सदन द्वारा जिन अनुदानों की मांग स्वीकृत की गई थीं वे नीचे दी जाती हैं]

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय	३०,४१,००० रुपये
मांग संख्या १८—पुरातत्व—	४०,५९,००० रुपये
मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग—	१,७५,८३,००० रुपये
मांग संख्या २०—शिक्षा—	४,४७,३९,००० रुपये
मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय—	२७,७१,००० रुपये
मांग संख्या ११५—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय—	५,५०,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्रम मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगें लेंगे ।

[उपाध्यक्ष द्वारा निम्न मांगें प्रस्तुत की गईं]

मांग संख्या ६५—श्रम मंत्रालय—		२६,७८,००० रुपये
मांग संख्या ६६—मुख्य खान निरीक्षक—		८,१६,००० रुपये
मांग संख्या ६७—श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय—		२,९१,४२,००० रुपये
मांग संख्या ६८—नौकरी दफ्तर तथा पुनर्संस्थापन—		१,२४,५०,००० रुपये
मांग संख्या ६९—नागरिक रक्षा—		१,१०,००० रुपये
मांग संख्या १३१—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय—		४,१८,००० रुपये

संभरण की अस्वीकृति

श्री विट्ठल राव (खम्मम): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १ रुपये की कटौती की जाये ।"

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों के संघों के अभिज्ञान सम्बन्धी नीति में एकरूपता का अभाव

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्रम न्यायाधिकरणों के विचाराधीन मामलों के निबटारे में विलम्ब

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

औद्योगिक कर्मचारियों को छंटनी से बचाने के लिये नीति का अभाव

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्रमिकों का निम्न जीवन स्थर तथा न्यूनतम मजूरी अधिनियम का न लागू किया जाना

श्री वीर स्वामी (मयूरम–रक्षित– अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

खनिकों तथा भूमि के नीचे काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के काम के घंटों के आठ से घटा कर छै घंटे प्रतिदिन किये जाने की आवश्यकता

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सिंगरैनी, कोठागुदियम तथा बेल्लमपली में कोयला खानों के मजदूरों के लिये मकानों की भारी कमी

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भूमि के नीचे काम करने वाल मजदूरों क विभिन्न वर्गों को सवेतन वार्षिक छुट्टी देने में समानता का अभाव

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

मजदूरों से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूर्ण विधानों का भारतीय भाषाओं में न छापा जाना

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का उत्सादन

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

मजदूर संघों के नियोजनों—सरकारी या असरकारी—द्वारा अभिज्ञान में किसी प्रक्रिया का न होना

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सरकारी या असरकारी उद्योगों में सब मजदूर संघों का अभिज्ञान और किसी विवाद होने की दशा में मत लिया जाना ताकि यह पता लग सके कि अमुक संघ कितना प्रतिनिधित्व करता है

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कोयला क्षेत्रों में 'यक्ष्मा' को एक औद्योगिक रोग घोषित करने का प्रश्न

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कोयला खानों के अधिलाभांश सम्बन्धी नियमों में संशोधन करना ताकि आवश्यक कालावधि के प्रयोजन के लिए सवेतन छुट्टी की कालावधि को भी उपस्थिति ही समझा जा सके

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कोलार स्वर्ण क्षेत्र की ऊरगाम गोल्ड कम्पनी में छंटनी का भारी डर

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में काम की दशा

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कतिपय प्रकार के उद्योगों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम का लागू न किया जाना

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

औद्योगिक श्रमिकों में समय समय पर होने वाली छंटनी को रोकने के किसी उपयुक्त व्यवस्था का न होना

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्रमिकों क लिए मकानों की समस्या

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों के संघ के अभिज्ञान सम्बन्धी नीति में एकरूपता का अभाव

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कृषि-श्रमिकों की ओर ध्यान न दिया जाना और न्यनतम मजूरी अधिनियम का कृषि-श्रमिकों पर लागू न किया जाना

श्री बी० एस० मुर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अकुशल कार्य-संचालन

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कानपुर तथा दिल्ली के अतिरिक्त अन्य नगरों तथा राज्यों में लागू न किया जाना

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

हट्टी स्वर्ण क्षेत्र, रायचूर, हैदराबाद, राज्य में मकानों की भारी कमी

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

बाग़-श्रमिक अधिनियम का लागू न किया जाना

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपयेकी कटौती की जाये ।"

कोयला क्षेत्रों के मज़दूरों को कम मजूरी का दिया जाना

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

स्वर्ण क्षेत्रों में चट्टानों के फटने की घटनाओं की जांच करने के लिये कैनेडियन विशेषज्ञों की नियुक्ति

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग मे १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सिंगरेनी कोलरीज़ कम्पनी हास्पिटल, कोठागुदियम में रोगियों की चिकित्सा

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग मे १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

आल इंडिया जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, बम्बई के कर्मचारियों की छंटनी तथा उनके साथ असन्तोषजनक बर्ताव

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग मे १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

यूनाइटेड बैंक आफ़ इंडिया, कलकत्ता द्वारा १४०० कर्मचारियों को पंचाट के अनुसार मंहगाई भत्ता देने से इंकार

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

कृषि-श्रमिकों को निर्वाह-मजूरी न दिलवा सकना तथा उनके काम की दशा में सुधार न कर सकना

श्री नानादास (ओंगोल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्रमिकों की समस्या को सुलझाने का असन्तोष तरीका

श्री नानादास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।"

कोठागुदियम तथा बल्लमपल्ली कोयला खानों में खान स्वास्थ्य बोर्डों के निर्माण में विलम्ब

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नौकरी दफ्तरों के बढ़ाये जाने तथा फिर से संगठित किये जाने की आवश्यकता

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'नौकरी दफ्तर तथा पुनर्संस्थापन' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये रिक्तियां सुरक्षित रखने के निमित्त नौकरी दफ्तरों का विस्तार तथा पुनर्संगठन करना

श्री पी० एन० राजभोज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'नौकरी दफ्तर तथा पुनर्संस्थापन' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नौकरी दफ्तरों का असन्तोषजनक कार्य-संचालन

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'नौकरी दफ्तर तथा पुनर्संस्थापन' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

गोरखपुर मजदूर संस्था का बन्द किया जाना

श्री विट्ठल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'नौकरी दफ्तर तथा पुनर्संस्थापन' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सब मांगें तथा कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष चर्चा के लिये प्रस्तुत हैं ।

श्री एच० एन० शास्त्री (ज़िला कानपुर–मध्य) : इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि मेरे पुराने मित्र श्री वी० वी० गिरि तथा उन के सहयोगी श्री आबिद अली श्रम मंत्री तथा श्रम उपमंत्री के पदों के लिये बहुत उपयुक्त हैं । इन के अलावा श्रम मंत्रालय में सचिवों के रूप में भी ऐसे व्यक्ति कार्य कर

[श्री एच० एन० शास्त्री]

रहे हैं जो समाज सेवा की सच्ची भावना से ओत-प्रोत हैं ।

परन्तु इस के साथ-साथ यदि मैं यह नहीं कहूंगा कि देश की श्रम समस्या आज चिन्ता से मुक्त नहीं है तो मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहूंगा । श्रम मंत्रालय को इस समस्या के सुलझाने में सफलता नहीं मिली है । विशेष रूप से देश की रोज़गार सम्बन्धी स्थिति बहुत खराब है । अभी उस दिन सदन को चाय उद्योग में आये गम्भीर संकट से अवगत कराया गया था । बतलाया गया है कि एक ओर तो मज़दूरों की मजदूरी में, जो कि पहले ही बहुत कम थी, २५ प्रतिशत कमी कर दी गई है और दूसरी ओर ६०,००० से भी अधिक मज़दूर बेकार हो गये हैं । गत पांच-छै सप्ताह में भूख से मृत्यू होने की भी कितनी ही घटनाओं की खबर मिली है ।

पटसन उद्योग में भी वैसी ही हालत विद्यमान है । इस उद्योग में पिछले छै मासों में कम से कम दस हज़ार व्यक्ति बेकार हो गये हैं ।

कोयला उद्योग में भी हालत बहुत सन्तोषजनक नहीं है । एक वर्ष से अधिक समय हुआ दिल्ली में श्रम तथा उद्योग मंत्रालयों तथा योजना आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एक विकास परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें विज्ञानीकरण तथा छंटनी के इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया गया था और सरकार, मज़दूरों तथा मालिकों के बीच एक समझौता भी हुआ था जिस के परिणामस्वरूप एक नीति निर्धारित की गई थी । परन्तु मुझे खेद है कि अभी तक वह योजना खटाई में पड़ी हुई है । कोयला उद्योग में पहले से ही संकट आया हुआ है और बहुत दिनों से चली आ रही मध्यस्थ-निर्णय की मांगें अस्वीकार कर दी गई हैं । कुछ मामलों में तो यहां तक कहा गया है कि विवादों का मध्यस्थ निर्णय को सौंपा जाना सरकार की सामूहिक विपणन की घोषित नीति के विरुद्ध होगा । मैं सामूहिक विपणन के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु वर्तमान परिस्थिति में सामूहिक विपणन की कोई अनियन्त्रित नीति मज़दूरों के ही हितों के विरुद्ध होगी और उस से देश के आर्थिक विकास का कार्य अस्त-व्यस्त हो जायेगा । अतः मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति पर ध्यान से विचार करें ।

माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन में कई बातें उठाई गई हैं । मैं उन के सम्बन्ध में तो कुछ अधिक नहीं कहना चाहता । परन्तु एक बात अवश्य कहना चाहता हूं । कुछ दिन हुए लगभग सारे सदन ने प्रधान मंत्री को उन की विदेश नीति के लिये धन्यवाद दिया था । मुझे प्रसन्नता है कि विदेश नीति के क्षेत्र में हमारे देश ने इतनी प्रतिष्ठा पाई है । परन्तु इस के साथ साथ मुझे इस बात का खेद भी है कि सामाजिक क्षेत्र में हमारा देश औसत से भी कुछ नीचे ही है । सौभाग्य की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की 'गवर्निंग बाडी' में हमारे तीन सदस्य हैं । परन्तु १९४८ तथा १९५२ के बीच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा स्वीकृत २० अभिसमयों में से भारत ने केवल दो पुनरीक्षित अभिसमयों का अनुसमर्थन किया । इस के अतिरिक्त श्रमनिरीक्षण सम्बन्धी एक और अभिसमय भारत द्वारा स्वीकार किया गया है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की कार्यवाहियों में वास्तव में भाग लेना चाहता है तो उसे इस क्षेत्र में कुछ और आगे बढ़ना चाहिये, अन्यथा यह सब चीज बेकार जायेगी ।

अन्त में मैं फिर यह कहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र श्री गिरि, उन के सहयोगी तथा श्रम मंत्रालय सच्चे हृदय से प्रयत्नशील हैं, परन्तु इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की नीति अधिक सक्रिय हो और उस में अविलम्बनीयता तथा स्थिति की गम्भीरता का आभास हो ।

श्री विट्ठलराव: आज हम श्रम मंत्रालय की मांगों पर ऐसे समय में बहस कर रहे हैं जब कि हमें प्रति दिन हजारों मजदूरों के निकाले जाने की खबरें सुनाई दे रही हैं। हर उद्योग में—पटसन, कोयला या कपड़ा—हरेक में हजारों व्यक्तियों को निकाला जा रहा है। चाय उद्योग की हालत भी खराब है और इस में बीस या पच्चीस हजार मजदूर बेकार हो गये हैं।

मैं यहां केवल उन उद्योगों के बारे में बोलूंगा जिन के लिये केन्द्रीय सरकार स्वयं पूरी तरह से उत्तरदायी है। कोयला उद्योग को लीजिये। हाल ही में मैं ने इंडियन माइनिंग ऐसोसियेशन के प्रधान की माइकल मोर के भाषण को पढ़ा जिस में उन्हों ने उद्योग को बन्द कर देने की धमकी दी है। उन्हों ने कोयले के दाम में वृद्धि कर देने की मांग की और कहा कि यदि ऐसा न होगा तो उद्योग पर इस का बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्हों ने बहुत सी बातें कहीं। वास्तव में उन्हों ने धमकी दी है।

आप कोयला खानों के मजदूरों की हालत देखिये। कहा जाता है कि भारत की कोयला खानों में सब से अधिक मजदूरी सिंगरेनी खानों में दी जाती है। आप देखिये वहां मजदूरी क्या है? मंहगाई भत्ता मिला कर एक मजदूर को १२.६ रु० प्रति सप्ताह दिया जाता है। रानीगंज में मजदूरी १०.९४ रु० है झरिया में १०.७५ रु० और मध्य प्रदेश में आठ रुपये। इस तरह भारत में कोयला खानों की मजदूरी का औसत दस रुपये है। यह है उस की एक सप्ताह की मजदूरी। अब देखिये कोयला खानों के मजदूरों को कितना कठिन और खतरनाक काम करना होता है। इस को देखते हुए उस के काम करने के घण्टे आठ से छः कर दिये जाने चाहियें। खान अधिनियम १९५२ में पारित किया गया था और वह भी जब मजदूरों ने बहुत शोर मचाया परन्तु उस के आगे कुछ नहीं किया गया है ।

छुट्टियों का प्रश्न लीजिये। पूरे वर्ष में उसे वेतन सहित दो छुट्टियों से अधिक नहीं मिल सकतीं। यह सुविधा भी बहुत कम मजदूरों को प्राप्त है । मजदूरों की हालत का पता लगाने वाली समिति ने सिफारिश की थी कि मजदूरों को वेतन सहित दस छुट्टियां दी जानी चाहियें। परन्तु आज तक उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है : फिर, खान अधिनियम के अनुसार, वे एक वर्ष में वेतन समेत एक सप्ताह की छुट्टी के अधिकारी हैं। बीमारी के लिये वेतन सहित छट्टी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह उन की हालत है इस पर अब वैज्ञानिकन किया जा रहा है। उन्हों ने कुछ औद्योगिक परामर्शदाता नियुक्त किये हैं जो उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं। यदि वे चाहते हैं कि मजदूर आठ घंटे पूरे परिश्रम के साथ काम करें तो हम इस बात को मानने के लिये तैयार हैं, परन्तु इसके लिये आप उनकी हालत ठीक करिये, जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं उन्हें सुधारिये। कम से कम फैक्टरी अधिनियम के जो उपबन्ध हैं उन्हें तो आप लागू कर सकते हैं। कोयला खान के मजदूरों को फैक्टरी अधिनियम की सुविधायें भी नहीं दी जातीं ।

अब मैं मजदूरों के लिये रहने के मकानों के बारे में कुछ कहूंगा। आज लग भग तीन लाख मजदूर कोयला खानों में काम करते हैं जिन में से दो लाख को मकानों की जरूरत है।

[श्री विट्ठल राव]

इस समय वे सब झौंपड़ियों में रहते हैं। जिस गति से श्रम मंत्री चल रहे हैं उस से तो इन मजदूरों के लिये सौ वर्ष में भी व्यवस्था नहीं हो सकती। सिंगरेनी खानों में गत तीन वर्षों में एक भी मकान नहीं बनाया गया है। बड़े दबाव के बाद उन्होंने १८० मकानों की मंजूरी दी है। शेष ७००० मजदूर झोंपड़ियों में रह रहे हैं।

श्रम कल्याण निधि में से गृह-व्यवस्था के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश की कोयला खानों में हालत और भी खराब है। पंचघाटी खानों तथा वर्धा घाटी खानों में मजदूर जिस हालत में रहते हैं वह अत्यन्त शोचनीय है।

फिर, इन कोयला खानों में मजदूर संघ सम्बन्धी कोई कार्यवाही करना संभव नहीं। ज्यों ही कोई व्यक्ति मजदूर संघ को संगठित करने की बात करता है, पुलिस बीच में आ जाती है और संघ खत्म हो जाता है।

मेरा सुझाव है कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को हटा दिया जाना चाहिये। १९५२ में हैदराबाद राज्य के शाहबाद सीमेंट कारखाने के मजदूरों ने ४८ दिन की हड़ताल की। हम ने कई बार प्रबन्धकों तक जाने का प्रयत्न किया परन्तु उन्हों ने मना कर दिया। मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया जिस ने छः महीने बाद यह फैसला दिया कि मजदूरों को पूरी मजदूरी, भत्ते आदि सहित, दी जानी चाहिये। अब प्रबन्धकों ने इस मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया है। इस बात को एक वर्ष हो गया है। और जितनी देर हो रही है, मजदूरों को उतना ही नुक्सान हो रहा है।

हम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बनाया है। इसे केवल दिल्ली और कानपुर में ही क्रियान्वित किया गया है। परन्तु इस में भी कार्य अच्छी तरह नहीं हो रहा है और वही नौकरशाही चल रही है। यद्यपि मैं यह चाहता हूं कि इस अधिनियम को अन्य स्थानों में भी लागू किया जाये परन्तु इस के साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इस अधिनियम की कमियों की ओर भी ध्यान दिया जाये।

मैं अब बागान श्रम अधिनियम पर आता हूं। यह अधिनियम बना तो दिया गया है परन्तु अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।

जहां तक बैंक तथा बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, बहुत कुछ शोर मचाने के बाद एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था। उस ने अपना निर्णय दिया था जिस से कर्मचारियों को कुछ लाभ मिला था। परन्तु हुआ क्या ? उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण उसे क्रियान्वित नहीं किया गया और अब एक दूसरी समिति बना दी गई है। एक वर्ष हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं हो पाया है।

एक और बात गोरखपुर श्रमिक दल के बारे में है। इस समय इस दल की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हर जगह बेकारी फैली हुई है। सिंगरेनी खानों में भी इस समय २००० मजदूर बेकार हैं। सिंगरेनी में १५०० मजदूर गोरखपुर श्रमिक दल के हैं। मैं इस चीज़ को नहीं चाहता कि दूसरे राज्य से किसी को आने ही नहीं दिया जाये, मैं तो यह चाहता हूं कि उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाये। हम ने ठेके की प्रणाली खत्म कर दी है, परन्तु यह ठेके का एक दूसरा रूप है। आप उन्हें केवल ग्यारह महीनों के लिये रखते हैं और फिर उन्हें निकाल देते हैं। उन में मजदूर संघवाद की कोई भावना

नहीं होती, वे न अधिक मजदूरी मांगते हैं, न अधिक भत्ते आदि।

अब मैं व्यवसायिक रोगों पर आता हूं। इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है। कोयला उद्योग में तीन लाख लोग लगे हुए हैं। कोयला उद्योग में नियुक्त डाक्टर इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देते।

यहां, सरकारी विभागों में हरेक मंत्रालय अपनी अलग श्रम नीति का अनुसरण करता है। अब समय आ गया है जब हरेक ऐसी संस्था को जो श्रमिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हो और जिस में पर्याप्त सदस्य हों, मान्यता दी जानी चाहिये। यदि मेरे पास समय होता तो मैं यह बतलाता कि गत चार वर्षों में श्रम सम्बन्धी जितने कानून बने हैं उन में सब में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि वे सब मजदूरों की अपेक्षा मालिकों के हक में ही अधिक हैं।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम उत्तर) : भारत विश्व के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत आठ बड़े देशों में से एक गिना जाता है और यही कारण है कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासिका समिति में एक स्थायी स्थान दिया गया है। अतः यह आशा की जाती है भारत में मजदूरों की हालत करीब करीब वैसी ही होनी चाहिये जैसी कि अन्य उन्नत देशों में है। परन्तु दुर्भाग्य से यह बात नहीं है और हमारे यहां मजदूरों की दशा अभी काफी असन्तोषजनक है। मजदूरों का जीवन निर्वाह स्तर बहुत नीचा है और उन की मुख्य असुविधा रहने के स्थान का अभाव है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है? हाल ही के वर्षों में सरकार ने श्रम सम्बन्धी बहुत से कानून पारित किये हैं और मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करने तथा उन्हें अन्य सुविधायें देने के लिये कई योजनायें भी बनाई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि भारत ने अन्य कई देशों के मुकाबले में सब से अधिक अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है। इस में कोई सन्देह नहीं कि सरकार की इन विभिन्न कार्यवाहियों से बहुत सी बातों में प्रगति हुई है परन्तु क्या इस से वास्तविक समस्या हल हो सकेगी। और क्या मजदूरों का जीवन निर्वाह स्तर ऊंचा हो सकेगा? कुछ समय से बहुत से विशेषज्ञ इस समस्या पर विचार करते रहे हैं और उन्होंने बताया है कि भारत के लोगों की क्रय शक्ति तथा मजदूरों की उत्पादन क्षमता दोनों बहुत कम हैं। जब तक इन मामलों में सुधार नहीं किया जाता, तब तक जीवन-निर्वाह स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता।

जहां तक कि लोगों की क्रय शक्ति का संबंध है, योजना आयोग ने इस विषय पर पूरी तरह विचार किया है। और इस में सुधार करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

मजदूरों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैतनिक उम्मीदवारी, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मशीनों का अधिक उपयोग आदि उपाय सुझाये हैं। आप किसी उद्योग का आधा काम मशीनों से करके और आधा हाथ से करके नहीं चला सकते। इस से शारीरिक श्रम भी बेकार जाता है और उत्पादन भी कम होता है। हमारे देश में, खानों में और फैक्टरियों में मशीनों की अपेक्षा हाथ से ज्यादा काम किया जाता है। हमें बताया गया है कि भारत का एक खनिक इंगलैंड के एक खनिक के उत्पादन के मुकाबले में केवल १/१० भाग का उत्पादन करता है। यह एक काफी गंभीर विषय है जिस पर सरकार और मालिकों दोनों को पूरी तरह से विचार करना चाहिये। जब तक मशीनों की सहायता से शारीरिक श्रम

[श्री पी० सी० बोस]

का उपयोग नहीं किया जाता तब तक हालत नहीं सुधर सकेगी। अधिक उत्पादन का मतलब अधिक आय है और अधिक आय से अधिक मजदूरी मिलेगी और अधिक मजदूरी से जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा उठ सकेगा।

वैतनिक उम्मीदवारी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर लगाये जाने से पहले किसी व्यक्ति को काम के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिये। यहां भारत में गांव से एक आदमी सीधा आता है और उसे काम पर लगा दिया जाता है। स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति एक अनुभवी अथवा प्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा कम उत्पादन करेगा। इस के अलावा व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा मशीनों के अधिक प्रयोग के सुझाव हैं, जिन पर, मैं समझता हूं, सरकार पूरी तरह विचार करेगी।

यह कहा गया है कि बोनस तथा भविष्य निधि अधिनियम सब मालिकों के फायदे के लिये है। मैं इसे नहीं मानता। ये कानून मजदूरों की भलाई के लिये बनाये गये हैं। मालिकों को बोनस और भविष्य निधि के लिये रुपया देना पड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण कानून हैं। जब मैं इस विषय में छान बीन कर रहा था तो मैं ने देखा कि वर्ष १८७१ में उस समय की सरकार ने केवल एक अधिनियम—फैक्टरी अधिनियम—पारित किया था और इस के बाद १९१७-१९१८ तक कोई श्रम सम्बन्धी कानून नहीं बनाया गया यानी ५० वर्ष तक कोई कानून नहीं बना। जितने कानून बने हैं वे सब पिछले कुछ वर्षों में ही बने हैं। इस लिये यह कहना गलत है कि सरकार ने कोई कानून नहीं बनाये हैं।

परन्तु कुछ अनियमिततायें अवश्य हैं। उदाहरणार्थ, एक अधिनियम बनाया गया है जिस के अनुसार १५ या १६ वर्ष के लोगों को काम में नहीं लगाया जा सकता। तो इसके साथ साथ एक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी होना चाहिये। क्योंकि यदि ये लोग काम पर भी न जायेंगे और पढ़ेंगे भी नहीं तो आखिर क्या करेंगे? वे केवल बाजारों में जा कर जेब काटना ही सीखेंगे। तो यह कुछ अनियमिततायें हैं जो मैं ने मंत्रालय के विचारार्थ यहां रखी हैं।

उद्योगों में कभी तेजी आयेगी और कभी मन्दी। पूंजीवादी या अर्द्ध पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में इन बातों पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। इस के होते हुए भी मंत्रालय को यह देखना चाहिये कि बड़े पैमाने पर छंटनी कभी न की जाये। कुछ दिन हुए मैं ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था कि जो भी बड़े पैमाने पर छंटनी करना चाहते हों उन्हें छंटनी से कम से कम छः महीने पहले सेवायोजनालयों को सूचित करना चाहिये और उन्हें भी जो नये आदमी रखना चाहें सेवा योजनालयों को काफी पहले सूचित करना चाहिये। यदि ऐसा किया जाने लगे तो मजदूरों को होने वाली परेशानी काफी कम हो सकेगी।

मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले श्रम मंत्री तथा वर्तमान मंत्री देश की मजदूर समस्याओं से पर्याप्त रूप से परिचित हैं। उन्हों ने मजदूरों के लिये काफी किया है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे इस से भी अधिक करेंगे।

श्री इलयापेरुमल (कुडलूर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं केवल खेतिहर श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जब कि औद्योगिक श्रमिकों के लिये थोड़ा बहुत कर भी दिया गया है, खेतिहर श्रमिकों के लिये

कुछ भी नहीं किया गया है। खेतिहर श्रमिकों के पास घर नहीं होता। इसलिये उन्हें रहने के लिये ऊसर भूमि दी जानी चाहिये। उन की हालत विस्थापित व्यक्तियों से भी खराब है। उन के बच्चे और स्त्रियां आधी नंगी रहती हैं तथा उन को भर पेट खाना भी नहीं मिलता है यद्यपि वे समस्त देश के लिये खाद्य उत्पन्न करते हैं। उन के बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। चिन्दाम्बरम् ताल्लुक में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर श्रमिकों को जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है तथा उन की स्त्रियों को जमींदार के घर पर काम करना पड़ता है। घर पर काम करने वाली स्त्रियों को कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। दिन भर काम करने पर भी खेतिहर श्रमिक को केवल छः आने से आठ आने तक की मजदूरी मिलती है।

वर्षों के बाद १९४८ में परिनियम पुस्तक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सम्मिलित किया गया था। परन्तु मुझे यह देख कर बहुत निराशा हुई है कि अजमेर, कच्छ और दिल्ली के राज्यों को छोड़ कर इस अधिनियम को और किसी राज्य में कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं सरकार तथा माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निदेश जारी करें अन्यथा इन श्रमिकों के असामाजिक लोगों के हाथों में पड़ जाने की सम्भावना है। मैं चाहता हूं हर प्रकार की जमींदारी समाप्त कर दी जाये।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं ने अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा कोलार की सोने की खानों में काम करने वाले व्यक्तियों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहा है।

गत वर्ष सितम्बर मास में मुझे कोलार की सोने की खानों को देखने का अवसर मिला था। कदाचित कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री भी वहां गये थे। किन्तु कुछ ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने वहां की सब बातों पर ध्यान नहीं दिया क्यों कि उन्हों ने सरकारी ढंग पर निरीक्षण किया था। उन्हें उन बातों को देखने का मौका ही नहीं दिया गया जिन बातों को मैं ने देखा है। मैं वहां के प्रबन्ध कर्त्ता बोर्ड से भी मिला हूं। मैं ने उस का ध्यान निम्न वर्ग के कर्मचारियों की ओर आकर्षित करना चाहा था। मैं ने सुझाव रखा था कि कम से कम ऐसे कर्मचारियों को इतनी सुविधायें तो दी जायें जिस से वे सम्मान-पूर्वक रह सकें। परन्तु बोर्ड के सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

जहां तक मैं वहां की स्थिति को समझ पाया हूं, साम्यवाद का जोर बढ़ रहा है। और इस सम्बन्ध में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यदि केन्द्र ने शीघ्र ही हस्तक्षेप न किया तो कोलार की सोने की खानों में साम्यवाद का ही बोल बाला हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय शीघ्र ही वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की दशा की जांच कराये।

कोलार की सोने की खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मोटे रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वे हैं जो प्रतिश्रुत कर्मचारी हैं तथा दूसरे वे हैं जो प्रतिश्रुत कर्मचारी नहीं हैं। प्रतिश्रुत कर्मचारियों की विदेश भत्ते के अलावा अन्य बहुत सी सुविधायें प्राप्त हैं। अधिकतर प्रतिश्रुत कर्मचारी योरोपीय हैं। जब कि समस्त अधीनस्थ कर्मचारी भारतीय हैं। प्रतिश्रुत कर्मचारियों को भविष्य निधि के अलावा निवृत्ति-वेतन भी मिलता है जब कि अधीनस्थ कर्मचारियों को केवल थोड़ी सी भविष्य निधि मिलती है। वहां पर कर्मचारियों की आयु के सम्बन्ध में कोई पाबन्दी नहीं है। ७५ वर्ष के भी कर्मचारी हैं। खूबी तो यह है कि ४० वर्ष तक कार्य करने के पश्चात्

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

भी ऐसे कर्मचारी को केवल चार या पांच हजार रुपये भविष्य निधि के रूप में मिलते हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए।]

प्रतिश्रुत कर्मचारियों को उन की पत्नियों तथा बच्चों के लिये भी मंहगाई भत्ता दिया जाता है जब कि अधीनस्थ कर्मचारियों को ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। प्रतिश्रुत कर्मचारियों को रहने के लिये बंगले मुफ्त में मिलते हैं, या उन्हें बंगला भत्ता दिया जाता है। उन्हें मुफ्त में ईंधन और बिजली मिलती है। उन के लिये लागत मूल्य पर वस्तुयें खरीदने के लिये दुकान खोल दी गई है। उन्हें सवारी भत्ता भी मिलता है। इस प्रकार की कोई सुविधा अधीनस्थ कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है। उन्हें जब चाहे तब निकाला जा सकता है। यहां तक कि २० या २५ वर्ष की नौकरी होने पर भी कर्मचारियों को बिना किसी अपराध के निकाल दिया जाता है। यह भेद भाव केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है बल्कि मृत्यु के बाद भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिश्रुत कर्मचारी है और उस का पुत्र प्रतिश्रुत कर्मचारी नहीं है तो पुत्र की कब्र उस कब्रिस्तान में नहीं बनाई जा सकती है जिस में उस का पिता दफनाया गया हो। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा दक्षिण अफ्रीका का वातावरण यहां न फैलने दें। माननीय मंत्री ने उरगाम की सोने की खानों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का सुझाव रखा था। मैं चाहता हूं कि निर्देश के पदों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाय और कोलार की सोने की खानों की दशा के सम्बन्ध में भी जांच करने का सुझाव शामिल कर लिया जाये।

श्री विद्यालंकार (जालन्धर): यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि पिछले पांच साल से जो कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया की लेबर पालिसी रही है वह प्राग्रेसिव पालिसी रही है और उन्हों ने काफी कानून इस उद्देश्य से बनाये हैं कि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। जहां तक पालिसी का ताल्लुक है मुझे इस बात पर खुशी है कि पिछले साल से जब से कि वर्तमान श्रम मंत्री ने मंत्रित्व संभाला उन्हों ने काफी विचार किया है कि नये बदले हुए हालात में हम को क्या तबदीलियां करनी हैं और कानूनों को क्या नया रूप देना है। पिछले साल से उन्हों ने इस सम्बन्ध में जो चर्चा की है उस से काफी विचार मन्थन हुआ है और हम को इस बात की खुशी है कि पिछले दिनों में नैनीताल में और दूसरी जगहों में जो विचार हुआ है उस में श्रम के सभी कार्य करने वालों और दिलचस्पी लेने वाले गिरोहों और पार्टियों ने हिस्सा लिया है और इस में काफी कंट्रीब्यूशन किया है। मैं यह चाहता हूं कि जब कि आज हम प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं दो तीन बातें हम साफ कर दें। इस वक्त तक जहां तक पालिसी को अमल में लाने का ताल्लुक है सूबों में विशेष रूप से और मैं कहूंगा कि बहुत हद तक सैंटर में भी उस पालिसी पर अमल नहीं होता जिस का कि हम बार बार ऐलान करते हैं या जिस की हमारे माननीय मंत्री अपने व्याख्यानों में और अपने भाषणों में व्याख्या करते हैं।

मैं यह समझता हूं कि उस के सम्बन्ध में दो, तीन बातें हमें साफ कर देनी चाहियें। पहली चीज यह है कि गवर्नमेंट की लेबर पालिसी मजदूरों के हक में होनी चाहिये। मैं इस चीज को और ज्यादा साफ कर दूं कि गवर्नमेंट की लेबर पालिसी ऐसी होनी चाहिये कि चाहे उस के लिये ट्रिब्यूनल हों अथवा कोर्टस् हो, मिल मालिक और मजदूरों के झगड़े जो उन के पास निर्णय के लिये जायें, तो उनको

मजदूरों का हित सर्वोपरि रखना चाहिये और उन को मजदूरों के हक में अपना फैसला देना चाहिये। क्योंकि मजदूर जमात एक कमजोर जमात है। यहां पर "कलेक्टिव बारगेनिंग" की चर्चा की गई और हमारे श्रम मंत्री ने इस बात की तरफ तवज्जह दिलाई कि हमें 'कलेक्टिव बारगेनिंग' या सामूहिक फैसले की तरफ ध्यान देना चाहिये, बिल्कुल ठीक चीज है, लेकिन हमें यह बात भी नही भुला देनी है कि मजदूरों का संगठन बहुत कम है और जहां कहीं मजदूर ताकतवर हैं भी वहां उन की आर्थिक हालत तो दयनीय रहती ही है। आजकल होता यह है कि अगर कहीं मजदूर लाचार हो कर हड़ताल अथवा पिकेटिंग करते हैं तो सरकार उस में रुकावट डालती है, पुलिस आती है और उन को ऐसा करने से रोकती है और वह ऐसा इसलिये करते हैं कि वर्तमान समाज व्यवस्था में जितनी भी "प्रापर्टी" है, कारखाने आदि हैं, उन की रक्षा करना गवर्नमेंट का फर्ज माना गया है, वह सब ठीक है, लेकिन मैं पूछूं कि जिस वक्त मिल मालिक बिना किसी कारण के मजदूरों को अपने कारखानों और फैक्टरीज से डिसमिस कर देते हैं छंटनी या "रिटरेंचमेंट" कर देते हैं, उस वक्त क्या हमारा उन मजदूरों की रक्षा करना फर्ज नहीं हो जाता है। आज होता यह है कि मिल मालिक के कहने पर पुलिस आ जाती है और हड़ताली मजदूरों को जबर्दस्ती वहां से हटा देती है और मिल मालिकों की प्रापरटी की रक्षा करती है। परन्तु असल में हमें मजदूरों के हितों और उन के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना हमारे लिये एक बहुत पवित्र चीज है। लेकिन अगर आप कारखानेदारों और पूंजीपतियों का यह अधिकार मान लेते हैं कि जब वह जिसे चाहें काम से डिसमिस कर सकते या निकाल सकते हैं, मजदूरों की शान्तिपूर्ण हड़तालों और पिकेटिंग को तुड़वा सकते हैं तो मैं कहने पर मजबूर हूं कि हम मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि आप इस सम्बन्ध में अपनी पालिसी तय करने जा रहे हैं और उसके लिये हम एक नया कानून भी बनाने जा रहे हैं, तब उस में हमें यह बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिये कि गवर्नमेंट की सिर्फ "प्राइवेट प्रापर्टी" की रक्षा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि उस का यह भी देखना फर्ज है कि मजदूरों के साथ न्याय होता है, और उन के वाजिब हक सुरक्षित रहते हैं। यदि कारखाने दार का कारखाने की सम्पत्ति पर अधिकार है और सरकार इस अधिकार की रक्षा करती है तो मजदूर का काम पाने का और कारखाने में मुलाजमत का भी हक है जिस की रक्षा उतनी ही तत्परता से होनी चाहिये। प्रापरटी की रक्षा करने की सरकार की जिम्मेदारी के बारे में तो हाई कोर्ट, एपेलेट कोर्ट और दूसरे कोर्टस् में यह एक आम उसूल तस्लीम कर लिया गया है कि प्रापरटी की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। मैं वर्तमान दशाओं में इस सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हूं, वह तो ठीक है, लेकिन जब हम एक नया बिल लेबर पालिसी को ले कर ला रहे हैं तो यह चीज सब पर बाजे हो जानी चाहिये कि सरकार का मजदूरों के लिये भी कुछ फर्ज है और उनके काम पाने और काम करने के उचित अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार अपना कर्त्तव्य समझती है।

इसी तरह जहां पर 'कम्पलसरी आरबिट्रेशन' और 'वालेन्टरी आरबिटेशन' का सवाल आता है तो हम देखते हैं कि वहां "पब्लिक युटिलिटी सर्विस" और "नान पब्लिक युटिलिटी सर्विस" का भेद किया जाता है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भेद करना बनावटी है और हमें इस को दूर करना चाहिये। मैं इस की कोई वजह नहीं समझता कि ऐसी "इंडस्ट्रीज" और

[श्री विद्यालंकार]

उद्योग जो जनता के लिये उपयोगी इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक युटिलिटी सर्विसेज हैं, उन के लिये सरकार की विशेष जम्मेदारी तो हो लेकिन जो "नान पब्लिक युटिलिटी सर्विसेज" हैं वहां के मजदूरों की रक्षा न की जाये और दोनों के बीच ऐसा भेद करना ठीक व उचित नहीं है। जहां तक गवर्नमेंट के कारखानों का सवाल है, गवर्नमेंट अपने "इस्टैबलिशमेंट्स" को "पबलिक युटिलिटी सर्विस" कह कर वहां पर मजदूरों के अधिकारों को खत्म कर देती है, लेकिन यह होना चाहिये कि मजदूरों चाहे वह कहीं भी काम करे, हर जगह उस के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये। मैं चाहता हूं सरकार उन कारणों को दूर करने की कोशिश करे जिन के कारण मिल मालिकों और मजदूरों में आये दिन झगड़े चला करते हैं और जब तक हम उन बुनियादी कारणों को दूर नहीं करते तब तक हम अपने देश की व्यवस्था को और अपने देश के विभिन्न उद्योगों को उन्नत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मजदूरों की यूनियन्स के "रेकगनाइज" करने का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया और जब तक यूनियनों को रेकगनाइज नहीं किया जाता तब तक आप की कोई "कलेक्टिव बारगेनिंग" नहीं हो सकती। यह बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट मजदूरों की यूनियन्स को तस्लीम करे क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मिल मालिक लोग किस से बात करेंगे और यूनियन्स के तस्लीम करने में रेकगनीशन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। हमारे कानून में जो "कम्पलसरी रेकगनीशन" की धारायें थीं उन के आधार पर या और नई धाराओं के आधार पर हमें कुछ न कुछ इस दिशा में करना चाहिये। यह बड़े हर्ष और सन्तोष का विषय है कि आप लेबर पालिसी के सम्बन्ध में एक नया कानून बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम मुतवातिर तीन साल से उस नये कानून का इन्तजार कर रहे हैं और मैं नहीं कह सकता कि नया कानून हमारा कब तक बन कर तैयार हो जायेगा। मैं यह भी नहीं जानता कि आया बजट सेशन में नया कानून आ भी रहा है या नहीं और मैं समझता हूं कि अगर आये भी तो उस पर विचार करने और पास करने में काफी समय लग जायेगा, इसलिये मेरा सुझाव है कि जब तक नया कानून नहीं बन पाता, तब तक मौजूदा कानून में जो ऐसी त्रुटियां हैं जिन की वजह से दिक्कत होती है, उन का हम सुधार कर लें और कोई "टेम्परेरी मेज़र" "इंटेरिम अरेंजमेंट" ऐसा होना चाहिये जिस से मजदूरों को राहत मिले। मौजूदा कानूनों में 'इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट" स्टैंडिंग आर्डर्स के कानून, मिनिमम वेजेज एक्ट और यूनियन के रेकगनीशन आदि जैसी जो खामियां हैं उन को सुधार लें, हम सिर्फ इतने ही से सन्तोष मान कर नहीं बैठ सकते कि नया कानून आने वाला है, इसलिये इस समय हमें कुछ नहीं करना। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इंटेरिम अरेंजमेंट के लिये कोई न कोई चीज हमें फौरन करनी चाहिये जिस से कि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। देश का प्रोडक्शन बढ़ाने की बड़ी चर्चा होती है और मैं भी चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन ऐसे प्रोडक्शन का क्या फायदा जिस में मजदूरों की छंटनी होती है और उन को काम से निकाला जाता हो, और जब आदमी बेकार हो जाता है तो वह आप का माल नहीं खरीद सकते, लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। जरूरत यह है कि वेलफेयर स्टेट बनाने का जो हमारा आदर्श है तो उस में तो यह होना चाहिये कि अगर मजदूरों की वेजेज नहीं बढ़ायी जातीं तो उन की जरूरत की चीजों की कीमत तो कम की जाये।

हम अपनी इंडस्ट्री को "रेशनलाइज" करना चाहते हैं, तो सिर्फ हमें इसी पर दृष्टि नहीं रखनी है कि "कैपिटल" कम खर्च हो, मिल मालिकों के खर्चों में कमी आये और प्रोडक्शन ज्यादा हो और प्राफिट भी ज्यादा हो, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आम जनता को और मजदूरों आदि को चीजें, उन की जरूरत की चीजें कम दामों पर मिल सकें। सिर्फ यही जरूरी नहीं कि चीजों के दाम इस हिसाब से कम हों ताकि वह "फारेन मार्केट" में बिक सकें ऐसा बेशक हो, परन्तु मजदूर वर्ग को कुर्बान कर के नहीं— उन्हें कम उजरत दे कर, उन पर काम का बोझ बढ़ा कर और एक बड़ी संख्या को बेकार कर के नहीं। बेशक विदेशों में हमारा माल न बिके, पर हम कम कीमत पर माल बेचने के खातिर मजदूरों को बेकार न होने देंगे। अगर आप के रेशनलाइज़ेशन से यही मुराद है कि आप का प्रोडक्शन बढ़े, और फौरेन मार्केट में आप की चीजें खप सकें, चाहे मजदूरों की आर्थिक अवस्था हीन होती चली जाय और चाहे उन की दिन पर दिन खरीदने की ताकत कम होती जाय और इस तरह जो एक बेकारों की फौज देश में बन रही है उस में निरन्तर इज़ाफा होता चला जाय, तो मैं कहूंगा कि वह रेशनलाइज़ेशन नहीं है और वह आप का जो एक वेलफेयर स्टेट बनाने का मकसद है, उस के अनुकूल नहीं है, फौरेन मार्केट के लिये हमें मजदूरों की "कौस्ट" पर सस्ती चीजें तैयार नहीं करना चाहिये।

इस के साथ मैं दो चार मिनट में जो पालिसी के इम्पिलिमेन्टेशन का सवाल है उस के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। जो हमारी नीति है वह काफी प्राग्रेसिव है, लेकिन हमारा जो अमल है, खास कर स्टेटों में वह बिल्कुल 'अनप्राग्रेसिव' है। मैं पंजाब स्टेट के बारे में कह सकता हूं कि वहाँ तो कम से कम यही हाल है। मेरे दोस्त हरिहर नाथ जी ने इस का ज़िक्र किया था, लेकिन मैं इस का ज़िक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वह सबजुडिस है। मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहले एक मामला ट्रिब्यूनल में भेजा गया। अब मजदूरों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे उसे वहां से वापस ले लें। उन के रास्ते में काफी अड़चनें डाली जा रही हैं और यह सब कारखानेदारों के दबाव में आ कर किया जा रहा है। हमारे यहां जो झगड़े होते हैं उन को ट्रिब्यूनल में भेजने में भी काफी दिक्कतें और उलझनें खड़ी की जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि मामले ट्रिब्यूनल में चलते रहें और हमारे मजदूर लोग मुकद्दमेबाज़ी में फंसे रहें। परन्तु या तो आप मजदूरों को भी छोड़ दें कि वह स्ट्राइक करें, पिकेटिंग करें और जो उन की ताकत है उस को इस्तेमाल करें क्यों कि जो काम करने वाले आदमी हैं आप अगर उनकी हिफाजत नहीं करते, तो फिर उन्हें खुला छोड़ दें। कारखानेदारों को भी आप 'प्रोटेक्शन' देना बन्द कर दें और उन को और मजदूरों को आपस में फैसला करनें दें। लेकिन जब आप देश के हित के लिये 'फैक्टरी ओनर' को 'प्रोटैक्शन' देते हैं ताकि काम चलता रहे तो आप को मजदूरों के हक को भी प्रोटेकशन देना चाहिए मैं जानता हूं कि जब झगड़े चलते रहते हैं, जब वह स्ट्राइक करना चाहते हैं, या और कोई रास्ता अपनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के कानूनों के मातहत उन को धमकी दी जाती है लेकिन 'फैक्टरी ओनर' से बोलने वाला कोई नहीं है। आप ने उन के लिये क्या कानून रखा है। आप ही बतलाइये कि जब कभी एम्पलायर या फैक्टरी ओनर गलती करता है तो उन में से कितनों को जेल हुई ? लेकिन कितने ही मजदूर हैं जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिये जेलों में गये हैं। मैं तो चाहता था कि आप को मिसालें दूं और बताऊं कि कितनी ज्यादतियां मजदूरों पर हो

[श्री विद्यालंकार]

रही हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के हाथों जिस तरह कानून का इम्पलीमेन्टेशन होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। मैं आप को पैप्सू का हाल बताना चाहता हूं, हालांकि वहां के शासन का अधिकार अभी हाल ही में आप के हाथों में आया है। वहां फगवाड़े के खांड के कारखानों में झगड़ा चल रहा है, ऐवार्ड हुआ, ऐवार्ड को गवर्नमेंट ने मानने का फैसला किया, लेकिन कारखानेदारों ने उस फैसले को मानने से इन्कार कर दिया और जब गवर्नमेंट ने कहा कि कारखाना चलाओ तो उन के कहने पर ध्यान नहीं दिया। जब उन की यह हालत है कि गवर्नमेंट की नहीं सुनते तो जो मजदूर फैक्टरियों को चलाते हैं उन का क्या खयाल वह कर सकते हैं।

आखिर में मैं गवर्नमेंट के मुलाजिमों के सवाल पर कुछ कहना चाहता हूं। सरकारी मुलाजिमों की हालत आज कल बहुत खराब है। उन की लीव और पेन्शन का सवाल है, उन की टेन्योर आफ सर्विस और सिक्योरिटी का सवाल है। सैकड़ों की तादाद में हमारे सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जिन की परमेनेन्सी के सवाल को अभी उठाया भी नहीं गया। दस दस साल नौकरी करने के बाद भी वह टैम्पोरेरी बने हुए हैं। जब तक हम उन की दिक्कतों को हल नहीं कर सकेंगे, जब तक गवर्नमेंट एक आइडियल एम्प्लायर नहीं बनती, तब तक वह प्राइवेट इम्प्लायर पर इस के लिये कैसे दबाव डाल सकती है। जब हम मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये मालिकों पर जोर डालना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को भी आइडियल इम्प्लायर बनना चाहिये। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन अगर आप जो रिप्रेजेन्टेशन आते हैं, दरख्वास्तें मुलाजिमों की आती हैं उन को देखें तो आप को मालूम होगा कि वह किन हालात में रह रहे हैं। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट आइडियल इम्प्लायर बने और जो सर्विस रूल्स हैं जिन की वजह से उन को सब सहूलियतें मिल नहीं पा रही हैं, उन को बदले। जो अधिकार और जो सहुलियतें वह दूसरे मजदूरों को दे रही है वही अधिकार और वही सहूलियतें सरकारी मुलाजिमों को दी जायें तभी मैं समझता हूं कि हम सही तौर पर एक वेलफेयर स्टेट बना सकेंगे।

श्री रामा नन्द दास (बैरकपुर) : पिछले पांच छै: वर्षों में सरकार ने श्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाले जो अधिनियम पारित किये हैं मैं उस के लिये सरकार को बधाई देता हूं, किन्तु जब तक वे कार्यान्वित नहीं किये जाते तब तक उन का कोई लाभ न होगा। अब तक केवल ५० प्रतिशत कानून कार्यान्वित किये गये हैं जिस में श्रमिकों को अधिक लाभ नहीं पहुंचा है।

आजकल हर उद्योग में छंटनी की धूम मची हुई है। चाय, कपड़ा, लोहा और इस्पात, कोयला तथा पटसन उद्योगों में छंटनी की जा रही है। चाय बागीचों में से लगभग एक लाख श्रमिक निकाल दिये गये हैं। यही हाल पटसन मिलों में है। भारत सरकार राज्य सरकार पर दोष मढ़ती है और राज्य सरकार भारत सरकार पर। इन दोनों के झगड़ों में बेचारे श्रमिक पीसे जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस छंटनी को संसद् में विधान पारित कर के तुरन्त बन्द कर दे तथा इस सम्बन्ध में एक जांच समिति भी नियुक्त करे। यदि छंटनी की जाय तो निकाले गये श्रमिक को प्रति वर्ष की सेवा के हिसाब से एक महीने का वेतन तथा भविष्य निधि की राशि मिलनी चाहिये।

यद्यपि सरकार ने १९४८ में ही कृषि न्यूनतम मजूरी अधिनियम पारित कर दिया

था किन्तु आज तक उसे बहुत से राज्यों ने कार्यान्वित नहीं किया है। खेतिहर श्रमिक से आज भी बेगार ली जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह साहस से काम ले कर इन खेतिहर श्रमिकों को पूंजीपतियों तथा जमींदारों के शोषण से बचाये।

आज कल समस्त औद्योगिक झगड़ों को समझौता अधिकारियों के पास भेजा जाता है। इस के बाद आवश्यकता पड़ने पर झगड़े को अधिकरण या अपीलीय अधिकरण के पास भेजा जाता है। इस समस्त कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगता है यहां तक कि कभी कभी तो दो तीन वर्ष तक लग जाते हैं। अतएव मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अपीलीय अधिकरणों को समाप्त कर दे। इन से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं पहुंचता। झगड़ों को निबटाने का अन्य तरीका निकाला जाये।

नगरपालिकाओं में काम करने वाले श्रमिकों की हालत बहुत खराब है विशेषकर भंगियों की। उन के ऊपर आवश्यक सेवा अधिनियम तो लागू कर दिया जाता है किन्तु उन्हें सुविधायें कुछ भी नहीं दी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि उन पर भी वही सब कानून लागू किये जायें जो फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होते हैं। उन के साथ भी अन्य श्रमिकों जैसा ही व्यवहार किया जाये।

टाटा जैसी फर्मों ने अब तक ठेके पर श्रमिकों को रखना बन्द नहीं किया है। इस का फल यह होता है कि श्रमिकों से काम तो लिया जाता है किन्तु उन्हें उतनी मजदूरी नहीं दी जाती है। अतएव मेरा सरकार से निवेदन है कि वह ठेके पर काम करने की प्रणाली को बन्द कर दे तथा ऐसा प्रबन्ध करे जिस से उन श्रमिकों को भी वही सुविधायें मिलें जो अन्य स्थायी श्रमिकों को दी जाती हैं।

हमारे देश में वेतन के सम्बन्ध में बहुत असमानता है। जब कि क्लर्क को ५० से १०० रुपये तक मिलते हैं तब उच्च अधिकारियों को ४००० से ५००० रुपये तक दिये जाते हैं। अन्य किसी देश में इतनी असमानता नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह न्यूनतम वेतन १०० रुपये और अधिकतम १००० रुपये निर्धारित कर दे। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक लोगों में फैला हुआ असन्तोष दूर न होगा।

सरकार को श्रमिकों के लाभ के लिये सहकारी बैंक खोलने चाहियें। ऐसे बैंकों की ग्राम्य क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता है। श्रमिकों के लिये शिक्षा भी अनिवार्य कर देनी चाहिये क्योंकि अशिक्षित श्रमिक कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। श्रमिकों में बेकारी दूर करने के लिये, जो कि आज कल बहुत बढ़ गई है, सरकार को कुटीर उद्योग खोलने चाहियें तथा साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने चाहियें जिस से अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम मिल सके।

श्री बी० एस० मूर्ति : यह देख कर खुशी होती है कि कार्मिक संघ के प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री गिरि आज मंत्री हैं और आज वह उस काम को करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि उन्हों ने तीस वर्ष पहिले शुरू किया था। मुझे उन के निकट सम्पर्क में रहने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मजदूरों के लिये उन की जो भावनायें हैं उन्हें मैं जानता हूं। मुझे विश्वास है कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्मिक संघ आन्दोलन सम्यक् प्रकार से काम करे और औद्योगिक तथा खेतिहर मजदूरों को किसी प्रकार सताया न जाय। श्रमिक प्रश्न पर चर्चा करते समय हमें पंचवर्षीय योजना का ध्यान रखना चाहिये। भारत ने मिली जुली अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार किया है। जैसा कि पंचवर्षीय

[श्री बी० एस० मूर्ति]

योजना में कहा गया हमारा ध्येय जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। जिस देश की आबादी ३५ करोड़ हो और जहां लाखों लोग बेरोजगार हों, मैं नहीं समझ पाता कि योजना बनाने वाले व्यक्ति देश का जीवन स्तर पांच वर्षों में कैसे ऊंचा बना सकते हैं। हमारी योजना में एक और कमी है और वह है घाटे की अर्थ व्यवस्था करना। किन्तु ऐसा करने में हमें मुद्रास्फीति का खतरा उठाना पड़ेगा। चीजों के दाम बढ़ेंगे और विदेशों से अधिक माल का आयात करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि श्री गिरि मजदूरों की हालत को और अधिक बिगड़ने से कैसे बचायेंगे। मैं भारत के मजदूरों को दो वर्गों में बांटता हूं——औद्योगिक तथा खेतिहर। औद्योगिक मजदूर ५० लाख से अधिक नहीं हैं। इन ५० लाख मजदूरों से भारत अपना औद्योगिक विकास नहीं कर सकता भारत में बेरोजगारी बहुत है और छंटनी भी बहुत की जाती है। मुझे आशा है कि सरकार शीघ्र ही एक ऐसा विधान बनायेगी जिस से कि कारखानों, चाय के बागों तथा खानों में काम करने वाले मजदूरों का पूंजीपति शोषण न कर सकें।

सरकार ने एक समान मज़दूरी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विधान नहीं बनाया। भिन्न भिन्न उद्योगों में मजदूरी में एक समानता नहीं है। इस से मजदूरों की उन्नति में बाधा पड़ती है। मैं चाहता हूं कि सभी उद्योगों में एक समान मजदूरी दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र ही कुछ कार्य करेगी। निस्सन्देह न्यूनतम मजूरी अधिनियम बन गया है। न्यूनतम मजदूरी भी भिन्न भिन्न उद्योगों में अलग अलग है। सरकार को ऐसा विधान बनाना चाहिये जिस से कि मजदूर अपना गुजारा अच्छी प्रकार चला सकें।

चाय बगीचों तथा खानों के मजदूरों की हालत सब से खराब है। श्री रामानन्द दास ने बताया कि चाय उद्योग में हजारों मजदूरों की छंटनी की जा रही है। हाल ही में कलकत्ता में दस हजार मजदूरों ने एक जुलूस निकाला। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे कि मजदूरों की छंटनी न की जाये। यदि आवश्यक हो तो एक अध्यादेश जारी किया जाय कि जिस से उद्योग पति गड़बड़ी न कर सकें। औद्योगिक विराम संधि संकल्प का मजदूरों ने पालन किया है, केवल उद्योगपति ही इस की कमी से लाभ उठाना चाहते हैं। मैं सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के पारित कर देने के लिये बधाई देता हूं। इस से तीस लाख मजदूरों को फायदा होने की उम्मीद है। किन्तु मैं समझता हूं कि इस से तीन लाख मजदूरों को भी लाभ नहीं हुआ। अतः जब तक विधान के उपबन्धों का पालन न किया जाय तो उस के पारित करने से क्या लाभ। औद्योगिक मजदूरों के लिये और अधिक विधान बनाने चाहियें जिस से उन्हें वृद्धावस्था में सेना निवृत्ति वेतन मिल सके। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह विधान बनायेगी।

मैं खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। भारत में तेरह से पन्द्रह करोड़ व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं। उन में से आधे ऐसे हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं। उन में से अधिकांश फसलों के वक्त पर मजदूरी करते हैं। जनता में असन्तोष की भावना होने से किसी देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। केवल सरकार साहसपूर्वक इस समस्या को सुलझा सकती है। भारत में पन्द्रह करोड़ व्यक्ति दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें दोनों समय का खाना भी

नहीं मिलता और उन्हें इस बात से कब तक सुख मिल सकता है कि वे स्वतंत्र हैं।

इस सम्बन्ध में यह बता दूं कि यह समस्या इतनी कठिन नहीं जितनी कि कुछ सदस्य समझते हैं। भारत में ऐसी सात करोड़ एकड़ जमीन बेकार है जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। इस सहकारी आधार पर बांटा जा सकता है और अधिकांश मजदूरों को इस में काम मिल सकता है। इस से बेरोजगारी की समस्या तो हल होगी ही, और इस के साथ साथ खाद्य समस्या भी हल हो जायेगी। यदि खेतिहर मजदूरों का जीवन स्तर उच्च करना है तो उन्हें अधिक मजदूरी दी जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार को फसल का उत्पादन व्यय यथा-सम्भव कम कर देना चाहिये। सरकार को किसानों को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिये जिससे वे कम खर्चे पर अधिक फसल पैदा कर सकें। औद्योगिक मजदूरों को और अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। फसलों के मौक़ों पर अन्य स्थानों से आने वाले मजदूरों को रेल में सफर करने की रियायत दी जानी चाहिये। माननीय मंत्री ने इस बात का वचन दिया था कि औद्योगिक मजदूरों के सम्बन्ध में आंकड़े तैयार किये जायेंगे। किन्तु यह नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि वे इन आंकड़ों को तैयार करवा सकेंगे। माननीय मंत्री को एक आयोग नियुक्त करना चाहिये जो यह पता लगायेगा कि मजदूरों की किस प्रकार मदद की जा सकती है और आयोग के रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर इस सम्बन्ध में एक विधान बनाया जा सकता है। मुझे आशा है कि श्री गिरि खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिये भी उतना ही प्रयत्न करेंगे जितना कि उन्हों ने औद्योगिक मजदूरों के लिये किया है।

श्री रूपनारायण (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस–पश्चिम–रक्षित अनुसूचित जातियां) : आदरणीय, सभापति महोदय, मुझे इस सदन के समक्ष आज पहली बार बोलने का अवसर मिला है, इसलिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं और हाउस का मैं ज्यादा समय न ले कर थोड़े में ही अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहता हूं।

मैं बनारस और मिर्जापुर क्षेत्र से चुना जा चुका हूं और आया हूं। मेरे क्षेत्र में चार क़िस्म के मज़दूर हैं। एक तो आप जानते हैं कि बनारस शहर में बनारसी साड़ी बनाने का बहुत पुराना धन्धा है, यह रोज़गार पहले बहुत ज्यादा उन्नत था और इस में हज़ारों आदमी काम करते थे और अपनी जीविका कमाते थे लेकिन आज हालत यह है कि करीब क़रीब तीस हज़ार आदमी जो इस बनारसी साड़ी के बनाने में लगे हुए थे, वह बेकार हैं और आज उन की रोटी और पेट भरने की समस्या उन के सामने विकराल रूप में मौजूद है। इस के विषय में कामर्स मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री दोनों का ध्यान खींचा गया और शायद लेबर मिनिस्टर तो बनारस जाकर स्वयं हालत देख भी आये हैं और उन के पास इस सम्बन्ध में रिप्रेज़ेन्टेशनस् भी आ चुके हैं, लेकिन खेद है कि अभी तक उस विषय में कुछ नहीं हो सका है। आज उन की हालत इतनी दयनीय हो चली है कि बेकारी के कारण तीन २ चार २ दिन तक उन को खाने को नहीं मिलता है और अभी तीन, चार महीने की ही बात है कि एक बुनकर जो साड़ी बुनता था, जब उस का कोई रोज़गार नहीं रह गया और और घर में उस के तीन बच्चे और स्त्री थी, तीन दिन निरन्तर उपवास करते जब हो गये, तो चौथे दिन उस ने सोचा कि जाकर किसी से उधार मांगे, ज़ेवर और बर्तन आदि तो वह पहले ही बेचकर खा चुका था, लेकिन अभाग्य-वश उस को किसी से भी क़र्ज नहीं मिला, तो आखिर में सब ओर से निराश होकर

[श्री रूपनारायण]

वह रात में आकर अपने तीनों बच्चों को क़त्ल करता है; इस के बाद अपनी बीवी को भी क़त्ल करने के लिए छरा उठाता है और पेट में उस के भोंक देता है, छुरा तो लग जाता है, मगर बीवी जाग जाती है, उस के बाद वह तुरन्त अपने को भी छुरा मार लेता और आत्महत्या कर लेता है, औरत बच जाती है और वह कोर्ट में बड़ा दर्दनाक बयान देती है कि हमारे परिवार की ऐसी अवस्था थी और इसलिये बाध्य हो कर मेरे पति ने यह किया। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि उस को जल्द से जल्द इस दिशा में सोचना चाहिए और बुनकरों के लिये उचित काम का प्रबन्ध करना चाहिए ताकि वह बेकार न रहें।

दूसरी समस्या हमारे यहां के कारपेट वीवर्स की है, बनारस और मिरज़ापुर में कारपेट का रोज़गार होता है और किसी ज़माने में यह उद्योग बड़ा फैला हुआ था और सारे इंडिया से पांच करोड़ डालर की लागत का कारपेट प्रति वर्ष यहां से बाहर भेजा जाता था, लेकिन आज वह काम बिल्कुल ठप्प हो गया है और पता नहीं इस का क्या कारण है, बाहर की डिमांड बहुत कम हो गयी है और उस का नतीजा यह हुआ है हमारे बनारस और मिर्ज़ापुर में जो मज़दूर इस उद्योग में लगे हुए थे, वह बिल्कुल बेकार हो गये हैं और मैं समझता हूं कि क़रीब चालीस, पचास हज़ार मज़दूर इस समय भी बेकार हैं और उन मज़दूरों में जो मुसलमान भाई थे वह काम न होने के कारण पाकिस्तान को काम की तलाश में चले गये, वहां वह धीरे धीरे एक एक कर के चले गये इस उम्मीद में कि शायद वहां उन की रोटी की समस्या हल हो सके, लेकिन वहां भी उन की वही हालत है और वहां भी वह भूखे मर रहे हैं। हमारे बनारस, मिर्ज़ापुर में किसान लोग भी अपने फ़ुरसत के समय जब उन को खेत पर काम नहीं रहता, तो वह अपने घरों में कारपेट बुनने का काम करते हैं, तो वह तो खेती करने वाले हैं, वह तो रो पीट कर किसी न किसी तरह काम अपना चला लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल इसी रोज़गार पर निर्भर करते थे, वह तो आज बिल्कुल बेकार हो गये हैं और उन के सामने अपनी जीविका कमाने का कोई साधन नहीं है। हम ने कारपेट वीवर्स की हालत की तरफ़ लेबर मिनिस्टर का ध्यान खींचा और यह शायद वहां जा कर खुद देख भी आये हैं और मैं आशा करता हूं कि मिनिस्टर साहब बहुत जल्दी उस सम्बन्ध में कोई न कोई क़दम उठायेंगे।

इस के अलावा हमारे यहां एक ख़ास क़िस्म के मज़दूर पेशा होते हैं जो लाही चपड़ा कहलाते हैं, इस उद्योग में भी क़रीब दस बारह हज़ार मज़दूर काम करते हैं, आज यह भी रोज़गार बन्द हो गया है और इस उद्योग के सारे मज़दूर बेकार हो गये हैं और वह नहीं जानते कि अब वह क्या करें। करीब पांच, छै साल से चपड़ा मज़दूर संघ क़ायम है और उस के अकाउन्ट में काफ़ी गड़बड़ी है, उस के सम्बन्ध में मैं अपने लेबर मिनिस्टर से इतना ही कह देना चाहता हूं कि वह जो मिर्ज़ापुर का चपड़ा मज़दूर संघ है, उस के अकाउन्ट की जांच करने के लिए कोई आदमी नियुक्त करें और उस की जांच करें।

चौथी बात में अपने खेतिहर मज़दूरों के विषय में कहना चाहता हूं। मैं देखता हूं हमारे हरिहरनाथ जी शास्त्री जो लेबर लीडर हैं उन्हों ने खेतिहर मज़दूरों के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। पता नहीं क्या बात है कि जितने भी सदस्य यहां बोले हैं, सिवा हरिजन सदस्यों के, उन में से किसी ने भी खेतिहर मज़दूरों के सम्बन्ध में कुछ नहीं बोले हैं। हां हरिजन सदस्य जितने रहे हैं वह ज़रूर बोले हैं। क्या इसी लिये कि खेतिहर

मज़दूर हरिजनों के बीच में से आते हैं। लेकिन मैं सभी भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि खेतिहर मज़दूरों की समस्या हरिजनों की समस्या नहीं है, आप के देश की समस्या है, राष्ट्र की समस्या है और इस पर सभी को बोलना चाहिये, सभी को इन्टरेस्ट लेना चाहिये। अगर हम में से कुछ बोलते भी हैं तो हमारी कोई पूछ नहीं होती। हमारी कोई आवाज नहीं है, अगर आप खेतिहर मज़दूरों के विषय में कुछ इन्टरेस्ट लेंगे तभी कुछ उन के लिये हो सकता है। न हरिहर नाथ जी बोले न बिहार के सदस्य बोले, न बंगाल के लेबर लीडर बोले, कोई हमारे खेतिहर मज़दूरों के विषय में इन्टरेस्ट ही नहीं लेता।

कुछ माननीय सदस्य: हम बोले हैं।

श्री रूप नारायण: खैर मैं सभी मैम्बरों से अपील करूंगा और सभी लेबर लीडरों से भी अपील करूंगा कि वह लोग भी इस समस्या को सोचें। खेतिहर मज़दूरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं देखता हूं कि जब भी कोई कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों का सवाल होगा, उन के काम करने का समय तय होगा तो सभी ध्यान देते हैं। और अगर कहीं उन के काम करने का समय आध घंटा भी बढ़ गया तो वह स्ट्राइक कर देते हैं, और गवर्नमेन्ट भाग कर कानून बनाती है, लेकिन हमारे खेतिहर मज़दूरों की क्या हालत है ? आज अगर बारह बजे रात को ज़रूरत पड़े तो उस को घर से बुलाया जायगा। खेती का कोई काम कराना है, सामान लाना है, यह सब काम उन को चौबीसों घंटे लगे रहते हैं। अगर वह इस से इन्कार करें तो उन पर ज्यादतियां की जाती हैं, उन को गांव से निकाला जाता है, उन की बेइज्जती की जाती है, तरह तरह की मुसीबतें उन पर डाली जाती हैं। इस विषय में यहां पर कुछ नहीं कहा गया। फैक्टरी के मज़दूरों के लिये हम देखते हैं कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाया गया। अब लोग कहते हैं कि उन के लिये फेअर वेजेज़ ऐक्ट बन रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि खेतिहर मज़दूर कितना पाता है, हर आये दिन हम देखते हैं कि एक मुट्ठी दाना दे कर उस से दिन भर काम लिया जाता है, कहीं सिर्फ शरबत पिला कर ही काम लिया जाता है, कहीं छः आने मज़दूरी दी जाती है, कहीं दो बीघा खेत दे कर साल भर तक उस से मुफ्त काम लिया जाता है। इस तरह की भिन्न भिन्न मज़दूरियां दी जाती हैं, यह मुसीबतें हैं लेकिन उन को कौन देखता है ? वेलफेअर आफिसर्स बनाये जाते हैं, लेकिन क्या कभी खेतिहर मज़दूरों के लिये भी वेलफेअर आफिसर्स बनाये गये ? कोई कमेटी बनाई गई जो कि गांव, ज़िलों या रीजनों में इस तरह का आफिसर या डिपार्टमेन्ट शुरू करे जैसे कि आप का एम्प्लायमेन्ट एक्स्चेन्ज है ? आज उस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस को कोई अथारिटी नहीं दी गई है, वहां आदमी जाते हैं और कहते हैं कि हम से यह काम कराइये, तो वह खाली नाम भेज देते हैं और उन के पास जवाब आ जाता है कि हमारे पास जगह नहीं है। और अगर कहीं जगह है भी तो कह दिया जाता है कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। इस मामले में एम्प्लायमेन्ट आफ़िसर को कोई अथारिटी नहीं है। डी० एम० उस को डांट देता है, वह कहता है हम जिस को चाहेंगे लेंगे। जब ऐसी हालत है तो एम्प्लायमेन्ट आफिसर को रखने की क्या ज़रूरत है ? आप को उस से खेतिहर मज़दूरों के आर्गेनाइजेशन का काम लेना चाहिये, और खेतिहर मज़दूरों का काम आप को एम्प्लायमेन्ट एक्स्चेन्ज को सौंपना चाहिये। हर जगह डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज काम कर रहे हैं, अगर यह काम आप उस को सौंप दें तो कोई पैसे का भी खर्च नहीं है।

[श्री रूप नारायण]

अब आप खेतिहर मज़दूर के हाउसिंग की प्रावलेम को लीजिये। उन को मकान नहीं चाहिये। मैं तो कहता हूं कि आप उन को रहने के लिये आधा एकड़ जमीन दे दीजिये। आज वह कभी किसी के मकान के सामने पड़ रहते हैं, किसी छप्पर के नीचे गुजर कर लेते हैं, सड़क पर ही गुजर कर लेते हैं। इन हालतों की वजह से आज वह मरते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। उस का कारण यही है कि उस के पास रहने को जमीन नहीं है। हर एक खेतिहर मज़दूर को आधी एकड़ जमीन ज़रूर मिलनी चाहिये।

गवर्नमेन्ट कह सकती है कि गांव सभाओं को यह काम दे देंगे, लेकिन गांव सभाओं से यह समस्या हल नहीं हो सकती। पंचायत के जरिये यह काम नहीं हो सकता। यह काम खुद गवर्नमेन्ट को अपने हाथ में लेना चाहिये। गांव गांव में इस की सूची बननी चाहिये कि वहां कितने खेतिहर मज़दूर हैं, उन की सूची बन जाने के बाद उन को जमीन दी जानी चाहिये उस के बाद सोचा जाना चाहिये कि उन का घर बनाने के लिये क्या किया जाय।

हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक यह होता था कि जो खेतिहर मज़दूर हुआ करते थे उन को लोग अपने खेत जोतने को दे देते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब यह हो गया है कि खेत उसी का होगा जो उस को जोतेगा। इस का फल यह हुआ कि जो मालिक खेतिहर मज़दूरों को खेत दिए हुए थे अब वह उन को उन से छड़ा रहे हैं। विधान में यह है कि जो भी तीन वर्ष से खेत जोत रहा है वह खेत उस का होगा। इस सम्बन्ध में पटवारियों ने वहां पर क्या किया कि आदमी कई वर्षों से खेत जोत भी रहा है लेकिन खेत उस के नाम से लिखवाया। खैर, इस को भी आप जाने दीजिये। वहां पर यह भी हो रहा है कि खेत खतिहर मज़दूर के नाम से भी है, लेकिन फिर भी मालिक उस पर जबर्दस्ती कब्जा कर रहा है क्योंकि कोई खेतिहर मज़दूर ऐसा नहीं है जो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। मैं पूछना चाहता हूं कि इस के लिये हमारी सरकार ने क्या किया। आखिर आज किस अधिकार से किस अथारिटी से मज़दूरों के साथ जबर्दस्ती की जा रही है, और इस तरह के हजारों काम हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेन्ट को चाहिये कि इस के लिये स्टेप ले।

अब मैं खेतिहर मज़दूरों की शिक्षा के विषय पर आता हूं। हम देखते हैं कि हरिजनों की शिक्षा के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन में कहना चाहता हूं कि गांव गांव में जो खेतिहर मज़दूर खेती का काम करते हैं उन के लिये प्राइमरी शिक्षा या मिडिल स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिये। यू० पी० में अनिवार्य शिक्षा नहीं है मगर मज़दूर उस से फायदा उठा सकते हैं। हायर एजुकेशन को चलाने की बात तो बाद की है, लेकिन अगर कम से कम मज़दूर शिक्षित हो जाते हैं और बेसिक शिक्षा उन को मिल जाती है तो आगे चल कर उन की भी काफी तरक्की हो सकती है।

इस के बाद मैं ग्राम पंचायतों के विषय में कहना चाहता हूं। गांव के अधिकतर लोग खेतिहर मज़दूर हैं। यू० पी० में जो पंचायतें काम करती हैं वह डिमाक्रेसी के ढंग से काम नहीं करतीं। कहा गया कि गांव वालों के लिये राम राज्य हो गया, गांव वाले खुद ही अपने सब मामले आपस में तय कर लेंगे। लेकिन गांव की पंचायत में जो मेम्बर लोग बैठते हैं तो क्या होता है? विधान क्या है कि जो सरपंच होगा वह और तीन और आदमी बैठेंगे, जैसे कि कोर्ट में होते हैं, उन की एक बेंच बन जाती है। सब कुछ सुनने के बाद वह अलग चले जाते

हैं, वहां कोई और गांव का आदमी नहीं जा सकता है, और अलग बैठ कर फैसला करते हैं। मेरा कहना यह है कि जितने गांव सभा के सदस्य हों, या पंचायत के सदस्य हों उन को सब के सामने बैठ कर फैसला करना चाहिये, जो मेजारिटी से हो वही माना जाना चाहिये। इस से खेतिहर मज़दूर का भी फायदा हो सकता है। अगर पंचायत में बैठ कर तीन चार आदमी अलग फैसला देंगे उस से खेतिहर मज़दूरों का कोई फायदा नहीं होगा। इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेन्ट को भी सोचना चाहिये और इस पंचायत एक्ट में फिर से परिवर्तन करना चाहिये ।

पूर्वी ज़िलों के खेतिहर मज़दूरों की समस्या यह है कि वहां आबादी बहुत ज्यादा हो गई है और सूखे का एरिया है, हमेशा अकाल पड़ा करता है, इस से खेतिहर मज़दूरों की समस्या और भी खराब हो गई है। चार किस्म के मज़दूर मैं बता चुका हूं, उन के लिये मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। यू० पी० का इरिगेशन विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, जगह जगह पर, ज़िले ज़िले में नहरें और कुएं खोदे जा रहे हैं, इस से सिंचाई की प्राबलम तो हल हो रही है, लेकिन खेती की प्राबलेम हल हो जाने से मज़दूरों की प्राबलेम हल नहीं होगी । देश में ६०, ६०, ७०, ७० करोड़ तक की स्कीम चलाई जा रही हैं, लेकिन रिहन्द डैम को नहीं लिया गया। वह तो सिर्फ ४० करोड़ की स्कीम है, अगर उस को बना दिया जाता है तो हमारे प्रान्त के पूर्वी ज़िले और आस पास के बिहार के अट्ठारह बीस ज़िले बिजली से बिल्कुल पूर्ण किये जा सकते हैं, और वहां नये नये उद्योग धंधे खोले जा सकते हैं और खेतिहर मज़दूर जो आज बेकार हैं उन में लगाये जा सकते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस रिहन्द डैम की स्कीम को चला कर के पूर्वी ज़िलों के खेतिहर मज़दूरों को रिलीफ दी जाय।

श्री बी० एन० कुरील (ज़िला प्रतापगढ़–पश्चिम व ज़िला राय बरेली–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस लेबर जैसे विषय पर अपने विचार भवन के सामने रखने का अवसर दिया इस के लिए धन्यवाद है।

इस में कोई सन्देह नहीं और यह किसी से छिपा नहीं है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद से अब तक लेबर मिनिस्ट्री ने लेबर को व्यवस्थित करने के लिये कई एक कदम उठाये हैं और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इस में बहुत कुछ सफलता भी मिली है। लेबर को सुव्यवस्थित कर लिया गया है और क़ाम चलने लगा है लेकिन लेबरर्स की सहूलियतों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। शहर की और इंडस्ट्रीज़ के मज़दूरों को तो कुछ सहूलियतें ज़रूर मिली हैं। उन की शिक्षा का प्रबन्ध हो गया है, उन की ट्रेनिंग और उन के मकानों की भी कुछ व्यवस्था ठीक हुई है। इस के लिए धन्यवाद है।. जैसा पहले भी कहा गया है देश में एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे पिछड़ा हुआ वर्ग कहते हैं, हरिजन वर्ग कहते हैं और यह लोग किसी न किसी रूप में मज़दूरी ही करते हैं। उन के स्टेंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिए उन की उन्नति के लिए सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। यह हर एक भाई को मालूम है। यहां इस सम्मानित सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं उन में से अधिकतर देहाती क्षेत्र से आये हुए हैं। उन को अच्छी तरह से मालूम है कि वहां मज़दूरों की क्या हालत है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा वर्ग है। यह पिछड़ा हुआ ऐसा वर्ग है जिस को आज से नहीं सदियों से दबाया और सताया गया है और साधनहीन कर दिया गया है। उस को दिमागी तौर से इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वह आज अपने आप उठ

[श्री बी० एन० कुरील]

नहीं सकता, अपने स्टैन्डर्ड को ऊंचा नहीं कर सकता जब तक सरकार की ओर से उसे अच्छी सहूलियतें न दी जायं। मुझे तो दुःख होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब कमिश्नर ने अपनी सन् ५२ की रिपोर्ट में पहले पन्ने पर ही यह लिखा है कि इस वर्ग ने अपनी आदतों के कारण समाज में अपना सम्मान खो दिया है। काश वह भुक्तभोगी होते तो वह समझ सकते कि उन की क्या क्या कठिनाइयां हैं। हमारी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस देश को ऊंचा उठाने की कोशिश हो रही है और हमारी शुभ कामनायें हैं कि वह प्रयत्न जरूर सफल हो। लेकिन में यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक यह इतना बड़ा समुदाय पीछे पड़ा रहेगा तब तक यह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता और न दूसरों की नजरों में उन्नतिशील समझा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा वर्ग है और इस की एक गम्भीर समस्या है और अगर यह इसी तरह से पीछे पड़ा रहा तो राष्ट्र रूपी शरीर में यह एक जख्म के रूप में हो जायगा। और यह भी हो सकता है कि इस जख्म में कुछ समय बाद जर्म पैदा हो जायें जो कि इस राष्ट्र रूपी शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर दें और सरकार को इस का पता भी न लगे। तो मेरा यह कहना है कि यह समस्या गम्भीर है और इस पर जरूर ध्यान दिया जाय।

मुझे दो एक बातें और कहनी हैं। एक तो यह है कि अभी तक देहातों में बेगार की प्रथा जारी है। उस के खिलाफ कानून जरूर बन गया है लेकिन उसे सरकार ने नानकागनिज़ेबिल आफेंस रखा है। मैं नहीं समझता कि जब सरकार इस को अपने तौर से बन्द करना चाहती है और वास्तव में बन्द करना चाहती है तो फिर क्या वजह है कि उस को कागनिजेबिल आफेंस नहीं मानती। मैं लेबर मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और जरूर इस को कागनिजेबिल आफेंस बनाने की कोशिश करें।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि इस देश में इसशियल सरविसेज ऐक्ट लागू है। जब कि यह देश स्वतन्त्र है और हर तरह से, हर बात में, हर शब्द में अपने फंडामेंटल राइट्स की दुहाई देता है, तब भी इस देश में यह काला कानून मौजूद है जिस के जरिये से किसी जाति को, किसी वर्ग विशेष को एक पेशे को करने के लिये बाध्य किया जा सकता है और सभापति महोदय, इस हाउस को अच्छी तरह से मालूम है कि यह ऐक्ट मेहतरों पर किस तरह से लागू है और उन को किस तरह से जकड़े हुए है। वह अपने अधिकारों की भी अच्छी तरह से मांग नहीं कर सकते और अपने अधिकारों को पाने के लिये हड़ताल वगैरह भी नहीं कर सकते। यह किसी से छिपा नहीं है।

तो यह दो एक चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये और बातें तो पहले ही कही जा चुकी हैं। मैं और अधिक समय न ले कर आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री वीरास्वामी : चूंकि मैं अनुसूचित जाति का हूं, जिसके लोग मजदूर हैं जो देश में सभी प्रकार से पद्दलित और बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं, इसलिये मुझे मजदूरों की समस्या पर बोलने का विशेषाधिकार है। अनुसूचित जाति के निन्यानवे प्रतिशत लोग कड़ी मुशक्कत का काम करते हैं। सभी जातियों में इतने गरीब आदमी हैं जो दैनिक मजदूरी के बिना अपना गुजारा नहीं कर सकते। ब्राह्मण सबसे अधिक प्रगतिशील हैं और वे शारीरिक श्रम नहीं करते। मैं किसी जाति के विरुद्ध द्वेष की भावना से

द्वेष की भावना से नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह बता रहा हूं जातियों के बीच कितना सामाजिक भेद है। मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा अन्य सदस्यों का ध्यान इस भेद भाव की ओर दिलाना चाहता हूं।

मज़दूर किसी देश की सब से प्रबल शक्ति तथा सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मज़दूरों पर या तो देश की उन्नति या अवनति निर्भर करती है। मज़दूरों की कड़ी मेहनत से ही कोई देश अधिक उपजाऊ बनता है और आर्थिक दिशा में प्रगति करता है। अभी कुछ दिन पहिले प्रधान मंत्री ने कहा था कि लंका की प्रगति भारतीय मज़दूरों के कारण हुई। औद्योगिक तथा कृषि विकास के लिये हमें मज़दूरों पर ही निर्भर करना पड़ेगा। आज मज़दूर कपड़ा मिलों, यातायात सेवा, खानों, चाय के बगीचों, खेती तथा कुटीर उद्योग धन्धों आदि में काम पर लगे हैं?

कपड़ा उद्योग देश का सब से महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका देश के आर्थिक जीवन से गहरा सम्बन्ध है। इस उद्योग में लगभग पांच लाख आदमी काम करते हैं। तामिलनाड में कपड़ा मिलों में लगे हुए मज़दूरों के अतिरिक्त हथकरघा कुटीर उद्योगों में कुछ वर्ष पूर्व लगभग पांच लाख मजदूर लगे थे। २५ लाख व्यक्ति हथकरघा उद्योग से जीवन निर्वाह करते थे। किन्तु भारत सरकार की अन्यमनस्कता के कारण दक्षिण में हथकरघे के उद्योग में मन्दी आ गई। मद्रास राज्य में हजारों जुलाहे बेरोज़गार हो गये हैं। खानों में ढाई लाख आदमी काम करते हैं। ऊरगम की सोने की खानों के मालिकों द्वारा इसे बन्द कर देने के निश्चय के सम्बन्ध में आज एक प्रश्न किया गया था। मुझे श्री सामि दुरई, जो विधान सभा के सदस्य हैं, का तार मिला कि इस खान को बन्द कर देने से लगभग ४,००० मजदूर बेकार हो जायेंगे, और मैं जानता हूं कि इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग हैं।

श्री हरिहर नाथ शास्त्री ने बताया कि आसाम तथा त्रिपुरा में चाय के बगीचों को बन्द कर देने के कारण लगभग १६,००० मज़दूर बेकार हो गये हैं कुछ दिन पूर्व सरकार ने यह कहा था कि चाय के बगीचे इसलिये बन्द किये गये कि चाय उद्योग में मन्दी आ गई थी, इसके दाम गिर गये थे और विदेशों में इसकी अच्छी बिक्री नहीं हो रही थी। इन मज़दूरों की कठिनाई को दूर करने के लिये भारत सरकार ने क्या किया है, यह हम नहीं जानते।

रेलों में लाखों मज़दूर काम पर लगे हैं। इनकी दशा में भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

अब मैं खेती को लेता हूं। भारत एक कृषिप्रधान देश है। अधिकतर उद्योग शहरों में ही है। उद्योगों में केवल तीन प्रतिशत मज़दूर काम करते हैं जब कि खेती के काम में ८५ प्रतिशत मज़दूर लगे हुए हैं। हमारा खाद्य उत्पादन कम है और हमें अन्य देशों से खाद्यान्न लेने पड़ते हैं। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों है? क्या हमारे देश में खेतिहर मज़दूरों की कमी है? क्या देश में सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें नहीं हैं? क्या देश के लोग अधिक खाद्य उत्पादन नहीं कर सकते? हमारे प्रधान मंत्री भी जनता से खाद्य उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर बनने के लिये अपील करते रहे हैं। 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' में करोड़ों रुपये लग गये। किन्तु परिणाम क्या हुआ? लोग भूखे मरने लगे, सरकार लोगों को खाना नहीं दे सकी, खाद्य वितरक केन्द्र खोले गये, किन्तु फिर भी लोगों को एक वक्त भी खाना नहीं मिल पाता।

[श्री वीरस्वामी]

खेतिहर मज़दूरों को अच्छी प्रकार से खेती करने में तथा अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने में कोई रुचि नहीं क्योंकि ज़मीन तो जमींदारों की है। जो कुछ वह पैदा करते हैं वह ज़मींदारों के पास चला जाता है और अधिकांश खेतिहर मज़दूर वर्ष के अधिक भाग में भूखे ही रहते हैं। जब तक कि हमारे देश में रूस और चीन की तरह सामूहिक खेती नहीं की जायगी, हमारी खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती।

मद्रास राज्य के तंजोर काश्तकारी अधिनियम से यह स्पष्ट है कि कृषि सम्बंधी थोड़ा सा सुधार करने से ही खेतिहर मज़दूरों को प्रोत्साहन मिलता है। मद्रास में द्रवेड़ियन फैडरेशन आदि के कृषि सम्बन्धी सुधार के लिये प्रचार करने पर मद्रास के गवर्नर ने तंजोर ज़िला काश्तकारी संरक्षण अध्यादेश जारी किया, जिससे खेतिहर मज़दूरों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। किन्तु इससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। द्रवेड़ियन फैडरेशन खेतिहर मज़दूरों में जा कर बहुत काम करता है। आज की सरकार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये कृषि सम्बन्धी सुधार जैसी कोई काम नहीं करेगी क्योंकि वह पूंजी वादी सरकार है। इस सरकार से यह आशा करना कि वह पद्दलितों तथा गरीब आदमियों के लिये इस प्रकार के अच्छे कार्य करेगी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भेड़िया से बकरी के बच्चे के प्रति दयालु होने की आशा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को १५ मिन्ट दे चुका हूं। अब वे अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान् केवल एक मिनिट और। श्री गिरी श्रमिक संघ के पुराने नेता हैं। उन्हें श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें श्रमिकों का कल्याण करना चाहिए। विभिन्न कालिजों में पढ़ने के लिए श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। काम करने वाली औरतों को प्रसव के लिए सवेतन छः मास की छुट्टी दी जानी चाहिए। जिनके बच्चे हों उन्हें इसके लिए भत्ता दिया जाना चाहिए। श्रमिकों को प्रति सप्ताह डाक्टरी सलाह दी जानी चाहिए। मई की पहली तारीख को सब श्रमिकों को सवेतन छुट्टी दी जानी चाहिए सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिए।

श्री बाल्मीकि (जिला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, आज मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे हाउस के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। अभी यहां पर देश की मज़दूर नीति के विषय में विचार प्रकट किये गये और इस में कोई शक़ की बात नहीं कि हमारे देश की मज़दूर नीति बहुत प्रगतिशील रही है और उसके लिए मैं अपने माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं, साथ ही उसके यह बात ज़रूर है कि सरकार का ध्यान मिलों में काम करने वाले मज़दूरों की दशा सुधारने की ओर तो गया है, लेकिन अभी तक म्युनिस्पैलिटीज़ के अन्दर काम करने वाले जो मज़दूर और मेहतर आदि हैं सरकार का उनकी तरफ़ ध्यान नहीं गया है। मैंने पिछले दस महीनों के अन्दर बिहार, कलकत्ता, नागपुर, बम्बई, पूना और हैदराबाद (दक्षिण) आदि की म्युनिसपैलिटीज़ में काम करने वाले मज़दूरों की हालत को देखा है कि आज के दिन भी वह कितनी बेबसी और हीन अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिन गन्दी बिस्तयों के अन्दर वे लोग रहते हैं,

वहां पर आपको म्युनिसिपल अथारटीज़ की उदासीनता का नंगा नाच दिखाई पड़ेगा। वहां पर मनुष्य का जीवन एक भयानक जीवन बन गया है, नोटीफाइड एरिया टाउन एरिया और म्युनिसपलटीज़ और कारपोरेशन के अन्दर काम करने वाले सभी मज़दूरों की हालत बहुत ही गिरी हुई है, उनका कोई जीवन स्तर नहीं है, और वह न के बराबर है, उनको जो वेतन मिलता है वह इतना कम और अपर्याप्त होता है कि उससे मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनता से चलता है। मैं आज सदन और सरकार का ध्यान उन लाखों और करोड़ों मज़दूर भाइयों की हीन तथा दयनीय हालत की तरफ़ खींचना चाहता हूं जो म्युनिसिपैल्टीज़ में काम कर रहे हैं। जब तक आप उनकी अवस्था को सुधारने की तरफ़ ध्यान नहीं दें तब तक जन समुदाय का एक बड़ा भाग दिन पर दिन अवश्य अवनति को प्राप्त होता जायगा। आज उनकी हालत बहुत नाज़ुक है और उनका जीवन इतना कठिन है कि इतना आवश्यक तथा जनहित का कार्य करने के बावजूद भी मज़दूर की श्रेणी में उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। सन् ५० में भी मैं ने उन मेहतरों की दयनीय दशा के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे और उन मज़दूरों को कुछ ज़रूरी सहूलियतें देने की अपील की थी, और मज़दूरों की श्रेणी में लाने की अपील की थी किन्तु खेद है कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया है और वह पूर्ववत अवस्था में रह रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि किस तरह एक भंगी जो समाज का एक सच्चा सेवक है, उसकी अवहेलना की जाती है और काम देखिए कि कितने नीचे स्तर का उसके कंधों पर है।

बापू जी के अनुसार भंगी समाज के लिए वह कार्य करता है जो मां अपने बच्चे के लिए करती है। सफ़ाई के द्वारा वह समाज की रक्षा करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि हरिजनों में भंगियों की सब से अधिक उपेक्षा हुई है क्योंकि उनके काम को नीचा समझा गया है। हम महात्मा गांधी जी के हृदय से आभारी हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस गिरी हुई जाति को उठाने की ओर सबसे पहले गया और यह उन्हीं के निरन्तर प्रयत्न और प्रयास का फल है कि आज समाज में एक प्रकार की भावना का उदय हो गया है कि भंगियों को ऊपर उठाया जाय, लेकिन जितने भी प्रयत्न इस दिशा में आजकल हुए हैं, वह ना के बराबर हैं। इसके लिए अलग २ सूबों में जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश और बिहार में इनक्वाइरी कमेटीज़ बिठायी गयीं हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी इस सम्बन्ध में दीं। हमारे सूबे के अन्दर खेर कमेटी, बम्बई के अन्दर बरबे कमेटी मेहतरों की हालत की जांच के लिए बैठीं और दूसरे सूबों में भी इसी प्रकार की कमेटियां बैठीं, लेकिन मैं अपनी जानकारी की बिना पर कहना चाहता हूं कि अगर बम्बई की बरबे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशें की हैं उन पर ध्यान दिया जाय और अमल किया जाय तो मेहतरों की हालत बहुत कुछ सुधर सकती है। केवल रिपोर्ट बना देने से तो काम नहीं चलता, उनको कामयाबी से अमल में लाने के लिए रुपये की ज़रूरत होती है और मुश्किल यह है कि हमेशा म्युनिसिपैलिटीज़ और प्रान्तीय सरकारें सभी अपने यहां रुपये की कमी बतलाती हैं और हमारी अपनी केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान उधर नहीं जाता। मैं कहना चाहता हूं कि बिना विलम्ब मेहतरों की अवस्था सुधारने की ओर केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों को ध्यान देना चाहिए।

आज उनका जीवन बड़ा असन्तोषप्रद और घृणास्पद जीवन है, वह इतना भयावह

[श्री बाल्मीकि]

है कि वह मानवता से बिल्कुल दूर का जीवन है जिसको देखकर आप खून के आंसू बहाये बिना नहीं रह सकते । नई दिल्ली में गांधी जी ने तीस अक्तूबर १९४६ के प्रवचन में भंगियों की हालत के सम्बन्ध में यह शब्द कहे थे : "मैं इस बात पर जोर दूंगा कि पाखाना कमाने के बरतनों और झाड़ू वगैरह चीज़ों के लिये ज़रूरी क़ानून ही बन जाने चाहियें, ताकि मैले और कूड़े करकट को हाथ लगाने की ज़रूरत न रह जाय । साथ ही मेहतरों और भंगियों के लिए काम के वक्त पहनने की पोशाक का भी एक ऐसा सादा नमूना तय कर दिया जाय, जिससे उन्हें काम करने में आसानी हो । इन्सपेक्टरों और मुक़दमों को भी सफ़ाई के इस उपयोगी काम की तालीम दी जाय, बजाय इसके कि वे अपने मातहतों से ज्यों त्यों और ज़बर्दस्ती काम लेते रहें । आज जिस तरीक़े से काम लिया जाता है, उसमें काम कम से कम और गन्दगी ज्यादा से ज्यादा होती है, और रिश्वतखोरी, बदमाशी और बदचलनी का ज़ोर रहता है ।"

मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि आज कितना भ्रष्टाचार, रिश्वत, बदचलनी व अपनापन म्युनिसिपैलिटीज़, नोटीफ़ाइड एरिया, टाउन एरिया तथा कॉरपोरेशन सब में फैला हुआ है और भ्रष्टाचार की वहां पर बहुलता है । हमें इसको भी समूल नष्ट करने की ज़रूरत है । हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

जब मज़दूर लोग अपनी मजबूरियों से तंग आ जाते हैं और तंग आ कर के कोई कदम उठाते हैं, और यह बात ठीक भी है कि उन को असंतोष है, उन के असन्तोष की किस को चिन्ता है ? उन की जितनी परवाह होनी चाहिये—वह नहीं होती, और अगर किसी कदर होती भी है तो उस पर अमल नहीं किया जाता। जब वह यह देखते हैं तो उन को असन्तोष होता है, और उस असन्तोष की वजह से उन के अन्दर एक आम चेतना आ रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज एक वातावरण हड़ताल का चल रहा है। हालांकि मैं इस विचार का मानने वाला हूं कि मज़दूरों के लिये सब से खतरनाक चीज़ हड़ताल है। आज हड़ताल का बहुत जोर है, लेकिन हड़ताल कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। हड़ताल में तो घाटा ही हुआ करता है, लेकिन फिर भी जब असन्तोष बढ़ता है, और जब कोई रास्ता उन के लिये नहीं रहता है तो वह यह कदम उठाते हैं। बिहार के अन्दर भी हड़तालें हुईं। लेकिन हड़तालें होती हैं वहां की म्युनिसिपल अथोरिटीज की उदासीनता तथा निकम्मेपन की वजह से । मुझे मालूम है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हड़ताल से कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन जब हड़ताल होती है तो उस के पीछे जो दिमाग है उस को समझने की ज़रूरत है, उस के पीछे जो असन्तोष है उसे दूर करने की ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सूबे की सरकार को यह देखना होगा कि जो म्युनिसिपेलिटीज हैं वह अपने मज़दूरों की हालत को, चाहे वह मेहतर हों या और दूसरे मज़दूर, उन की हालत को सुधारने के लिये कोई खास कदम उठाती हैं या नहीं, लेकिन जब मज़दूर कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि एक अधिकार का प्रश्न उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज के अधिकारों की रक्षा होती है उसी प्रकार से मज़दूरों के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिये। मज़दूरों को दबने की जरूरत नहीं है क्योंकि म्यूनिसिपैलिटियों ने उन को गुलाम की तरह जीवन बिताने के लिये मजबूर कर दिया है। मैं यह भी जानता हूं

कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि इन मज़दूरों को इस गिरी हुई हालत में रक्खा जाय। लेकिन फिर भी मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश की मेहतर हड़ताल से जैसी स्थिति पैदा हो गई है उस की वजह से सारे हिन्दुस्तान के मेहतरों के अन्दर एक उत्तेजना है असन्तोष है। क्रोध तथा बेचैनी है। सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इस की ओर ध्यान देना चाहिये। अफसोस तो यह है कि बिहार तथा यू० पी० में इतने बड़े पैमाने पर मेहतरों की हड़तालें हुईं किन्तु १९४७ के मज़दूरों के झगड़े तय करने वाले कानून के अनुसार यह मामला कहीं भी ट्रिबूनल को नहीं सौंपा गया। क्या यह न्याय-संगत है? मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दें।

श्री बाल्मीकि: इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल मज़दूरों के प्रश्न पर खास कर केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिये, और उचित कानून सिर्फ मेहतरों के लिये ही नहीं, बल्कि सभी म्युनिसिपल मज़दूरों के लिये बनाना चाहिए, जिस प्रकार मिल-मज़दूरों के लिए है। मज़दूर सम्बन्धी सभी कानून इन पर लागू होने चाहिएं।

उन के लिये रहने के घरों का वैसे ही प्रबन्ध होना चाहिये जैसे इन्डस्ट्रियल मज़दूरों के लिये है। गांधी जी ने खुद कहा था कि अगर सिर्फ उन के घरों को उन के रहन सहन को सुधार दिया जाय तो उन की हालत सुधर सकती है। मैं जानता हूं कि इस तरह के कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है और मैं फिर सरकार का ध्यान इस की ओर खींचना चाहता हूं कि इन मज़दूरों को भी वह सारी सहूलियतें मिलनी चाहियें जो आम मिल के मज़दूरों को मिलती हैं।

मुझे मालूम है कि हड़ताल का सब से बड़ा कारण यह हो सकता है कि उन के वतन बहुत कम हैं। उन को उचित वेतन दिया जाय इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं इस बात के लिये अपने माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि अब मेहतर मज़दूरों की अवहेलना नहीं की जायेगी, बल्कि उन के ऊपर भी उसी प्रकार ध्यान दिया जायेगा जैसे कि आम मिल मज़दूरों की तरफ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हड़तालें हुई हैं उन के पीछे कोई राजनैतिक रंग नहीं है। इस का कारण यही था कि वहां के मेहतरों में केवल आर्थिक आधार पर असन्तोष था। उस असन्तोष की किसी ने परवाह नहीं की। अब यू० पी० की हड़ताल खत्म हो गई है, और मैं आशा करता हूं कि यू० पी० की सरकार मेहतरों की उचित मांगों पर उदारतापूर्वक विचार करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वहां अच्छी स्थिति पैदा होगी। मैं फिर अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां): श्रम मंत्री ने कोलार गोल्ड फील्ड के बन्द होने के बारे में चर्चा की। शायद वहां के कर्मचारियों को २३ मार्च को नोटिस दे दिया जाएगा। इस के बन्द होने से ऊरगांव में ३५०० कर्मचारी बेकार हो जायेंगे तथा इन पर आश्रित व्यक्तियों को मिला कर १४००० व्यक्तियों पर इस का प्रभाव पड़ेगा। अभी ईंट के कारखाने के बन्द होने से ३०० परिवारों के व्यक्ति बेकार हो गए हैं। अतः ऊरगांव की खदान बन्द होने से वहां की स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी।

श्रम मंत्री जी ने कहा था कि उस की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। इस आयोग के श्री जे० पी० डेविड भी सदस्य बनाये जाएं। उन्हें उन खदानों के बारे में पूरी जानकारी है। उन खदानों को

[श्री तिम्मय्या]

वे लोग चालू नहीं रखना चाहते हैं इसलिए सरकार उन्हें अपने हाथ में ले ले।

कोलार खदान के श्रमिकों को उचित वेतन नहीं मिलता। वहां भविष्य निधि का प्रबन्ध भी नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी वहां पर लागू नहीं होता। श्रम मंत्री जी इस समस्या पर विचार करें तथा ऊरगांव की खदान बन्द न होने दें।

पंच वर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए काफी राशि नियत की गई है। यदि पंचवर्षीय योजना सफल हो जाए तो उन की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनके लिए राज्यों में अल्पतम वेतन अधिनियम शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। इस की जांच पांच वर्ष पहले हुई थी परन्तु अभी तक और कोई कार्यवाही नहीं की गई। देश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन श्रमिकों की दशा सुधारी जाए। उन की दशा अभी बिल्कुल खराब है। सरकार उन के लिए कुछ भी नहीं कर रही है।

अल्पतम वेतन अधिनियम का गांवों में प्रचार किया जाना चाहिए। राज्यों की सरकारों ने इस का प्रचार नहीं किया है। किसानों को इस के विषय में बिलकुल नहीं मालूम। मैं श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सेवा योजनालयों द्वारा इस का प्रचार करवाएं। इस से खेती का काम करने वाले मज़दूरों में उत्साह फैलेगा तथा पंचवर्षीय योजना सफल हो सकेगी।

श्री पी० आर० राव (वारंगल) : हमारे मुल्क में ज़राअत एक अहम पेशा है और उस में जो मज़दूर हैं उन की खास अहमियत है। मज़दूर ही भविष्य में हमारे मुल्क को बनाने वाले हैं और दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वह मज़दूरों की ही वजह से हुई है। लेकिन अफसोस है कि जिन के खून से हम ऐश व आराम की जिन्दगी गुजार रहे हैं और जिन के खून से हम अपनी जिन्दगी बना रहे हैं उन अपने देश के करोड़ों मज़दूरों के लिए हम कोई परवाह नहीं करते हैं। पंच वर्षीय योजना में मज़दूरों की वैलफेयर के लिए जो कुछ रकम रखी गयी है उस को देख कर मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि उन के लिए सिर्फ ६ करोड़ और कुछ लाख रुपया वैलफेयर के लिए रखा गया है और वह भी हिन्दुस्तान की तमाम स्टेटें और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर पांच साल में खर्च करेंगे। यह बहुत नाजायज़ बात है। मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट मज़दूरों की भलाई के लिए कोई ख्याल नहीं कर रही है और एक लफ्ज़ कहा जाय तो वह बिल्कुल बेईमानी कर रही है। उन की रक्षा करने के लिए हुकूमत ने मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट के नाम से एक कानून बनाया है लेकिन अगर इस की असलियत को देखा जाये तो इस को मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट के बजाय अगर मैक्सिमम बोगस ऐक्ट के नाम से पुकारा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जो ज़राअत पेशा मज़दूर हैं वह हमारे मुल्क में करोड़ों की तादाद में हैं। १९५१ की सेंसस से हम को पता चलता है कि हमारे देश में ७ करोड़ ६५ लाख ज़राअत पेशा मज़दूर हैं। इन के हाथ में ज़मीन बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि उन की तादाद इस से दुगनी है क्योंकि ऐसे किसानों की बहुत बड़ी तादाद है जिन के पास एक एकड़ या आधा एकड़ ज़मीन है। यह छोटे छोटे किसान हैं और यह साल में ६ या ८ महीने अपनी मेहनत फरोख्त कर के अपना गुजारा करते हैं। तो यह लगभग १५ या १६ करोड़ मज़दूर हैं जो कि ज़राअत पेशा कर के अपनी जिन्दगी गुजारते हैं। इन १५ या १६ करोड़ ज़राअत पेशा लोगों की रक्षा के लिए जो मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट बनाया गया है मैं समझता हूं कि अभी तक इस विशाल देश के एक

कोने में भी इस का पता नहीं है। इस ऐक्ट को १९४८ में बनाया गया है। लेकिन यह आज तक हमारे मुल्क में अमल में नहीं आया है। जब तनखा बढ़ाने का जिकर करते हैं तो सरकार एक अजीबोगरीब मंतक लेकर आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर इन की तनखाह बढ़ा दी जायगी तो इनफ्लेशन बढ़ जायगा। लेकिन जब पूंजीपति करोड़ों और लाखों रुपया मुनाफा हासिल करते हैं और जागीरदार और ज़मींदार लाखों रुपया हासिल करते हैं तब यह नहीं ख्याल किया जाता कि इनफ्लेशन बढ़ जायगा। खुद हमारे स्टेट में एक शख्स निज़ाम को एक करोड़ पचास लाख रुपया हुकूमत देती है। लेकिन उन गरीबों के लिए जिस के खून से यह दुनिया बन रही है और हम अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं उन की तनखाह बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि इनफ्लेशन बढ़ जायगा। कोई ज़रा सी अक्ल रखने वाला भी इस मंतक को नहीं कबूल करेगा। इस मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट पर मैं ने खूब सोचा कि हुकूमत ने क्यों इस को बनाया, क्या वाकई इस को अमल में लाने की नीयत है। मुझे मालूम होता है कि यह अवाम की आंखों में धूल डालने के लिए और दुनिया को यह बतलाने के लिए कि यह ऐक्ट बना कर हम गरीबों का उद्धार करना चाहते हैं महज़ इसी ख्याल से उन्हों ने यह ऐक्ट बनाया है। लेकिन आज हिन्दुस्तान का हर एक गरीब आदमी जानता है कि यह हमारी हुकूमत नहीं है और यह ऐक्ट हमारे लिए नहीं बनाया है। जो भी ऐक्ट कैपीटलिस्टों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है उस को सरकार अपनी फौलादी मशीनरी के ज़रिये से अमल में लाती है लेकिन इस मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट को अमल में लाने में सालहासाल गुजर रहे हैं। इस से गवर्नमेंट का मंशा साफ जाहिर है और इसलिए अवाम के दिलों में से कांग्रेस का असर खत्म होता जा रहा है। वह समझते हैं कि यह जो कुछ भी कहती है करती नहीं है और जो भी कानून गरीबों के फायदे के लिए बनाती है उन को अमल में नहीं लाती है।

हमारे गांव में गवर्नमेंट ने पाम गुड़ इन्डस्ट्री सेंटर्स कायम किये हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हुकूमत के कारोबार पर से अवाम का विश्वास क्यों दूर होता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट के बारे में जाकर किसी एक शख्स से दरियाफ्त कीजिये वह साफ कहेगा कि हुकूमत अपनी चालाकी और होशियारी को इस बात में खर्च करती है कि अवाम के पैसे को किस तरह फिजूल तरीके से खर्च किया जाय। ऐसा करने के लिए हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं वह अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। इसलिए नहीं कि इस पैसे को नेक काम में खर्च करें बल्कि इसलिए कि किस तरह इस को फिजूल के कामों में खर्च करें। हमारे यहां दो साल से यह सेंटर कायम हैं लेकिन कोई फायदेमन्द काम नहीं किया गया है और फिजूल लोगों को बिठाकर तनखाह दी जा रही है। इस से जनता को विश्वास हो गया है कि यह काग़ सरकार महज़ लाखों लोगों को बिठाकर खिलाने के लिए कर रही है। आज हुकूमत से अवाम का मतालबा है कि हम को काम बताओ। यह भीख मांगना नहीं है। अगर आप को हुकूमत संभालनी है तो आप की यह जिम्मेदारी है कि आप लोगों को काम बतायें। नहीं तो जिम्मेदारी से हटकर आप को चला जाना चाहिए। आज अवाम आप के रहमोकरम पर मुनहसिर नहीं रहना चाहता है। वह आज पहले की तरह कीड़े मकोड़े की तरह मरने को तैयार नहीं है अगर आप उन का मतालबा पूरा करते हैं तो चाहे कांग्रेस रहे या कम्युनिस्ट रहें इस से उन की गरज नहीं। उन को खाना दो, कपड़ा दो। यह मामूली मतालबा है। इस को हर एक इन्सान अपना पदायशी हक्क

[श्री पी० आर० राव]

समझ सकता है। अगर उस को आप काम नहीं बतायेंगे तो क्या वह चुपके से मर जायगा? कभी नहीं। हुकूमत का फर्ज है कि जनता को काम बताये। अगर हुकूमत काम नहीं बता सकती है तो वह गद्दी छोड़ दे।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर]

इस के पहले बहुत से मैम्बर्स ने इस को वाज़ह किया है कि खेत मज़दूरों की वेजेज़ इतनी कम हैं कि औरत मज़दूरनियां चार आने पर काम करती हैं। खुद हमारे गांव में ढाई आने से चार आने तक उन की मज़दूरी है। भला बतलाइये कि वह कैसे जिन्दगी गुजार सकती हैं। और गुरबत इस हद तक पहुंच गयी है कि बेचारी मज़दूरी के लिये चली गयी तो वहां एक दरख़्त के नीचे उस का प्रसव हुआ। इस से हम अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कोई औरत जो प्रसव होने के लिए बिल्कुल तैयार थी वह मज़दूरी के लिए जा सकती थी? कभी नहीं, लेकिन पेट का मसला हल होना मुश्किल था, इसलिये उस को मज़दूरी के लिये जाना पड़ा और वहीं खेत में दरख़्त के नीचे उस को प्रसव करना पड़ा। ऐसी घटनाओं पर, हमारे देश की दुर्दशा देख कर दिल कांप उठता है। लेकिन हमारे नेता बिल्कुल भूल गये कि उन की ज़िम्मेदारी उन के सिर पर क्या है और क्या हो रहा है। आप रिवौल्यूशन से डरते हैं। आप अमन के नाम से गीत गाते हैं। ला एंड आर्डर को क़ायम करने के लिये आप लोगों को दबाना और कुचलना चाहते हैं। लेकिन यह अमन कैसे क़ायम होगा। किसी को डराने से, डरा कर समझाने से अमन कायम नहीं हो सकता है। हमारा फ़र्ज़ यह है कि उन को काम बताएं और माकूल तनख़ा दें। फ़र्ज़ क्या है इस को देखना है। अपने फ़रायज़ का जब तक आप अंजाम नहीं दे सकते, तब तक यह गीत गाने से, मंत्र जपने से और गांधी जी का नाम वग़ैरह लेने से या जुलुम ढानेसे काम नहीं चलेगा और अमन भी कायम नहीं होगा। बल्कि गद्दी संभालना तक मुश्किल होगा।

श्री पी० एन राजभोज : मुझे भी बहुत कुछ कहने को था, लेकिन इस में मेरे लिये ऐसी आपत्ति की जाती है कि जब मैं बोलने को चाहता हूं तो कुल पांच सात मिनट मिलते हैं। तो खैर कुछ हर्ज़ नहीं, राज आप का है।

तो आज इस लेबर के बारे में हमारे कई अछूत भाइयों ने कहा है और अछूतों के लिये अच्छी तरह से आवाज़ उठाई है, तो मुझे अच्छा मालूम होता है, क्योंकि आज हमारे यहां ९० परसेंट मैजारिटी अछूतों की है। जब हम बोलने जाते हैं और कहते हैं कि यह अछूतों का सवाल है, तो यह अछूतों का सवाल आपने, आप लोगों ने ही बनाया और यह देश में जो छुतछात का पाप है; यह आप के सर पर है। इस की वजह से जो दुःख है, रंज है, यह जो कलंक हिन्दुस्तान में है, इसे निकालने की आप की जिम्मेदारी है। इसलिये हर वक्त मुझे इस बारे में बोलना पड़ता है, मुझे यह खराब भी लगता है। हमारे पंडित नेहरू जी बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं और इसी तरह की इंटरनेशनल स्पीचेज करते हैं कि कोरिया में ऐसा हो रहा है। (अन्तर्बाधा) स्पीकर महोदय, मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह जो लोग बातें कर रहे हैं, इन को कृपा कर के शान्त रखें, इन के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पंडित जी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में यह हो रहा है, वह हो रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका क्या, यदि हिन्दुस्तान में दलित लेबरर्स को देखें। गरीब लोगों को देखें। भंगियोंको देखें। उन की हालत

कितनी खराब है, पहले उस को हटा दो। फिर आप लम्बी चौड़ी बातें करें। इस वास्ते, स्पीकर महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह दक्षिण अफ्रीका की चर्चा छेड़ने की क्या आवश्यकता है ?

श्री पी० एन० राजभोज : मैं जो थोड़ी थोड़ी बात करने लगता हूं तो लोग चिल्लाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्रमिकों के ऊपर बोलना जारी रखें।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं लेबर का ही सवाल करता हूं, मज़दूरों का ही सवाल लेता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोल माइन्स का सवाल लीजिये, फैक्टरी लेबरर्स का सवाल लीजिये, चमड़े की, लैदर की जो टेनरीज हैं, शुगर फैक्टरीज़ हैं उन के सवाल को लीजिये, सब जगह दुनिया में लेबर ही लेबर है। लेबर का सवाल, मज़दूरों का सवाल, ग़रीबों का सवाल उठाने के लिये हमारे देश के लोग बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठे हुए हैं, लाट साहब बन कर राज चला रहे हैं। यह राज चलाने के लायक नहीं हैं। मेरे भाइयों ने कहा कि हम को काम नहीं मिलता, आप काम नहीं दे सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। चुप चाप बैठ जायें। तुम्हारे ऊपर ही देश की जिम्मेदारी नहीं है। हम भी देश का सवाल जानते हैं। मज़दूरों का आप की तरफ़ से ठीक काम नहीं हुआ। हमारे स्वीपर और दलित भाई हैं उन के बारे में ब्राह्मण भाई, पंडित जी, चेयरमैन बन जाते हैं। मज़दूरों के काम का ब्राह्मण से क्या सम्बन्ध है ? चेयरमैन तो उसी को होना चाहिये जो कि उस काम को जानता है। यह जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले लेबर के लीडर बने हुए हैं वह लेबर का सवाल क्या जानते हैं। बस वह कांग्रेस के पिट्ठू का नारा लगाते हैं। लेकिन वह क्या जानते हैं यह मैं पंडित हरिहरनाथ शास्त्री से पूछना चाहता हूं जो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। स्पीकर महोदय, इन लोगों ने कोई लेबर का काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी वे भंगी के घर में गये, कभी उन्हों ने वहां काम किया ? बस हमारे बीच उन्हों ने फूट डाल दी और लीडर बन गये। यह हमारे जो सोशियलिस्ट भाई हैं, काम्युनिस्ट हैं, उनका जहां तक लेबर का सवाल है और जहां तक हम उन से सहमत हैं वहां तक हम उन को सहायता देंगे। आप लोग तो हमारे यहां ऐसी गन्दगी करेंगे, हम को धोखा देंगे। और हम गरीबों का उद्धार नहीं करेंगे। आप इन गरीबों के मकान देखिये, इन की बस्तियां देखिये, उन का सैनीटेशन देखिये, क्या हालत है। हमारे कोल माइन्स की फैक्टरी है। वहां हैदराबाद की तरफ और बंगाल में भी है, आप जहां भी जाइये, डाक्टर अम्बेदकर साहब ने कानून बनाया, तब कुछ हुआ है। हमारे लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम जी ने कानून पास कर दिया, लेकिन यह अमल में कहां आते हैं। बहुत वेजेज़ के कानून बनाए, उन के लिये मकानों के लिये कानून बनाए, खाने पीने के लिये कानून बनाए, सब बन गये हैं, लेकिन अमल में नहीं आते हैं। यह अमल में क्यों नहीं आते हैं ? इसलिये कि ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है। यह बड़े बड़े आई० सी० एस० अफ़सर बन गये, उन से क्या हो रहा है? वे चार चार हज़ार रुपये ले रहे हैं। वही राज चला रहे हैं। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन समय बहुत कम है। और जब मैं राजभोज खड़ा होता हूं तो आप पांच ही मिनट देते हैं। और आप लोग इतना शोर करते हैं।

तो इसलिये मैं, डिप्टी स्पीकर साहब, आप से कहना चाहता हूं कि हमारे लेबर मिनिस्टर एक्सपीरियन्स्ड हैं। मैं जानता हूं कि हमारे मिनिस्टरों में बहुत से ऐसे हैं जो कुछ एक्सपीरियन्स वाले नहीं हैं, और बहुत लोगों को एक्सपीरिन्स नहीं है। उन की आड़ में सेक्रेटरी लोग देश का राज चला रहे हैं, मिनिस्टर

[श्री पी० एन० राजभोज]

नहीं। वह बेचारे क्या जानते हैं। गिरि साहब को थोड़ा बहुत एक्सपीरियन्स है।

कुछ माननीय सदस्य : थोड़ा ही ?

श्री पी० एन० राजभोज : थोड़ा कहें, बहुत कहें, लेकिन है उन को एक्सपीरिएन्स। उन को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि वह अपने एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में थोड़ा सा सुधार करें। वहां बहुत खराबी हो रही है। लोग वहां जाते हैं और उन को नौकरी भी नहीं मिल पाती। उन को घंटों खड़ा रहना पड़ता है। उस में क्या होता है कि अन्धेर नगरी चौपट राजा का सा हाल होता है।

कुछ माननीय सदस्य : उस में थोड़ा हो रहा है।

श्री पी० एन० राजभोज : हो रहा है तो मैं कहूंगा, यह नहीं कि मैं हर वक्त गाली दूं। तो इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए आप की तरफ से बहुत कुछ काम नहीं होता है।

दूसरी चीज़ यह है कि हमारे अछूत भाइयों के बारे में बहुत कहा जा चुका है। मैं तो अपने अछत भाइयों से, स्वीपर्स से और मेहतर भाइयों से अपील करता हूं कि आप काम करना छोड़ दो, इन को करने दो। हम क्यों करते रहें। यह काम करने का हम क्यों ठेका लिये रहें, क्या हमारे बाप दादा ने इस काम को करने का ठेका लिया है कि हमीं करते जाएं ? तो भंगियों का काम हम को छोड़ना चाहिये क्योंकि सब जगह तो यह दूसरे बड़े बड़े अफ़सर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मज़दूरों के लिये बैठे हैं। फिर थोड़ा बहुत जो हम को मिला है तो हम ने बहुत झगड़ा किया है तब मिला है। यह नहीं कि कोई बहुत प्रेम से इन्हों ने हम को दे दिया है।

तो मेरी हाउस से यह प्रार्थना है कि कम से कम इस देश के मज़दूरों की हालत सब दृष्टि से देखें, उन के खाने पीने की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, मकान की दृष्टि से, सैनीटेशन की दृष्टि से और तनख्वाह की दृष्टि से। फिर आप के जो क़ानून हैं वह सब अमल में आने चाहियें। यह नहीं आते हैं। इसी वास्ते हमारी अपील है कि आप जल्दी से जल्दी यह काम करें। (इस समय फिर घंटी बजी) अच्छा, मैं आप को धन्यवाद देता हूं और यही कहता हूं कि आप इन कानूनों को अमल में लावें।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मेरे माननीय मित्रों ने जो सुन्दर भाषण दिये हैं तथा जो सुझाव दिये हैं उन के लिए मैं उन का बहुत कृतज्ञ हूं और उन को मैं यह आश्वासन देता हूं कि उन के सुझावों की भली प्रकार जांच की जायेगी। मुझे विश्वास है कि विरोधी दल के मेरे मित्र मेरे यह कहने पर, कि जब कभी उन्हों ने किसी प्रकार के संघर्ष की सूचना मुझे दी है या कोई प्रार्थना की है तो मैं ने भरसक उस मामले को सुलझाने की कोशिश की है, मेरे प्रति न्याय करेंगे। मैं ने जो कुछ किया वह मेरा कर्तव्य था और उस के लिए धन्यवाद दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पिछले बजट सत्र में मैं ने आश्वासन दिया था कि मैं उस सम्बन्ध विधेयक पर उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं करूंगा जब तक कि मुझे श्रम संस्थाओं, मालिक संस्थाओं तथा जनमत का पता नहीं लग जायेगा। सरकार ने एक प्रश्नावली जारी करने का भी वायदा किया था। प्रश्नावली और उस के सम्बन्ध में प्राप्त हुए उत्तरों को मैं ने गत अक्तूबर में नैनीताल में हुए त्रिदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने का वायदा किया था। मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि औद्योगिक सम्बन्धों के

विषय में बहुत से आधारभूत सिद्धान्तों पर कर्मचारियों तथा मालिकों के मध्य मतैक्य हो गया है। उक्त सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि इतने बड़े त्रिदलीय सम्मेलन के स्थान पर एक सात सदस्यों की समिति नियुक्त की जाये, चार प्रतिनिधि कर्मचारियों की केन्द्रीय संस्थाओं के हों और तीन मालिकों के हों और मैं उस का सभापति बनूं। दिसम्बर में हमारी एक बैठक हुई थी और मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि अधिकांश आधारभूत सिद्धान्तों पर मतैक्य हो सका।

इस के पश्चात् गत फ़रवरी में राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक बैठक हुई और उन्हों ने कुछ निर्णय किये। इस समय मैं नियुक्त करने वाले मंत्रालयों से चर्चा चला रहा हूं और हम कोई ऐसा विधान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो साधारणतया स्वीकार्य हो। उक्त विधेयक को यद्यपि मैं इस सत्र में पुरःस्थापित नहीं कर सका हूं परन्तु उसे संसद् के जुलाई सत्र में अवश्य पुरःस्थापित कर दिया जायेगा।

अब मैं औद्योगिक सम्बन्धों विषयक कुछ आधारभूत बातों को लेता हूं। कार्मिक संघों के तपे हुए नेताओं का यह विचार है कि मैं अधिनिर्णय के स्थान पर सौमनस्य पर अधिक बल दे कर ठीक नहीं कर रहा हूं। मेरे और उन के दृष्टिकोणों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मेरा सदैव से ही यह विचार रहा हैं कि औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच परस्पर बातचीत कर के विवाद को दूर करना सरकार द्वारा कोई निर्णय अधिरोपित किये जाने से कहीं अधिक उत्तम है। मेरे विचार से इस विषय में कोई मतविभिन्नता नहीं हो सकती है। अधिनिर्णय को एकबारगी ही समाप्त कर दिया जाना ठीक है। किसी विवाद को सुलझाने की इच्छा चाहे कितनी ही क्यों न हो परन्तु उस प्रयत्न की सफलता उस प्रणाली पर निर्भर होती है जिस के अनुसार कार्य किया जाता है। मेरी इच्छा है कि उद्योग सम्बन्धी सभी विवाद सौमनस्य पर्षदों द्वारा या ऐच्छिक मध्यस्थ निर्णय द्वारा उद्योग विशेष के स्तर पर तै किये जायें और यदि ऐसा करना संभव न हो तब ही अधिनिर्णय की बात सोची जाये। यह मेरी व्यक्तिगत सम्मति है। मंत्री होने के नाते मैं यहां कर्मचारियों, कर्मकरों और जनमत का प्रतिनिधान करता हूं, अतः अपने मित्रों से मेरा यह निवेदन है कि हम श्रम विवादों को उद्योगों के स्तर के अनुसार सौमनस्य पर्षदों द्वारा निपटाये जाने की प्रणाली को चलायें। यदि कार्मिक संघों के नेता और मालिक लोग यह आश्वासन मुझे दें तो अधिनिर्णय को अन्तिम स्थान दिया जा सकता है। ३३ वर्ष तक कार्मिक संघों में कार्य करने के बाद मैं ने यह अनुभव किया है हड़ताल तथा तालाबन्दी समझौता कराने के अन्तिम साधन हैं और यह उन के अन्तिम तीर हैं और इन साधनों को तभी काम में लाया जाना चाहिये जब कि और सभी साधन असफल हो गये हों।

मेरा यह भी विचार है कि यदि मालिकों तथा कर्मचारियों को कार्यकरण की अवस्था का ज्ञान होगा तो अधिकांश कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इसीलिये हम ने उद्योगों सम्बन्धी स्थायी आदेशों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। स्थायी आदेशों की जांच मालिकों तथा कर्मचारियों दोनों के द्वारा की जानी चाहिये और यदि किसी स्थायी आदेश के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो किसी न्यायाधिकरण की शरण ले कर यह निर्णय करा लेना चाहिये कि स्थायी आदेश क्या हों। यदि स्थायी आदेशों को ठीक तरह से समझ लिया जाये तो अधिकांश विवाद उत्पन्न ही नहीं होंगे और यदि होंगे भी तो उन को इन स्थायी आदेशों के आधार पर ही तै किया जा सकेगा। मेरा निवेदन यह है कि यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है, यदि हमें कर्मचारियों के लिए उद्योगों में अधिक सुविधाय प्राप्त

[श्री वी० वी० गिरि]

करनी हैं तो हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना अति आवश्यक है, केवलमात्र क़ानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। क़ानूनों के होते हुए भी यदि हमारी श्रम संस्थायें मालिक संस्थाओं जैसी शक्तिशाली नहीं होंगी तब तक श्रमिकों के लिए कोई निस्तार नहीं है। मैं स्वयं एक श्रम कार्यकर्ता हूं और मंत्री होते हुए भी मैं उन का समर्थक तथा प्रचारक हूं। मैं सदन के सभी दलों से प्रार्थना करता हूं कि वह यह समझने का प्रयत्न करें कि यदि वह श्रमिकों की अवस्था को सुधारना चाहते हैं तो यह कार्य केवलमात्र उन के संघों को शक्तिशाली बना कर ही किया जा सकता है। यदि हम अपने संगठन को शक्तिशाली बना सकते हैं केवल तभी उद्योगों में हमारी बात सुनी जायगी। जो व्यक्ति औद्योगिक सम्बन्धों तथा श्रमिकों की जीवन यापन सम्बन्धी अवस्थाओं को सुधारने में रुचि रखते हैं उन को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिये। मैं रेलवे कर्मचारी संधान तथा राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संधान को और उन के नेताओं श्री हरिहरनाथ जी शास्त्री तथा श्री जय प्रकाश नारायण जी को इस बात के समझ लेने के लिए बधाई देता हूं कि यदि हम को श्रम संघ आन्दोलन को शक्तिशाली बनाना है तो एकता होना नितान्त आवश्यक है। मैं ने सदैव ही एक उद्योग में एक ही संघ बनाये जाने की बात पर ज़ोर दिया है और बताया है कि केवलमात्र इसी तरह से ही श्रमिकों की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। मैं श्रम संघ आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले सभी पक्षों से यह कह देना चाहता हूं कि श्रमिकों का विस्तार केवलमात्र उसी शक्ति पर निर्भर है जो हम उस के समर्थन में संगठित कर सकते हैं। मैं श्रम मंत्री हूं और श्रम सम्बन्धी मामलों की देख रेख मुझे करनी होती है। श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री जय प्रकाश नारायण के मध्य जो व्यक्तिगत बातचीत इस विषय के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में हाल ही में हुई हैं मैं उस का भी स्वागत करता हूं। उस चर्चा में इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को एक महान देश बनाना है और यह कार्य तभी हो सकता है जब कि समान आदर्शों को मानने वाले सभी दल आपस में सहयोग करें। विरोधी दल के अपने मित्रों को मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमें अपने आदर्शों के अनुसार भारत का विकास करना है और यदि उन को भी हमारी प्रजातंत्र की सुसंगठित प्रणाली में विश्वास हो, तो मुझे निश्चय है कि हम परस्पर सहयोग से कार्य कर के आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि हमें शत प्रति शत प्रजातंत्र पर विश्वास रखना है तो हम को श्रम संगठनों से भी शत प्रति शत प्रजातंत्र में विश्वास रखने की प्रार्थना करनी होगी।

मेरे मित्र श्री एन्थनी ने कोलार स्वर्ण खानों का निर्देश किया था और एक निर्देश उन मिलों के सम्बन्ध में किया गया था जो हाल ही में बन्द होने वाली हैं। कोलार की स्वर्ण खानों के सम्बन्ध में मैं सदन से यह बात ध्यान में रखने की प्रार्थना करता हूं कि भाग ख में के राज्यों में स्थित खानों का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के अधीन केवलमात्र १ अप्रैल १९५० से ही आया है। इस से मेरा यह आशय नहीं है कि यदि यह खानें श्रम मंत्रालय के अधीन होतीं तो मैंने उन की अवस्था में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया होता। मेरा यह आशय भी नहीं है कि राज्य सरकार का नियंत्रण समुचित स्तर का नहीं था। मेरे कहने का आशय केवलमात्र यही है कि कोलार की स्वर्ण खानों में जो अवस्था इस समय पाई जाती है उस का श्रेय या दोष श्रम मंत्रालय को नहीं दिया जा सकता है,

क्योंकि उसे इस का प्रबन्ध संभाले बहुत कम समय हुआ है।

श्री एन्थनी ने हाल ही में मुझे एक पत्र लिखा था जिस में उन्हों ने स्वर्ण खानों में काम करने वाले कुछ विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की सेवा शर्तों इत्यादि सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों तथा शिकायतों का निर्देश किया था। इस मामले की जांच की जा रही है और मैं ने मुख्य श्रम आयुक्त को स्वयं जांच करने का आदेश दिया है। इस से पूर्व कोलार की स्वर्ण खानों के अप्रतिश्रुत अधिकारियों के केन्द्रीय संघ की ओर से एक प्रतिनिधान प्राप्त हुआ था। इस की जांच भी श्रम मंत्रालय के औद्योगिक सम्बन्ध संगठन द्वारा की गई थी। ज्ञात हुआ है कि निर्देश-पद इस समय संघ तथा व्यवस्थापन के मध्य चर्चाधीन है। संघ ने भी यह घोषणा कर दी है कि निर्णय होने तक सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। अन्य बातों के अतिरिक्त मजूरियों के पुनरीक्षण, लाभांशों के भुगतान, किन्हीं कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है। लाभांश सम्बन्धी बात तो न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार प्रायः निर्णीत हो भी चुकी हैं तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

जहां तक ऊरगांव स्वर्ण खानों के बन्द कर दिये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है तो उस के व्यवस्थापक मैसर्स जॉन टेलर ने उस के बन्द कर देने की इच्छा प्रकट की है। व्यवस्थापकों तथा राज्य के प्रतिनिधियों के मध्य इस विषय पर बातचीत हुई थी। उस के अनुसार सरकार इस मामले की छानबीन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है। इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय शीघ्र ही सदन को बता दिये जायगे। बिना समिति द्वारा जांच किये इस सम्बन्ध में कुछ कहने से कोई लाभ नहीं है।

अगला प्रश्न अपील न्यायाधिकरणों और उन के द्वारा व्यापारिक विवादों का निर्णय करने में हुई देर के विषय में है। यह तो मैं निवेदन कर ही चुका हूं कि परस्पर समझौते से जो निर्णय किये जायेंगे वह सरकार अथवा न्यायाधिकरण द्वारा थोपे गये निर्णयों से कहीं अधिक स्थायी प्रकार के होंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों के निपटाये जाने में देर लगना आवश्यक है। परन्तु तो भी इस देरी को कम करने की चेष्टा की जा रही है। सन् १९५१ में कलकत्ता और धनबाद स्थित दो मूल न्यायाधिकरणों को ४४ मामले भेजे गये थे और चार मामले तदर्थ न्यायाधिकरणों को भेजे गये थे। सन् १९५२ में मामलों की संख्या २९ थी। चार वर्ष में मामले इस प्रकार निपटाये गये हैं कि ४३ मामले ६ महीने से कम समय में ही निपटा दिये गये थे; १५ के निपटाने में ६ से नौ तक महीने लगे; नौ मामलों में नौ से बारह तक महीने लगे और बारह मामलों के निपटाने में एक वर्ष लग गया। अपील न्यायाधिकरण की दो शाखायें कलकत्ता और बम्बई में कार्य कर रही हैं और तीसरी हाल ही में लखनऊ में स्थापित की गई है। अपील न्यायाधिकरणों को भेजे गये मामलों की संख्या अत्यधिक है। अगस्त १९५० से जब से इसे प्रारम्भ किया गया है इस के समक्ष २०४९ अपीलें दायर की गई हैं, इन में से १२२४ अपीलें निपटा दी गई हैं और ८२५ अभी अनिर्णीत हैं। इन अपील न्यायाधिकरणों के बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई मतैक्य नहीं है। मेरा विचार है कि इन न्यायाधिकरणों के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए यदि श्रम संस्थाओं तथा मालिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को असेसरों के रूप में न्यायाधिकरणों में सम्मिलित कर लिया जाया करे तो वह विवादास्पद मामलों में न्यायाधीश के समक्ष अपने दृष्टिकोण सरलता से प्रस्तुत कर सकेंगे। इस से न केवल मामलों के निर्णय

[श्री वी० वी० गिरि]

किये जाने में ही शीघ्रता आयेगी अपितु न्यायाधीश भी अपना अधिकांश समय लगा सकेंगे ।

अब मैं कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान किये जाने तथा मालिकों द्वारा की जाने वाली अवैध कार्यवाहियों का निर्देश करूंगा । मेरा विचार है दलबन्दी की भावना से मुक्त कार्मिक संघें बनाई जानी चाहियें । इन संघों को किसी दल विशेष से सहानुभूति नहीं होनी चाहिये । यदि ऐसा हो सका तो कार्मिक संघ संस्था की नींवें सुदृढ़ हो जायेंगी । कार्मिक संघों में कार्य करने वाले श्रमिकों के प्रति मालिकों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के लिए तथा मालिकों द्वारा कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान कराई जाने के निश्चयन के लिए दण्ड की व्यवस्था की जानी आवश्यक है । इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । ऐसे किसी विधान के पारित न होने तक कार्मिक संघों को मान्यता दी जानी केवल ऐच्छिक होगा । यह ज्ञात कराने के लिए कि श्रम मंत्रालय विभिन्न कार्मिक संघों के मध्य कोई भेद भाव नहीं करता है यह बता देना ही पर्याप्त होगा कि विभिन्न त्रिदलीय सम्मेलनों तथा समितियों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय केवल मात्र विभिन्न संघों की सदस्य संख्या का ही ध्यान रखा जाता है । जो श्रमिक बिना कार्मिक संघ का सदस्य बने स्थापित संस्थाओं की प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें हमें कोई प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । मान्यता प्राप्ति के लिए इच्छुक कार्मिक संघों के दावों का निपटारा उन की सदस्य संख्या तथा कार्यकाल की अवधि के अनुसार ही किया जाना चाहिये, और सब से अधिक सदस्य संख्या वाले संघ को ही मान्यता दी जानी चाहिये ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : किसी संघ की प्रतिनिधिक विशेषता किस प्रकार ज्ञात की जायेगी ? क्या मतभेद होने की अवस्था में गुप्त मतदान लिया जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : इस का निर्णय किसी समिति अथवा किसी पदाधिकारी अथवा किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जो कि सदस्य संख्या को देख कर वास्तविक संख्या का निर्णय करेगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : (क्विलोन व मावेलिक्करा) : यदि सदस्य संख्या झूठी हो ?

श्री वी० वी० गिरि : तो वह संघ भी झूठा ही होगा । अतः हमारा विचार यह है कि कोई ऐसा प्राधिकारी होना चाहिये जो दोनों पक्षों की बातों की जांच कर के कोई निर्णय दे सके ।

अब मैं छंटनी के प्रश्न को लूंगा । यह बात निश्चय कर ली गई है कि अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में की गई पदच्युति तथा अभिनवीकरण अथवा प्रमाणीकरण अथवा किसी अन्य आर्थिक कारणों से की गई छंटनी में विभेद किया जाना चाहिये और ऐसे कुछ सिद्धान्त बनाये जाने चाहियें जिन के अनुसार छंटनी को नियमित किया जा सके तथा सरकार तथा कर्मचारियों को उस की पूर्व सूचना दी जा सके । सब से अन्त में आने वाले की सर्वप्रथम छंटनी की जावे । इस सिद्धान्त को प्रायः स्वीकार कर लिया गया है । किसी विनियमित दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने के प्रश्न पर भी समझौता हो गया है । राज्य सरकारों के मध्य इस बात पर भी मतैक्य है कि छंटनी के मामलों को न्यायाधिकरणों अथवा किन्हीं जांच न्यायालयों को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सौंपा जाना चाहिये । योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में यह सिफ़ारिश की है :

"उत्पादन परिव्यय को कम करने के हेतु उद्योगों का अभिनवीकरण, जहां श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, किया जाना चाहिये। श्रमिकों के हितों के सुरक्षण के लिये उपस्थितपत्रों के प्रमाणिकरण, कार्यभार का निश्चय किये जाने, अतिरेक श्रमिकों की अन्य विभागों में व्यवस्था की जाने; स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने वालों को उपदान दिये जाने, अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिये जाने तथा व्यवस्थापन द्वारा श्रमिकों की देखरेख के उपबन्ध किये जाने चाहियें।"

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि छंटनी की विभीषिका को कम करने के लिए यथासंभव सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। न्यायाधिकरण, इस पर विचार कर रहे हैं, और जहां भी ऐसा करना संभव है मैं ने वहां यही कार्यवाही किये जाने का आग्रह किया है। मैं यह भी बता दूं कि जहां कहीं भी कोई विवाद उठा है मैं ने उसे श्रमिकों तथा मालिकों की सहायता से निपटाने की चेष्टा की है और कई मामलों में मुझे सफलता भी मिली है। इस का श्रमिकों तथा मालिकों पर शुभ प्रभाव पड़ा है। यदि आवश्यक हुआ तो इन सिद्धान्तों के आधार हम कोई विधान भी प्रस्तुत करेंगे। श्रम सम्बन्ध विधेयक के समय इन संभी प्रश्नों पर मतैक्य होने की आशा है।

अब मैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बात लेता हूं। इस योजना के लागू किये जाने के सम्बन्ध में कुछ आलोचनायें की गई हैं, और मुझे आशा है कि सदन इस के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना प्राप्त करने को उत्सुक होगा। इस योजना से फैक्टरी श्रमिकों को बीमारी, प्रसूतिकाल, कार्य के समय पहुंची चोट तथा हुई अयोग्यता के प्रति संरक्षण देता है, इस निधि का अधिकांश भाग कर्मचारियों तथा मालिकों से प्राप्त होता है और इस समय केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक व्यय के दो तिहाई के बराबर अंशदान दे रही है। राज्य सरकारों को चिकित्सा व्यय का एक तिहाई भाग वहन करना होता है। मालिकों तथा कर्मचारियों से लिया जाने वाला अंशदान जीवनांकिक आधार पर लिया जाता है। प्राप्त धन की सीमा में ही, योजना को चलाने के लिए, चिकित्सीय सहायता देना संभव हो सकेगा। राज्य सरकारों को अपना अंशदान देने के लिए सहमत करना भी आवश्यक है। योजना को लागू कर दिया गया है और यह दिल्ली तथा कानपुर में सफलतापूर्वक चल रही है।

कुछ अन्य राज्यों ने भी हमें बतलाया है कि उन की कुछ कठिनाइयां हैं जिन के कारण वे अपेक्षित अंशदान नहीं दे सके। श्रमिकों की चिकित्सा का काम करने के लिए डाक्टरों के साथ भी समझौता नहीं हो सका। किन्तु ये कठिनाइयां ऐसी नहीं हैं जिन का हल न निकाला जा सके और समझौते के लिए बातचीत हो रही है। तीन राज्यों के साथ समझौता हो चुका है और वे सारे राज्यों में या उन के कुछ क्षेत्रों में योजना को कार्यान्वित करेंगे। बीमा शुदा श्रमिकों के हित में समझौता करने के लिए एक दो अन्य राज्यों के साथ बातचीत हो रही है। इस बीच योजना का काम सुगम बनाने के लिए दिन प्रति दिन के कृत्यों को प्रदेशों के हवाले किया जा रहा है। आशा है कि ऐसा करने से उपरि व्यय तथा अन्य केन्द्रीकृत व्यय कम से कम हो जायेगा, जिस के फलस्वरूप श्रमिकों के हित के लिए अधिक से अधिक रुपया मिल सकेगा। मैं आप को आश्वासन देता हूं कि मैं भी आप की तरह चाहता हूं कि इन सब कठिनाइयों को दूर किया जाये और देश के एक सीमित भाग के लिए शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की यह पहली योजना सफल सिद्ध हो।

[श्री वी० वी० गिरि]

अब मैं न्यूनतम मजूरी के प्रश्न को लेता हूं। अनुसूची १ में दी गई नौकरियों या कृषि के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करन के काम में जो प्रगति हुई, मैं उस से संतुष्ट नहीं हूं। किन्तु मुझे हर्ष है कि सब भाग क राज्यों ने और दिल्ली, अजमेर और कुर्ग के भाग ग राज्यों ने लगभग सभी हस्तक्षेप्य नौकरियों में न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी है। केन्द्रीय सरकार के अधीन, बम्बई बन्दरगाह प्रन्यास के कुछ कर्मचारियों को छोड़ कर, सब स्थापनाओं में न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी गई है। बम्बई बन्दरगाह प्रन्यास के मामले में पेश आने वाली कठिनाई संशोधक विधेयक के एक उपबन्ध के द्वारा दूर की जा रही है।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निश्चित करना अत्यावश्यक है किन्तु यह काम एकदम नहीं हो सकता। इस योजना को योजना आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार धीरे धीरे कार्यान्वित करना चाहिये और सब से पहले कम मजूरी वाले क्षेत्रों को लेना चाहिए। मुझे प्रसन्नता हुई है कि इस दिशा में बिहार, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, पंजाब, अजमेर, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, पैप्सू, और राजस्थान ने काफ़ी प्रगति की है। उड़ीसा, मद्रास और पश्चिमी बंगाल ने भी इस सम्बन्ध में प्रस्तावों की अधिसूचना दी है। इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और मैं उन से इस सुधार को लागू करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि कृषि में न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर विचार हो रहा है यह है कि भूमिहीन कृषि मज़दूरों को मकानों के लिये स्थान दिये जायें कुछ अन्य राज्य भी इस प्रयोजन के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा गृह निर्माण योजनाओं पर विचार कर रहे हैं।

अब मैं सेवा योजनालयों के प्रश्न को लेता हूं। एक सुझाव दिया गया है कि वर्तमान सेवा योजनालयों को बढ़ाया और पुनर्गठित किया जाये। मैं इस मामले पर अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि श्री शिवराव संसद् सदस्य की अध्यक्षता में सेवायोजनालयों और इन के भविष्य से सम्बन्धित सब प्रश्नों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। मैं इस समिति की सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इन्हें संशोधन आदि के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

सदन को ज्ञात है कि सेवा योजनालय उन लोगों को जो इन के पास रजिस्टर्ड हैं, काम दिलाने में सहायता दे सकता है, किन्तु नौकरी के नये रास्ते निकालना उनके अधिकार में नहीं है और ऐसा कोई कानून भी नहीं है जिस के अन्तर्गत नियोजकों को सेवा योजनालयों द्वारा बतलाए गये लोगों को नौकरी देने के लिए बाध्य किया जा सके। केन्द्र और राज्य, दोनों के सरकारी विभाग भर्ती के लिए सेवा योजनालयों का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। जुलाई, १९४५ से दिसम्बर के अन्त तक सेवा योजनालयों ने २६ प्रतिशत रजिस्टर्ड व्यक्तियों को नौकरी दिलाई। सब से अधिक देर उन शिक्षित व्यक्तियों के मामले में होती है जो क्लर्क की नौकरियां चाहते हैं। इन की संख्या रजिस्टर्ड व्यक्तियों की कुल संख्या का २६.५ प्रतिशत है और इन में से बहुत कम को नौकरी दिलाई जा सकी है। सेवा योजनालयों के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। इस किसम के लोगों के लिये नौकरी के और रास्ते निकालने पड़ेंगे।

अब मैं कोयला खानों की चर्चा करूंगा।

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़प्पा): कृषि श्रमिकों की नौकरी के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इस का उल्लेख कर चुका हूं।

श्री नानादास : खेतिहर मज़दूरों के लिये सेवा योजनालयों के बारे में क्या हुआ?

श्री वी० वी० गिरि : हम सेवा योजनालय जांच समिति के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि उस ने खेतिहर मज़दूरों के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया तो फिर हम इस विषय को सदन में उठायेंगे।

कोयला खान कल्याण निधि तथा कोयला खान मज़दूरों के लिये मकान सम्बन्धी योजनाओं के बारे में श्रम मंत्रालय पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। कल्याण योजनाओं के बारे में, जिन में डाक्टरी सहायता, अस्पताल में इलाज, मलेरिया-विरोधी उपाय, प्रौढ़ शिक्षा, खनिकों की पत्नियों तथा बच्चों के लिये दस्तकारी के काम की शिक्षा आदि शामिल हैं संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है। परन्तु मुझे खेद है कि मकान सम्बन्धी योजनाओं के बारे में यह बात नहीं है। इस विषय में प्रोत्साहन देने के लिये सहायता के रूप में नकद रुपया देने का भी आश्वासन दिया गया है। यह राशि लागत के २५ प्रतिशत के बराबर होगी और प्रति मकान ७५० रुपये से अधिक न होगी। वर्ष १९५१-५२ में, सहायता योजना के अन्तर्गत २१८४ मकानों के लिये ७४ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। हो सकता है कि सिंगरेनी, कोठगुदाम और बेलामपल्ली कोयला खानों में इतनी प्रगति भी न हुई हो। मालिकों का कहना यह प्रतीत होता है कि उन के पास सरकार द्वारा २५ प्रतिशत सहायता दे देने के बाद भी बाकी लागत को पूरा करने के लिये पैसा नहीं है। मकानों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पूरी तरह मालिकों पर है। यदि वे इस मामले में कुछ नहीं करते तो फिर हमें यह देखना होगा कि उन के खिलाफ़ क्या कार्याही की जाये जिस से वे मकान सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करें। यदि उपरोक्त कोयला खानें कुछ ऐसी योजनायें सामने रखें जिन से मकान बनाने के काम में प्रगति हो सके, तो सरकार उन पर विचार करने के लिये तैयार है।

कोयला खानों में काम के घंटे कम करने के बारे में कहा गया। आठ घंटे का दिन वर्ष १९५२ में ही लागू किया गया है और अब छः घंटे के दिन के लिये हमें कुछ समय के लिये ठहरना चाहियें। प्रगतिशील देशों तक में आठ घंटे का दिन माना जा रहा है। हम आशा करते हैं कि वह समय आयेगा जब घंटों में कमी करने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा।

खान अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार को खान के काम से सम्बन्धित कुछ बीमारियों को अधिसूचित करने का अधिकार है और उस ने ऐसा किया भी है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार तपेदिक को अधिसूचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बीमारी सब जगह हो सकती है; इसे केवल खानों के काम से सम्बन्धित व्यवसायिक बीमारी नहीं माना जा सकता।

कुछ माननीय सदस्यों ने गोरखपुर श्रमिक दल के बारे में कहा। इस विषय पर मैं विचार कर रहा हूं। कहा गया है कि स्थानीय क्षेत्रों में इतनी बेकारी होते हुए भी गोरखपुर श्रमिक दल से क्यों काम लिया जाता है? उनका तर्क काफ़ी हद तक ठीक मालूम होता है परन्तु मैं इस मामले पर और अधिक विस्तृत रूप से छान बीन करना चाहता हूं।

बाग़ान श्रम अधिनियम को भी निर्दिष्ट किया गया है। श्रम मंत्रालय का इस अधिनियम को लागू करने का इरादा है, वह इसे केवल काग़ज़ पर ही रहने देना नहीं चाहता। हां, हाल ही के चाय संकट के बाद कुछ ऐसे सुझाव दिये गये कि अधिनियम को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाये। राजाराम राव समिति की इस विशेष सिफ़ारिश को अभी

[श्री वी० वी० गिरि]

मंजूर नहीं किया गया है और आशा है कि चाय उद्योग से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ इस पर भी एक समिति द्वारा पूरी तरह विचार किया जायेगा। श्री विट्ठल राव ने कहा कि कोयला खानों के मज़दूरों को मज़दूरी कम दी जाती है। मज़दूरी कम है या अधिक, इस चीज़ का अन्दाज़ा तो अन्य उद्योगों में तथा सामान्य रूप से सारे देश में जो मज़दूरी मिलती हो उस से मुक़ाबला कर के लगाया जा सकता है। इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि सुलह-पर्षद् (१९४७) की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप, कोयला खान के मज़दूरों की मज़दूरी में काफ़ी वृद्धि हुई है। परन्तु श्रम मंत्रालय यह कभी नहीं सोचता कि १९४७ में जो मज़दूरी निश्चित कर दी गई है उस में वृद्धि न की जाये। मज़दूरी बढ़ाने के प्रश्न पर तथा एक नये सुलह पर्षद् द्वारा कोयला उद्योग के मज़दूरों की अन्य समस्त समस्याओं की जांच किये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने ऑल इंडिया जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी के कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के प्रश्न को निर्दिष्ट किया। इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं मुख्य श्रम आयुक्त से बम्बई जाने और इस मामले में छान बीन करने के लिये कह रहा हूं। शिकायत करने वालों ने भी मान लिया है कि यह तरीक़ा सब से अच्छा रहेगा।

फिर, एक अन्य माननीय सदस्य ने यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न दिये जाने के बारे में कहा। इस मामले पर विचार हो रहा है और सरकार के क़ानूनी सलाहकारों से राय लेकर पंचाट के अनुसार कर्मचारियों को पैसा दिलवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस में देर इसलिये हुई है क्योंकि बैंक वाले मामले को बैंक न्यायाधिकरण तक और उस के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण तक ले गये। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बैंक के प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर देने के बाद ही यह मंत्रालय निश्चित कार्यवाही कर सकता था।

मैं समझता हूं कि सदन में जितने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उन में से अधिकांश के बारे में मैं बोल चुका हूं। मैं माननीय सदस्यों को फिर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, जब तक मैं संघ सरकार का श्रम मंत्री हूं मैं अपना भरसक प्रयत्न करता रहूंगा। मुझे सफलता तब ही मिलेगी जब मुझे मालिक और मज़दूर तथा इस सदन के समस्त सदस्य अपना सहयोग देंगे। श्रीमान्, विभिन्न मामलों पर अपने विचारों को प्रगट करने के लिये आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं सारे कटौती प्रस्ताव और उस के बाद मांगें सदन के समक्ष रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में मांग संख्या ६५, ६६, ६७, ६८, ६९ तथा १३१ के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उस को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को क्रय-पत्र में उल्लिखित राशियों तक ही राशियां दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुदानों की मांगों के लिये जो प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किए गये उन्हें नीचे दिया जाता है:—सम्पादक, संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या ६५-- श्रम मंत्रालय--	२६,७८,००० रुपए
मांग संख्या ६६-- मुख्य खान निरीक्षक --	८,१६,००० रुपए
मांग संख्या ६७-- श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय--	२,९१,४२,००० रुपए
मांग संख्या ६८-- नौकरी दफ्तर तथा पुनर्संस्थापन--	१,२४,५०,००० रुपए
मांग संख्या ६९-- नागरिक रक्षा--	१,१०,००० रुपए
मांग संख्या १३१-- श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय--	४,१८,००० रुपए

सदन का कार्य

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक स्थगित करने से पहले, मुझे सदन को सूचित करना है कि बाबू राम नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवेदन पत्र के सम्बन्ध में श्री आर० एन० एस० देव, डा० लंका सुन्दरम् तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर २५ तारीख को ५ बजे से ६ बजे तक बहस होगी।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जन संघ आन्दोलन पर बहस करने के लिये एक अवसर दिया जाये। जन संघ आन्दोलन पर वह एक वक्तव्य देंगे और फिर उस पर बहस होगी। इसे २५ तारीख को ६ बजे आरम्भ किया जायेगा और साढ़े सात या आठ बजे तक जारी रखा जायेगा।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार २१ मार्च १९५३ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई।